राजस्थान विधान सभा

४८वीं बैठक, सोमवार, दिनांक–१४ मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ४.३८ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–प्रश्न श्री भैरोंसिंह

प्रश्न संख्या ९२३

श्री भैरोंसिंह

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९२४

श्री चांदमल मेहता

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९२५

किशनगढ़ जिले की कोर्ट ओफ वार्ड्स के अधीन की जागीरें

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) किशनगढ़ सब डिवीजन में कितनी जागीरों में कोर्ट ओफ वार्ड्स का इन्तजाम है ?

(२) ऐसी कौन २ सी जागीरें हैं जो अन्डर कोर्ट ओफ वार्ड्स हैं और वे पुनर्ग्रहीत की जा चुकी हैं ?

(३) उक्त जागीरों से कोर्ट ओफ वार्ड्स का इन्तजाम नहीं उठाने के क्या कारण हैं ?

Page No 2

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री)— (१) किशनगढ़ सब डिवीजन में ८३ जागीरों पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स का प्रबन्ध है, इनमें से १९ जागीरों को प्रबन्ध से मुक्त करने की आज्ञा (प्रसारित) की जा चुकी है।

(२) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) उक्त जागीरों को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबन्ध में रखने के निम्नलिखित कारण हैं-

(१) नाबालगी

(२) दाखिल खारिज न होना।

(३) बदइन्तजामी अथवा काश्तकारों के साथ दुर्व्यवहार।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—ऐसी कितनी जागीरें हैं जिनमें ये कारण, नाबालिगी, बदइन्तजामी, न होने पर भी कोर्ट ओफ वार्ड्स में हैं ?

श्री सम्पतराम—बिना किसी कारण के कोई भी जागीर का विभाग कोर्ट आफ वार्ड्स में नहीं लिया जाएगा।

श्री चांदमल मेहता—ये कोर्ट ओफ वार्ड्स के इतने मामलात किस अधिकारी के पा विचाराधीन हैं ?

श्री सम्पतराम—राजस्व विभाग में बोर्ड ओफ रेवेन्यू इसका इन्चार्ज है और गवर्नमे से सैंक्शन होती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कई आदमियों ने जागीर पुनर्ग्रहण के ब जो बालिग थे, यह मांग की है कि हमारी जागीर पर से कोर्ट ओफ वार्ड का इन्तजाम तत्काल उ दिया जाय ?

श्री सम्पतराम—ऐसा कोई उदाहरण माननीय सदस्य पेश करें तो स्पेसिफिक जानका की जा सकती है लेकिन फिर भी एड्वाइजरी कमेटी के सामने ऐसी कोई दरख्वास्त पेन्डिंग नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—सूची मुझे मिली नहीं है लेकिन क्या इस सूची के आधार जांच करने को तैयार हैं कि ऐसी कितनी जागीरें हैं जिन पर कोर्ट ओफ वार्ड्स का इन्तजाम चलेगा ?

Page No 3

श्री सम्पतराम—जांच करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन साथ ही साथ स्पेसिफिक मामला बतावें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या ऐसी भी अर्जियें पेश हुई हैं जिनमें कहा गया है कि इन्तजाम इसलिये नहीं हटाया जा रहा है कि अधिकारी चौथान मांगते हैं ?

श्री **सम्पतराम**—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। यदि शिकायत आयेगी तो जांच करेंगे।

प्रश्न संख्या ६२६

श्री **अध्यक्ष**—श्री गुरुदयालसिंह।

(अनुपस्थित—यह प्रश्नोत्तर आगे लिये गये हैं)

प्रश्न संख्या ९२७

श्री भैंरू सिंह

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६२८

ग्राम मियापुर (तहसील परबतसर) में स्कूल भवन हेतु भूमि के लिए आवेदन

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या **६२६** रह गया।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न संख्या ६२८।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) ग्राम मियापुर तहसील परबतसर के निवासियों ने उक्त ग्राम में स्कूल भवन बनाने की भूमि के लिये कब कब आवेदन पत्र पेश किये ?

(२) उक्त आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मन्त्राणी)—(१) कोई आवेदन पत्र पेश नहीं हुआ।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री **चांदमल मेहता**—किस विभाग के पास आवेदन पत्र पेश नहीं हुए ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—आपने पूछा इस सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र पेश हुए, मैंने कहा कोई पेश नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपके जवाब को चेलेन्ज करता हूं। रजिस्टर्ड लेटर से आवेदन पत्र भेजे गये हैं। मेरे पास उनकी रसीदें मौजूद हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल—मेरे पास अब तक की जानकारी यही है। आप जानकारी दे रहे हैं तो फिर जांच करवा लूंगी।

प्रश्न संख्या ६२६

पाकिस्तान की सीमा के आस पास १० ग्रामों में भूमिहीन किसानों में वितरित न करने के शासकीय आदेश

श्रीगुरुदयालसिंह संधु—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान की सीमा के आस पास १० मील के क्षेत्र में गंग कैनाल कोलोनी की भूमि, भूमिहीन काश्तकारों में वितरण न करने का हुक्म दे रखा है ?

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में बसने वाले भूमिहीन काश्तकारों को सरकार कहां पर बसाने का विचार कर रही है ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री)—

(क) पाकिस्तान की सीमा से १० मील के क्षेत्र में गंग कैनाल कोलोनी की भूमि सरकार की योजना के अनुसार एक्स सर्विसमैन को दिए जाने के लिए रिजर्व रखी गई थी किन्तु अब भूमिहीन काश्तकारों को भूमि दिए जाने की समस्या सामने आई है तो इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(ख) उक्त स्थिति में यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या जिनके लिये यह भूमि रिजर्व रखी गई थी उनमें से कुछ को वहां बसाया गया ?

श्री सम्पतराम—मुकम्मिल सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। संभव है कुछ को बसाया हो लेकिन ज्यादा को नहीं बसाया गया कहीं कहीं बसाया गया होगा।

श्री गुरुदयालसिंह—कहां कहां बसाया गया ?

श्री संपतराय—यह अलग सवाल है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने लोग बसाये गये ?

श्री सम्पतराम—मेरे पास सूचना नहीं है कि एक २ की सूचना दूं कि किस को कहां बसाया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब आपके पास यह आंकडा नहीं कि कितने लोगों को बसाया तो पहले प्रश्न पार्ट ए. का उत्तर आपने किस आधार पर दिया ।

श्री संपतराम—मैंने उतर इस आधार पर दिया कि गवर्नमेन्ट का पोलिसी मेटर मानकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया । बाद में जब रिप्रजेन्टेशन आये कि भूमिहीन किसानों के लिये जमीन की आवश्यकता है तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए दुबारा विचार किया जाना उचित समझा और विचार अब किया जा रहा है ।

प्रश्न सख्या ९२९

श्री अध्यक्ष—श्री गुरु दयालसिंह सन्धु

(अनुपस्थित)

(यह प्रश्नोत्तर आगे लिये गये हैं)

प्रश्न संख्या ९३०

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

(अनुपस्थित)

(यह प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ९३१

गिरदावरी स्लिप कृषकों को देने सम्बन्धी पटवारियों के विरूद्ध की गई शिकायतें एवं उनका निवारण

श्री कुंभाराम आर्य—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) गिरदावरी स्लिप (परची) काश्तकार को दिये जाने के आदेश सरकार द्वारा कब दिये गये ?

[श्री कुंभराम आर्य]

(२) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पटवारी लोग इस आदेश की तामील नहीं कर रहे हैं ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की शिकायत दूर करने को क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री संपतराम (उप-मंत्री)—(१) गिरदावरी स्लिप काश्तकार को दिए जाने के आदेश दिनांक १८.५.५४ को दिये गए। इसके पश्चात् राजस्व मंडल द्वारा फिर अगस्त, १९५५ में समस्त कमिश्नरों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर जहां जहां कतिपय कठिनाइयों से यह कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था वहां शीघ्र लागू करने के आदेश दिए।

(२) अधिकांशतः गिरदावरी स्लिप काश्तकारों को दी जाती रही है। जहां पटवारियों ने लापरवाही की है वहां उन्हें दंड भी दिया गया है और जहां आवश्यकता हुई है वहां काश्तकारान से स्लिप की कार्यालय प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर लेने के आदेश भी दिए गये हैं। माननीय सदस्य यदि किसी खास तहसील का नाम बतायेंगे तो वहां भी प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

श्री कुंभाराम आर्य—नोहर तहसील में कोई पर्चें नहीं बटे ?

श्री संपतराम—यदि इस प्रकार की बात है तो जांच करके शीघ्र देने का आदेश दिया जावगा।

श्री कुंभाराम आर्य—सूरतगढ़ में भी नहीं बटी है।

श्री संपतराम—वहां भी इन्तजाम करवा देंगे।

श्री कुंभाराम आर्य—लूनकरनसर में भी नहीं बटी हैं ?

श्री संपतराम—सारे बीकानेर डिवीजन के लिये इन्तजाम करवा दिया जायगा।

श्री कुंभाराम आर्य—फूलेरा में नहीं बटी हैं। किसी एक जगह का नाम तो बता दें जहां पटवारियों ने पर्चीं बांटी हों ?

श्री संपतराम—मैंने भरतपुर में खुद जाकर वहां पटवारियों को बुलाया था उनमें से ७ ने पर्चें नहीं बांटे थे बाकी सबने बांटे थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार की जानकारी में है कि जोधपुर डिवीजन में भी इस प्रकार की पर्चियें बांटनी शुरू नहीं हुई हैं ?

श्री संपतराम—यह बात बिल्कुल गलत है कि बंटनी शुरू ही नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कि किसी किसी जगह बंटनी रह गई हों।

श्री कुंभाराम आर्य—किस जगह के पटवारियों को इसके लिये सजा दी गई है?

श्री संपतराम—एक को अलवर में और २ को भरतपुर में। बाकी की जांच नहीं हुई।

श्री कुंभाराम आर्य—क्या बीकानेर में किसी पटवारी को सजा दी गई?

श्री संपतराम—यह शिकायत सबसे पहले आज आई है।

श्री कुंभाराम आर्य—क्या जमींदार लोगों की आज तक की दरख्वास्तें बेकार गई हैं?

श्री संपतराम—मेरे खयाल से ऐसी कोई दरख्वास्तें नहीं आई।

श्री कुंभाराम आर्य—आपके ओफिस में सब पड़ी हैं कहें तो टेलीफोन पर कहला दूं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बार बार आता है कि जवाब में मंत्री लोग कहते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है और माननीय सदस्य जब निश्चित सबूत देते हैं तो मैं समझता हूं इस बारे में आप आदेश देने की कृपा करें कि ऐसे अनक्वालिफाइड और वेग इन्फर्मेशन के उत्तर सदन में नहीं दें।

श्री संपतराम--यह वेग उत्तर नहीं है, डेफिनेट उत्तर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब आपकी जानकारी नहीं है तो आपको उत्तर नहीं देना चाहिये गलत उत्तर देने के कारण सदन में माफी मांगनी चाहिये।

श्री संपतराम—मेरी जानकारी निश्चित तौर से है कि कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं आये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो सर्कुलर सरकार की ओर से जारी किया गया उसका पालन करने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये?

श्री संपतराम—इसका पालन नहीं करने के बारे में जहां से शिकायतें आई, वहां इसका पालन नहीं करनेवालों को सजा दी गई। दुबारा रेवेन्यू बोर्ड को लिखा गया कि इसका पालन कराने में सख्ती से काम लें और नीचे के अधिकारियों को उसका पालन करने के लिये कदम उठावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के पास सूचना आई है कि कहां कहां इसका अमल शुरू हो चुका है?

Page No 8

श्री संपतराम—सरकार के पास सूचना आने का सवाल नहीं है। हम मानकर चलते हैं कि काम शुरू हुआ होगा। इस बारे में अगर कोई शिकायत आयेगी तो अवश्य कदम उठाया जायेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्थान में मेजोरिटी में यह अमल में नहीं लाया जा रहा है ?

श्री संपतराम—जहां जहां की शिकायत आई वहां कार्यवाही की जा रही है। मैं यह नहीं मानता कि सारे राजस्थान में अमल शुरू नहीं हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मानने नहीं मानने का सवाल नहीं है, मैंने यह पूछा है कि क्या यह सही है कि राजस्थान में मेजर भाग में यह सर्कूलर अमल में लाया नहीं जा रहा है, इसका उत्तर येस और नो में दीजिये ?

श्री संपतराम—यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सरकार के पास इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कोई रेगुलर जरिया नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ९३९

चालू वर्ष में शिक्षा विभाग द्वारा समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापन के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चालू वर्ष में शिक्षा विभाग द्वारा किन किन पत्रों को कब कब कितने कितने मूल्य के विज्ञापन दिये गये ?

(२) उक्त विज्ञापन किस किस आधार पर दिये गये ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप-मंत्राणी)—(१) चालू वर्ष में शिक्षा विभाग द्वारा किसी पत्र को किसी मूल्य का कोई विज्ञापन नहीं दिया गया।

[श्रीमती कमला बेनीवाल]

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—चालू वर्ष का मतलब ५५.५६ के साल से है। जिस समय प्रश्न दिया गया था उस समय चालू वर्ष ५५.५६ था।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—५५.५६ के बारे में आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। चालू वर्ष के बारे में मैंने बता ही दिया।

श्री चांदमल मेहता—प्रश्न उस समय भेजा गया था जिस समय ५५:५६ चालू था। आज से दो महीने पहले ये प्रश्न भेजे गए थे इसलिए ५५.५६ के आंकड़े आप को बताने चाहिए।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—चालू वर्ष इस समय ५५.५६ नहीं है। यदि ५५.५६ के आंकड़े चाहते हैं तो फिर दिए जा सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—तारीख मुकर्रर कर दी जाय कि अगली टर्न कब होगी?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जैसा अध्यक्ष महोदय फरमावेंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट टर्न पर रखदें। Next turn means this week tomarrow.

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—कल तो नहीं नेक्स्ट मंडे रख दीजिए।

श्री अध्यक्ष—Next Monday means next Session.

२० मार्च को एडवान्स कोपी भेजी गई थी।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—२० मार्च चालू वर्ष हो जाता है।

श्री चांदमल मेहता—२० मार्च चालू वर्ष कैसे हो जाता है?

श्री अध्यक्ष—इस वीक का कोई सा दिन मुकर्रर कर दें?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मैं कोशिश करूंगी, कल हो सका तो कल दे सकूंगी, नहीं तो और किसी भी टर्न पर रख लिया जाय।

प्रश्न संख्या ६२३

३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में गंगापुर तहसील में दायर हुए केसेज एवं उनके परिणाम

श्री रिद्धिचंद पालीवाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(अ) गंगापुर तहसील में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले साल में कितने केसेज दायर हुए तथा कितने केसेज फैसल हुए तथा कितने १ अप्रेल सन् १६५६ को पेन्डिंग रहे ?

(ब) पेंडिंग केसेज पिछले कितने सालों से कितने कितने पेंडिंग हैं।

(स) क्या यह सच है कि गंगापुर तहसील में नजराने की सैकड़ों फाइलें पिछले पांच सालों से पड़ी हुई हैं ?

(द) यदि हां, तो इन केसेज का फैसला शीघ्र करके लाखों रुपयों की बकाया की वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—(अ) तहसील गंगापुर में ३१ मार्च, १६५६ तक समाप्त होने वाले वर्ष में ५८१ केसेज फैसल हुए और ५६९ दायर हुए थे। तथा १ अप्रेल १९५६ को १८५ केसेज विचाराधीन रहे।

(ब) दिसम्बर, १६५५ के केवल चार केसेज विचाराधीन हैं, इससे ज्यादा कोई पुराना केस विचाराधीन नहीं है।

(स) नजराने के केसेज पिछले पांच बर्षों से कोई विचाराधीन नहीं हैं। हालांकि रिज्यूमशुदा हैं, और ज्यों ज्यों तकमील होती जाती है, स्वीकृति के लिये सम्बन्धित अधिकारी के पास प्रस्तुत कर दिये जाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—जो स्वीकृति के लिये सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजे, क्या उनकी स्वीकृति हो चुकी है।

श्री सम्पतराम—यह सवाल अलग है, यह डिटेल का सवाल है।

श्री श्रीदास गोयल—वे केसेज जो स्वीकृति के लिये भेजे जाते हैं वे फाइनली डिस्पोज्ड ओफ माने जाते हैं या पेंडिंग माने जाते हैं।

Page No 11

श्री सम्पतराम—जब वहां से स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो फाइनली डिस्पोज्ड ओफ माने जाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—ऐसे कितने केसेज हैं जो पैडिंग हैं ?

श्री सम्पतराम—यह अलग सवाल है....

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, पेंन्डिग केसेज वे माने जायंगे जो फाइनली डिस्पोज्ड ओफ नहीं हुए हैं। सवाल के बी. भाग में पूछा है कि निगरानी के कितने केसेज पेंडिंग हैं तो मेरा यह सप्लीमेंटरी रेफेरेंस टू कन्टेक्स्ट है।

श्री सम्पतराम—आपने गंगापुर तहसील का पूछा है, किस स्टेज का पूछा है ?

श्री श्रीदास गोयल—तहसील गंगापुर में नजराने के सम्बन्ध में पेन्डिंग केसेज जो फाइनली डिस्पोज्ड ओफ नहीं हुए हैं, वे कितने है ?

श्री सम्पतराम—ऐसा मैंने जवाब दे दिया है कि कोई केस नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या जितने नजराने के केसेज कमिश्नरा, कलेक्टर या सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं, उनको पेंन्डिग केसेज मानते हैं कि नहीं।

श्री सम्पतराम—आपने तहसील गंगापुर का पूछा है हो सकता है सेक्रेटेरियेट में pending हों या और किसी अधिकार के पास pending हों लेकिन तहसील में कोई केस pending नहीं है।

प्रश्न संख्या ६३४

भाखरा मंडियों सम्बन्धी शासकीय कदम एवं दूकानों के किराये पहले से आधे

श्री मनफूलसिंह—क्या विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(अ) सरकार भाखरा की मंडियां बनाने में सक्रिय कदम क्यों नहीं उठा रही है ?

(ब) क्या सरकार के ध्यान में है कि दुकानों की जो कीमत आज से एक या दो साल पहले थी आज आधी से भी कम है ?

(स) क्या सरकार हनुमानगढ़ मंडी तथा सूरतगढ मंडी जल्दी बनाने का निश्चय करेंगी ?

[श्री मनफूलसिंह]

(द) सूरतगढ़ मंडी का अभी तक सर्वे नहीं होने का क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अ) भाखरा की मंडियों के सम्बन्ध में सरकार जागरुक है और इसके लिये सक्रिय कदम उठा रही है।

(ब) यह सब परिस्थितियां बदलती रहती हैं।

(स) य मंडियां जल्दी ही बनाई जा रही हैं।

(द) सर्वे के सन्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या मंडियों के नक्शे तय हो चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—किस किस के नक्शे तैयार हो गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिन जिन के पूछे गये हैं।

श्री मनफूल सिंह—क्या भाखरा और नौहर में भी मंडियां बनेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिटेल में तो मुझे याद नहीं है पर नक्शे तैयार हो गये हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—उनका काम कब शुरू होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जबाब दिया न कि जल्दी ही।

प्रश्न संख्या ६३५

सवाई माधोपुर कलेक्टरी में पिछले पांच वर्षों से विचाराधीन भूमि के नजरानासम्बन्धी मामले

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) सवाई माधोपुर कलेक्टरी में भूमि के नजराना सम्बन्धी (मकान बनाने के लिये)

[श्री रिद्धिचन्द पालीवाल]

तहसीलवाइज कितने केसेज पिछले पांच सालों से पेन्डिंग हैं और वसूली किस कारण से रुकी हुई है ?

(ख) अब कितने समय में सरकार उक्त वसूली करा देगी ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री)—(क) जिलाधीश के कार्यालय में इस तरह का कोई केस पेंडिंग नहीं है ।

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—मैं दावे के साथ कहता हूं कि केसेज पेंडिंग हैं, और जिस अधिकारी ने यह इत्तला दी है वह गलत है ।

श्री सम्पतराम—कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स बतायी जाय ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार सम्बन्धित माननीय एम. एल. ए. की उपस्थिति में इस बात की जांच कराने के लिये तैयार है कि जिलाधीश के कार्यालय में वास्तव में ऐसे केसेज पेडिंग हैं कि नहीं, जब कि वे कहते हैं कि केसेज पेंडिंग हैं और जवाब दिया गया है कि नहीं है ? कितने केसेज पेंडिंग हैं, इसकी जांच कराई जाय ?

श्री सम्पतराम—आप इत्तला दीजिये, उन सदस्य को ही क्या जो भी ज्यादा जानकारी दे सके उसको साथ रखा जा सकता है, ज्यादा जानकारी दे सकें तो अति उत्तम होगा ।

श्री श्रीदास गोयल—जब कि माननीय सदस्य की ओर से कहा जा रहा है कि इस प्रकार के केसेज़ पेन्डिंग हैं और उत्तर दिया गया है कि नहीं है तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने को और जांच से अगर यह साबित हो कि केसेज़ पेन्डिंग हैं तो इस तरह की गलत इत्तला देने वाले अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है ?

श्री सम्पतराम—निश्चित तौर पर ।

श्री अध्यक्ष—I fail to understand what is the point in asking further questions when there is a categorical statement that no cases are pending.

श्री श्रीदास गोयल—There is an assertion from one hon'ble member that more than fifty cases are pending.

Page No 14

श्री अध्यक्ष—But the Government have emphatically stated that no cases are pending.

श्री श्रीदास गोयल—More than fifty cases are pending in the Collectorate at Sawai Madhopur.

श्री अध्यक्ष—There is no necessity of asking the question when the member concerned thinks that his information is more reliable.

श्री श्रीदास गोयल—What is the actual fact? This is my knowledge.

श्री अध्यक्ष—we will take the facts as the Government accepts them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But when the Government states one thing and thy hon'ble member challenges that, then there should be some method by which....

श्री अध्यक्ष—No method can compel the Government to....

श्री हरिकृष्ण व्यास—The simplest method would be a directive from the Hon'ble Chair that any member giving fallacious information should quit this House and go out.

श्री अध्यक्ष—My point was that when the Government had categorically stated that no cases are pending, what is the use in Government's agreeing to set up an enquiry?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The statement of the Government was no based on facts.

श्री श्रीदास गोयल—The position is that the Government has given a reply on some facts supplied by the subordinate officers and the Hon'ble Deputy Minister has said that if the information is wrong, the officer will be punished and dealt with severely. According to his (Dy. Minister) own statement the reply is based not on his owu personal information but a source from some subordinate officer and that is why a challenge has been given by Hon'ble Shri Riddhi Chand Paliwal that more than fifty cases are pending. Then why this sort of wrong information is being given in the House?

Page No 15

श्री सम्पत राम (उपमंत्री राजस्व)—I still stick to my information. I am ready to enquire into it and I say that severe action will be taken against the defaulter.

श्री अध्यक्ष—There should be no vacillation when once the Government thinks that the reply is correct. whatever may be the charges the Government should be firm and say that there is no question of any enquiry. when once a departure is made from the original reply, there is no end to supplementaries there are allegations and there is a demand that an enquiry should be made. I think the hon'ble minister need not have personal knowledge. The knowledge and information comes from the official sources and there is no question of having any personal knowledge for the Ministers.

श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या ६३६

कस्बा हिन्डौन (जिला सवाई माधोपुर) के हाई स्कूल को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करने के आदेश

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि कस्बा हिन्डौन जिला सवाई माधोपुर के हाई स्कूल को मिडिल स्कूल में परिवर्तित किये जाने के आदेश शिक्षा विभाग से जारी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त हाई स्कूल को मिडिल स्कूल में परिवर्तित किये जाने के कारण दिनांक १-४-५६ को पूरे कस्बा में हड़ताल हुई ?

(३) क्या यह बतलाया जावेगा कि उपरोक्त हाई स्कूल को समाप्त करके कौन से स्थान पर ले जा रहा है और उस स्थान की जन संख्या उपरोक्त कस्बा से कितनी अधिक है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(१) जी नहीं।

(२) जी हां, हड़ताल हुई।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

Page No 16

प्रश्न संख्या ६३७

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री धूलजी भाई ।

(अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हंसराज जटिया !

प्रश्न संख्या ६३८

कस्बा वाड़ी (धौलपुर) में दरगाह सय्यद राज बुखारी साहब के नाम से एवं उसको शासकीय आर्थिक सहायता इत्यादि

श्री हंसराज जटिया—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि कस्बा बाडी धौलपुर सब-डिवीजन में दरगाह सय्यद राज राज बुखारी साहब के नाम से है ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से उपरोक्त दरगाह को क्या नकदी मिलती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दरगाह की खिदमतगुजारी इस समय सय्यद आशिक हुसैन सखावत हुसैन कर रहे हैं ?

(३) क्या उपरोक्त दरगाह के खिदमत गुजार सय्यद अलीन खां भी थे जो कि पाकिस्तान चले गये हैं ?

(४) यदि नं० २ का उत्तर हां में है, तो क्या सय्यद आशिक हुसैन सखावत हुसैन पूरी नकदी पा रहे हैं ?

(५) क्या यह सत्य है कि जिसको माफी मिली है उनकी औलाद सुलबी में सय्यद आशिक हुसैन सखावत हुसैन हैं ?

(६) क्या सय्यद अलीन को जो पाकिस्तान चले गये हैं उनके हिस्से की माफी सय्यद आशिक हुसैन सखावत हुसैन को बराबर नहीं मिल रही है ? यदि नहीं तो क्या कारण है कि उपरोक्त खिदमत करने वालों को पूरी माफी नहीं मिल रही है जबकि पूरी खिदमत गुजार कर रहे हैं ?

श्री संपतराम—(१) दरगाह सय्यद राजजू के नाम से कस्बा बाड़ी में है और सरकार की तरफ से नकदी माफी ४९५, रुपया सालाना मिलती है ।

(२) इस समय दरगाह की खिदमत सय्यद आशक हुसैन व सखावत हुसैन कर रहे हैं ।

(३) इस दरगाह के खिदमतगुजार अलीनकी भी आधे के हिस्सेदार थे जो कि पाकिस्तान चले गये हैं ।

(४) खिदमत दरगाह नं० दो के माफिक आशक हुसैन व सखावत हुसैन कर रहे हैं और आधा हिस्सा अर्थात् २४७ रुपया ८ आना सालाना अपने अपने हिस्से के उपरोक्त व्यक्ति पा रहे हैं ।

(५) जिनको माफी मिली है उसकी औलाद सुल्बी में से सखावत हुसैन व आशक हुसैन हैं ।

(६) नहीं मिल रही है । इसका यह कारण यह है कि बजाय अलीनक के दाखल खारज किसी के नाम मन्जूर नहीं हुआ है ।

श्री हंसराज जटिया—इसके कागजात चल रहे हैं ?

श्री सम्पतराम—कागजात चल रहे हैं ।

श्री हंसराज जटिया—अब तक तय नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम—यह अलग से प्रश्न है । इसका डेफिनेट जवाब नहीं दे सकता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६३९

श्री रामदयाल ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६४०

श्रीमती यशोदा देवी ।

[श्री अध्यक्ष]

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

प्रश्न संख्या ६४१

राजपूताना विश्व विद्यालय द्वारा हिन्डौन हाई स्कूल को हाई स्कूल न रखने के निर्णय का आधार

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) हिन्डौन हाई स्कूल को राजपूताना विश्व विद्यालय द्वारा हाई स्कूल न रखने के आदेश किन कारणों से दिये गये हैं ?

(२) सरकार अब इस बारे में क्या कर रही है ? हाई स्कूल के लिए चाही गई बिल्डिंग जिसका कि आश्वासन पिछले दस सालों से दिया जा रहा है कब तक पूरा होगा ?

(३) क्या यह सच है कि हिन्डौन वासियों ने रुपये दिये हैं व कमरे बनवाकर भी दिये हैं यदि हां, तो क्या सरकार राजपूताना विश्व विद्यालय की उस आज्ञा को वापिस लेने के लिए कार्यवाही करेगी जिसके द्वारा जुलाई सन् १९५६ से नौवीं व दसवीं कक्षा को बन्द करने के आदेश दिये गए हैं ।

(४) यदि हां, तो क्यों नही ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-मंत्राणी, शिक्षा विभाग)—(१) स्कूल के लिए नवीन भवन का पूर्ण निर्माण न होने के कारण से ।

(२) सरकार भवन की कमी को दूर करने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील है और इसी वर्ष कार्य शुरू कर दिया जावेगा ।

(३) जनता एवं विकास विभाग ने रुपये दिए जिससे केवल दो कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है । छत डलवाना बाकी है । सरकार द्वारा विश्व विद्यालय को लिख दिया गया है ।

(४) उत्तर उपर्युक्त भाग ३ में शामिल है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

Page No 19

प्रश्न संख्या ६४२

प्रथम पंच वर्षीय योजना में दलित वर्गोत्थान हेतु राजस्थान व भारतीय सरकारों की धन राशि एवं व्यय

श्री हंसराज आर्य—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए गुजिश्ता पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का और भारत सरकार का कितना कितना रुपया था ?

(ब) यह रुपया किस किस कार्य में किस किस साल में कितना कितना खर्च किया गया कृपया इसकी एक सूची देने का कष्ट करें।

(स) किस किस जिले में बैकवर्ड क्लासेज की कितनी कितनी जन संख्या का लिहाज रखा जाता है। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री ब्रजसुन्दरशर्मा—(१)बैकवर्ड क्लासेज़ के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार का ५२५३५०८ रुपया एवं भारत सरकार का ७२९६५०९ रु० योग १२५३१०१७ रु० था।

(ख) यह प्रश्न इतना बड़ा है कि इसको सूचना देना संभव नहीं है। इस संबन्ध में शीघ्र ही छपी हुई रिपोर्ट प्रकाशित की जावेगी जिसके द्वारा विवरण मालूम हो जायगा।

(ग)सभी बैकवर्ड क्लासेज़ का ख्याल रखा जाता है।

(घ)इसका उत्तर (ब) में आ गया है।

श्री हंसराज आर्य—ख्याल रखा जावेगा आपने कहा। जिले के लिये कितनी रकम रखी जावेगी ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—जिलेवार नहीं रखी जावेगी। यह सब बातें आपको रिपोर्ट में मिल जायगी। यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रिपोर्ट में सब बातों का समावेश है।

श्री हंसराज आर्य—यह रिपोर्ट कब तक आ जावेगी ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—जल्दी ही प्रकाशित हो जावेगी।

श्री हंसराज आर्य—जल्दी कब ! एक माह में ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट., इस प्रश्न के आनें की वजह से और भी जल्दी होगी।

प्रश्न संख्या ६४३

सवाई माधोपुर में हाई स्कूल एवं हिन्डौन हाई स्कूल का नम्बर तथा उसे समाप्त करने संबन्धी शासकीय योजना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितने हाई स्कूल हैं और कहां कहां हैं प्रत्येक हाई स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है ?

(ख) विद्यार्थियों की संख्या के लिहाज से जिले में हिन्डौन हाई स्कूल का कौन सा नम्बर है ? क्या वहां हाई स्कूल कक्षायें समाप्त करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री मती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) सवाई माधोपुर जिले में ६ हाई स्कूल हैं जो निम्न स्थानों पर हैं तथा उनकी निम्नांकित छात्र संख्याएं हैं।

	जिला	छात्र संख्या
१.	गंगापुर	४६२
२.	सवाई माधोपुर	२६८
३.	हिन्डौन	४६६
४.	महुवा	२७८
५.	धोली	१७६
६.	टोडाभीम	४६२ प्राइमरी कक्षाओं सहित।

(ख) छात्र संख्या के हिसाब से जिले में हिन्डौन हाई स्कूल का प्रथम नम्बर है।

सरकार का हाई स्कूल को बन्द करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या ६४४

जैसलमेर की प्राथमिक पाठशालाओं हेतु बने भवन एवं उसमें शासकीय व्यय

श्री हनवन्तसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जिला जैसलमेर में कहां कहां प्राइमरी स्कूलों की इमारतें बनी हैं और उनमें सरकार द्वारा किस किस को कितना कितना रुपया दिया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—१५ गांवों में प्राइमरी स्कूलों की इमारतें विकास योजना के अन्तर्गत बनाई गई हैं जिसकी सूची सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जवानसिंह—कुल कितनी प्राइमरी स्कूलें खोली गई हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह अलग प्रश्न है। यह प्रश्न इमारतों के बारे में पूछा गया था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४५

अभावग्रस्त घोषित किये गये सराड़ा तहसील के ग्राम एवं सहायता हेतु व्यय शासकीय धन राशि

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सराड़ा तहसील के कितने ग्रामों को गत वर्ष अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया ?

(२) इन गांवों की कुल जन संख्या क्या है ?

(३) दिनांक ३०. ४. ५६ तक कुल कितनी रकम सराड़ा तहसील में रिलीफ कार्यों के लिए खर्च की गई तथा यह रकम प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी होती है ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(१) सन् १९५५ की अनावृष्टि के कारण ६४ गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जा रहा है।

[श्री संम्पतराम]

(२) जो गांव अभावग्रस्त घोषित किये जा रहे हैं उनकी जन संख्या ३६९६७ है।

(३) तहसीलों में खर्चा कलेक्टर द्वारा किया जाता है जिसका विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दिया जावेगा।

श्रीसोहन लाल भटनागर—विवरण प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंजूर कितनी हुई ?

श्री सम्पतराम—करीब ७० हजार रु० वहां पर भेजे गये मगर यह पता नहीं कि कितना रुपया खर्च हुआ और कितना नहीं हुआ।

प्रश्न संख्या ९४६

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ९४७

अलवर तहसील के विभिन्न ग्रामों में फसल से हुई क्षति एवं इस संबंधी सहायता एवं लोन

श्री घासीराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) अलवर जिले में ओलों से किस किस तहसील के कौन कौन से ग्रामों में फसल को कितना कितना नुकसान हुआ है और उन ग्रामों की सहायता के लिये क्या किया गया है ?

(ख) सहायता और लोन के रूप में कितनी कितनी रकम किस किस ग्राम के किस किस आदमी को दी गई है ?

श्री संपतराम—(क) जिला अलवर की निम्न तहसीलों में ओलों से फसल को नुकसान हुआ।

(१) बहरोड। २. मंडावर। ३. किशनगढ़ ४. तिजारा जिनकी ग्रामवार व अनु-

[श्री संपतराम]

मानित हानि की सूचि सदन की मेज पर रखदी गई है । गिरदावरों के नक्शे तैयार होने पर हानि की सूचि को अंतिम रूप दिया जा सकेगा ।

(ख) जिन ग्रामों में ओलों से फसल को हानि हुई उनकी सहायता के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए:

(१) नियमानुसार लगान के संबन्ध में स्थगन आदेश जारी किए गए ।

(२) नकद रूपया सहायता के रूप में बांटे गए ।

(३) चारे की तकावी के रूप में द्रव्य दिया जा रहा है ।

(ग) सहायता के रूप मे उक्त तहसीलों के लिए २०००) रू० व तकावी चारा आदि के लिए २०,०००) रूपए की सरकार द्वारा स्वीकृति हुई है । ग्रामवार एवं आसामीवार सची. तहसीलात से प्राप्त की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री घासीराम—यह रकम वहां पर बांटी गई या नहीं ?

श्री संम्पतराम—यह बांटी गई या नहीं यह मुझे मालूम नहीं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६६८

शिक्षा विभाग द्वारा इन्टरमीजियेट कालेजों के पुस्तकालयों हेतु पुस्तकें खरीदने संबन्धी परिपत्र

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलानेकी कृपा करेंगे:

(१) क्या शिक्षा विभाग द्वारा इन्टरमीजिएट कालेजों के पुस्तकालयों में पुस्तकें खरीदने संबन्धी कोई सरक्यूलर जारी किये गये हैं ?

(२) क्या उनमें किसी सरक्यूलर में यह आदेश दिया गया है कि उक्त कालेजों के पुस्तकालयों में पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें न खरीदी जावें ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—इस सरक्यूलर में क्या लिखा है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—पहले सरक्यूलर में इस प्रकार लिखा है :

(अश्रव्य)

और दूसरा स्कूलों का है उसमें यह लिखा है जो एप्रूव्ड नहीं हैं उनको इसके अलावा नहीं खरीदा जावे जो हाई स्कूल और कालेज के काम की नहीं हो।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

(वाद-विवाद अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुए)

प्रश्न संख्या ६४६

एस. डी. ओ. ओफिसेज़ एवं तहसीलों के एकाउन्ट्स क्लर्क्स के ग्रेड व वेतन

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) एस. डी. ओज. के आफिसेज तथा तहसीलों के काम करने वाले एकान्ट्स क्लर्क कम नाजिर के वेतन की क्या ग्रेड है ?

(२) उक्त ग्रेडों में फर्क रखने के क्या कारण हैं ?

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)—(१) सब डिवीजनल आफिसेज़ में अकाउन्ट्स क्लर्क कम नाजिर का कोई पद स्वीकृत नहीं है यह काम एक लोअर डिवीजन क्लर्क करता है जिसकी ग्रेड ५०-४-९० ई. बी. ५-१२० है।

(२) तहसीलों में काम करने वाले अकाउन्ट्स क्लर्क कम नाजिर के वेतन की ग्रेड ७५-५-१२० ई. बी. ८-१६०-१०-१८० है।

(३) उक्त ग्रेडों के अन्तर का कारण यह है कि जहां तक अकाउन्ट्स कार्य का सवाल है सब डिवीजन आफिसेज़ में वस्तुतः काम कम है और जबकि तहसीलों में हर प्रकार का हिसाबी काम होता है इसलिए तहसीलों में इस कार्य के लिए एक अपर डिवीजन क्लर्क को लगाया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिलाधीशों ने यह मांग की है कि एस. डी. ओ. के ओफिस में तहसीलों की तरह से काफी काम होता है ?

श्री सम्पतराम—This is quite a different question and no suggestion has been received by the Government so far.

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. ओफिस के एकाउन्टेन्ट को छोड़ कर एल. डी. सी. की पोस्ट नहीं है ?

श्री सम्पतराम—यह जनरल प्रश्न है; यह सारे राजस्थान में है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कलेक्टर ने एक कान्फ्रेंस में इस प्रकार का प्रस्ताव पास करके भेजा है कि तहसीलों में एकाउन्टेन्ट की पोस्ट के आधार पर ही एस. डी. ओ. के ओफिस में काम होता है और उसी ग्रेड का व्यक्ति रखा जाना चाहिये ?

श्री सम्पतराम—This is a different question. So many recommendations have been made by the collector, but how are these recommendations related to this question ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एकाउन्टेन्ट की पोस्ट के लिए सारे राजस्थान में यू. डी. सी. की पोस्ट है और एस. डी. ओ. ओफिस में एल. डी. सी. की पोस्ट क्यों है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सब ट्रेज़री का काम तहसीलों में ही होता है और बहुत थोड़ा काम एस. डी. ओ. ओफिस में रह जाता है। इसलिए तहसीलों में अपर डिविजन क्लर्क की जरूरत होती है और वहां पर नहीं।

श्री चांदमल मेहता—आपके कहने का मतलब यह समझा जावे कि एस. डी. ओ. ओफिस में एकाउन्टेन्ट के पास काम नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बहुत कम काम रहता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न संख्या ६५०

श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

श्री संतोषसिंह—पब्लिक इन्ट्रेस्ट में इसका उत्तर दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री देना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय चाहे तो मैं दे सकता हूं, वरना प्रश्नकर्ता ही उपस्थित नहीं हैं तो जवाब की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष—I don't prees. आवृत्ति।

श्री भैरूंसिंह

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता

(हो गया)

श्री गुरुदयालसिंह संधु।

प्रश्न संख्या ९२६

तहसील पदमपुर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पास जनवरी, ५५ से मार्च, ५६ तक विचाराधीन मिसलें

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—(श्री धर्मपाल पंवार ने पूछा)

क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री धर्मपाल पंवार]

(क) तहसील पदमपुर में जनवरी, १९५५ से लेकर ३१ मार्च, १९५६ तक तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास कितनी फाइलें कितने समय से विचाराधीन थीं ?

(ख) हर माह के अन्तिम दिन कितनी मिसलें विचाराधीन थीं व इतनी अधिक मिसलों के विचाराधीन रहने के क्या कारण हैं ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री)—(क) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) प्रथम खंड की सूचना खंड क की सूची में उपलब्ध है।

मिसलों के विचाराधीन रहने का कारण यह है कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को सारी प्रारम्भिक कार्यवाही करके नियमानुसार कागजों की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसमें समय लगने की आवश्यकता है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री धर्मपाल पंवार—क्या इस समय कोई मिसल विचाराधीन नहीं है ?

श्री सम्पतराम—सूची है आप देख लीजिये ।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या मिसलें लापरवाही की वजह से पड़ी रहती हैं ?

श्री सम्पतराम—यह बात नहीं है, मिसलों में प्रारम्भिक कार्यवाही करके नियमानुसार कागजों कि पूर्ति करनी पड़ती है जिसमें समय लग जाता है ।

प्रश्न संख्या ६३०

झुंझुनू जिले में विकास कार्यों के हेतु दिलाये गये रुपयों में से व्यय हुए रूपयों के हिसाब की जांच

श्री चांदमल मेहता—क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) झुंझुनू जिले में चालू वर्ष में विकास कार्यों के लिये किस किस ग्राम को कितने कितने रुपये दिलाये गये हैं ?

Page No 28

[श्री चांदमल मेहता]

(२) किस किस ग्राम की तरफ से हिसाब पेश हो चुका है और किस किस की जांच भी हो चुकी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) झुंझुनू जिले में चालू वर्ष में स्वीकृत विकास कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सूचना भी सूची के खाना नम्बर ४ में दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या इनके हिसाब की जांच लोकल फंड ऑडिट द्वारा कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लोकल फंड ऑडिट का ताल्लुक नहीं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जहां काम होता है उन्हीं का ऑडिट लोकल फंड ऑडिट करता है। यह तो कलेक्टर के दफ्तर से तय किया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—हिसाब की जांच किन अधिकारियों द्वारा की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर के दफ्तर से होनी चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या कलेक्टर के दफ्तर में इस प्रकार के हिसाब की जांच के लिये कर्मचारी नियुक्त हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एकाउन्टेन्ट वगैरह होते होंगे, तहकीक तो मालूम नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या हिसाबात के बारे में इस प्रकार की शिकायतें माननीय मंत्री महोदय के पास आई हैं कि हिसाब में काफी गड़बड़ियां हुई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन हिसाबात की जांच करके यह रिपोर्ट दी गई है, कि ये जो हिसाबात आये हैं वे ठीक हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि यह हिसाब ठीक है या कलेक्टर सर्टिफाइ करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या कहीं ऐसी भी हालत है कि कलेक्टर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है और सूची में यह बतला दिया गया है कि जांच हो चुकी है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जांच हो चुकी है उनके बारे में सूची में लिखा हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—कहने में तो कोई दिक्कत नहीं इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि जहां कलेक्टर से सर्टिफिकेट नहीं मिला कई मामलों में उनकी जांच हो चुकी है या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप जांच करने के लिये तैयार हैं कि कलेक्टर से सर्टिफिकेट मिला या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यदि आप कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स देंगे तो जाँच की जायगी।

श्री अध्यक्ष—श्री धूलजीभाई

(अनुपस्थित)

श्री धूलजीभाई

(अनुपस्थित)

श्री रामदयाल उपाध्याय

(अनुपस्थित)

श्रीमती यशोदा देवी

(अनुपस्थित)

श्री मुक्तिलाल मोदी

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार

(अनुपस्थित)

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४

(पूर्व क्रम से तृतीय वाचन एवं पारित)

श्री अध्यक्ष—राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल ।

(किसी वक्ता के बोलने के लिये खड़े नहीं होने पर श्री स्वायत्त शासन मंत्री के खडे होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष,.........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपको क्या मालूम कि क्या हो चुका है, क्या २ अमेन्डमेन्टस हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—बहुत दिनों से आये हैं, मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपकी सूचना के लिये मैं बता दूं कि जो अमेनडमेन्टस ओरीजिनल बिल में हैं वह सब मेरे पास हैं गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मुझे बराबर है ।

अध्यक्ष महोदय, जिस बिल को पास करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और जिसका नामकरण म्युनिसिपेलिटीज बिल के नाम से प्रचलित है अब तक इस सिलसिले में काफी अर्से से विचार हो रहा है, आज संशोधित रूप में यह बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, इस पर पहले भी काफी वाद विवाद हुआ था । अब पूरा विचार होकर सम्पूर्ण रूप से यह बिल जिस रूप में हमारे सामने आया है उसको देखते हुए मुझे यह कहना पडता है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं का जो स्वायत्त शासन नाम है उसका गलत रूप से उपयोग किया जा रहा है । जैसी कि मंशा किसी स्वायत्त शासन बनाने में होनी चाहिए, पूरी तरह से उसको अधिकार हांसिल हो, वह खुद ब खुद चुने हुए प्रतिनिधियों की जमात के नाते काम करती जाय सुचारु रूप से और किसी भी प्रकार का आरबिट्रेटरी दखलन्दाजी उसमें न होने पाये यह स्थिति कानून के रूप में हमारे सामने आनी चाहिये थी, लेकिन जिस बिल को पास करने का प्रस्ताव सदन के सामने है उसके कुछ अंग विशेष की ओर संकेत करते हुए बताऊंगा कि इसमें इस बुनयादी उसूल का लगभग परित्याग सा कर दिया गया है । सबसे पहले जो कलंकमयी धारा इस बिल की, जिसके लिये यह कहना चाहिये कि इसमें एक भयंकर रूप में काली दकियानूसी स्वरूप की तौर पर जो धारा रखी गई है जो हमे मध्यकालीन युग की याद दिलवा रही है, फासिस्टशाही राज्य के उसूलों के लागू करने वाली है, वह धारा है इस बिल की ६९ । जिसके अनुसार एक सिविल कोन्ट्रेक्ट जो आपस में दो पार्टीज़ के बीच में जो समझौते का होता है उस समझौते को तोड मरोड कर एक गंभीर स्वरूप जुर्म का रूप उसे दिया गया है, इस धारा में । अगर कोई मेहतर बगैर इत्तला किये काम से गैर हाजिर रह जाय या जो काम करने से इन्कार कर दे तो उस कार्य को जुर्म करार दिया जायगा और उसके लिये एक महिने की सजा देने का इस बिल में इन्तजाम किया गया है ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में म्युनिसिपल कमेटी पर यह भी बन्धन डाला गया है, बगैर नोटिस के किसी कर्मचारी को न निकाले लेकिन अगर इस बन्धन का कोई म्युनिसिपेलिटी उल्लंघन करती है तो उसको क्या सजा मिलेगी ? उसके लिये कोई सजा नहीं, बल्कि उसको नोटिस पीरियड का पैसा देना पडेगा, यह तो सिविल लाइबेलिटी है। लेकिन अगर मेहनत करने वाला सब से ज्यादा न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सबसे ज्यादा किस्म की हीन मेहनत करने वाला मेहतर है, अगर वह काम नहीं करना चाहे तो प्रजातंत्र का डंडा हाथ में रखने वाले खडे होकर कहते हैं कि हम हरेक को आजादी देना चाहते हैं, लेकिन मेहतर यदि मेहतरगिरी छोडना चाहे तो उसे आजादी नहीं, जेल में डालकर जबरदस्ती बन्दूक के जरिये उसे वह कार्य करवाया जायगा। आप उस पर क्यों दबाव डालते हैं, अगर वह काम नहीं करता है तो स्वायत शासन मंत्री को वालिन्टियरी वह काम करना चाहिये, अगर कोई बगैर नोटिस दिये जाता है तो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमेन वाइस चेयरमेन वह कार्य करने के लिये वालिन्टियरी क्यों नहीं तैयार होते, उनको वह कार्य करने के लिये तैयार रहना चाहिये, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं। समाज का यह अंग मिल गया जो मध्यकालीन युग से पिछडा हुआ है, उसकी ताकत क्या जो मध्यकालीन युग का दास है जिसे किसी प्रकार के अधिकार नहीं स्वेच्छा से कार्य करे अथवा न करे। एक सरकारी नौकरी करने वाला अहलकार, वह चाहे जिस दिन नोटिस देकर अपनी सर्विस से स्तीफा देकर अलग होसकता है और अगर नोटिस नहीं दिया उसने तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप ? आप यह करेंगे कि उसको डिस्मिस कर देंगे, चाहेंगे तो उसका जो डिपोज़िट पड़ा होगा तो उसका पैसा काट लेंगे। बड़े बड़े इन्डस्ट्रियल कन्सर्न के भी स्टेन्डिंग आर्डर हैं। उनमें भी यह लिखा है कि यदि कोई मुलाजिम बगैर इत्तला दिये, गैर हाजिर रहता है या नौकरी छोड़ कर चला जाता है तो नोटिस पीरियड जो १५ दिन का होता है उतने दिन की तनख्वाह या तो उसको दी नहीं जावेगी या काट ली जावेगी। यहां तक कि भारत सरकार के ऑर्डनेन्स फैक्टरियां जो जब्बलपुर और पूना आदि में हैं उनमें भी आप स्टेन्डिंग और आर्डर इस सम्बन्ध में देखें तो मैं अर्ज करूं उनमें भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और सच बात तो यह है कि दुनिया में जिसे सबसे गम्भीर स्वरूप का, भयंकर से भयंकर काम गिना जाता है उस अणुशक्ति का काम करने वाले मुलाजिम पर भी ऐसी पाबन्दी नहीं है कि अगर बगैर नोटिस दिये काम से गैर हाजिर हो जाय या चला जाय तो १ महीने की सजा देकर जेल में ठीक दिया जावेगा। पर यहां राजस्थान में यहां की स्वायत शासन संस्थाओं में आज एक नये युग का प्रादुर्भाव हो रहा है इस कानून के द्वारा और लोगों को एक नया सबक सिखाया जारहा है कि जिसमें यह कहा जावेगा और कहा जा रहा है कि हमने संविधान बनाया १९५० में उसमें यह अधिकार हर नागरिक को दिया गया है कि चाहे जो धन्धा करे और चाहे तो न करे लेकिन संविधान के उस अधिकार को भी यह राजस्थान सरकार नया सबक सिखा रही है। कह रही है यह अधिकार और किसी को होगा तो होगा पर मेहतर के लिए यह अख्तियार हांसिल नहीं है। म्यु० में झाड़ू चलाने वाले उस कामदार को यह हक हांसिल नहीं है। वह तो सदियों का दास रहा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है, गुलाम रहा है यह अगर इस काम से इन्कार करता है तो उसे जेल की सजा भोगनी पड़ेगी। संविधान के उस सर्व मान्य सिद्धान्त का इतने भयंकार रूप से परित्याग करने वाला इस कानून के अन्तर्गत एक धारा रखी गई है जो बहुत ही गलत दिशा में ले जाती है और इस सारे के सारे कानून की दृष्टि जो है उसको जुदा कर देती है। सच तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि अभी अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन का तो आदेश निकला है और सारे देश के अन्दर यह एक्सपेरीमेंट बरता जा रहा है कि वर्कर्स को हम मेनेजमेंट में भाग देना चाहते हैं और चूंकि दूसरे कन्सर्न्स के अन्दर इस प्रकार की कार्यवाही की शुरूआत हो चुकी है तो आशा तो यह करनी चाहिये थी कि जब आज अप्रेल और मई के महीने में, ५६ में, हम यह कानून यहां पास कराने जा रहे हैं तब इसमें उल्लेख होना चाहिये ऐसी धाराओं का जिसके अनुसार म्यु० कमेटी नाम की जो संस्थाएं हैं उनमें काम करने वाले मुलाजिम या वर्कर्स को उनके मेनेजमेंट में हिस्सा मिले, उनके संगठनों के नुमाइन्दों को कहा जावे कि वे पहुंचे और इनके मेनेजमेंट में भाग लें। पर इन मजदूरों के नुमाइन्दों को, इन काम करने वालों के नुमाइन्दों को ऐसे अधिकार देने की बात तो दूर रही लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एम्प्लोयमेंट नाम की चीज है उसका भी हनन इसमें किया जा रहा है। यह एक चीज है जिसकी ओर संकेत करना था और मैंने किया।

अभी माननीय मंत्री महोदय फरमा रहे थे कि इस बीच में तो बहुत कुछ तब्दीलियां होगई हैं और इस नाते इसमें और क्या कहना बाकी रह गया या बाकी रह जावेगा। मैंने इस पर कुछ गौर से इसे देखने की कोशिश की अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कुछ कुछ धाराओं में तब्दीलियां की गई हैं। यह सही है कि वहां कमेटी के सदस्य को निकालने का प्रश्न था वहां अब तक निखालिस रूप में राज सरकार के हाथ में यह बात थी कि वह चाहे तो निकाल दे पर अब उसे ट्रिब्यूनल के पास जांच करने के लिये भेजने का एक वाया मीडिया इसके लिए निकाल लिया गया है। पर अब भी एक धारा ऐसी है जो मालूम नहीं, क्यों अब भी चली आ रही है। सारी चीजें बदल जाती हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, मंत्री बदल जाते हैं, मुख्य मन्त्री बदल जाते हैं, लेकिन यह क्लॉज़ कुछ मुझे ऐसी नजर आई कि जो ज्यों की त्यों कायम है और वह क्लॉज़ है अध्यक्ष महोदय, जिसका संबंध है एक्जम्प्शन से। एक ओर तो मामूर किया है सरकार ने म्यु० कमेटियों को कि तुम्हारे जो दिमाग हैं, सामुहिक दिमाग, उसको हमारे राजस्थान सरकार के सेक्रेटरियट में गिरवी रख दो, इसका उपयोग मत करो, तुम्हारे इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में विचार करने का तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है पर इस फर्ज को विचार पर मत लाओ, इसको अन्जाम देने की कोशिश मत करो। म्यु० कमेटियों को एक नया सबक सिखाया जा रहा है, नये प्रजातन्त्र का सबक जिसे कहना चाहिये और वह सबक यह है कि तुम मौके बे मौके बगैर सोचे समझे हमारे हुक्म का पालन करना सीखो। तो सरकार आदेश देगी कि तुम्हें हाउस टेक्स लगाना है और वह भी कैसा? १२० रुपया सालाना की जिसकी रेन्टल वेल्यू हो जावे यानि लगभग दस रुपया माहवार, मेरा ऐसा खयाल है मध्यम वर्ग का या मामूली हैसियत का कोई भी आदमी शायद ही छूटा हो जो अपने रिहायशी के लिए भी मकान को इस्तेमाल करता हो। पर एक

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ओर जहां इन लोगों से भी टैक्स वसूल करने के बारे में सरकार ने अपने हाथ में अधिकार लिया है कि हम आदेश देंगे और तुम आंखें मूंद कर उसे लागू करो। फिर बाद में फरियाद करना अगर करनी हो तो। वहां, दूसरी ओर उस क्लॉज़ के अन्त में मैंने पहले जो मसविदा दो वर्ष पहले प्रस्तुत हुआ था उसमें भी देखा, उसके बाद सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले जिस रूप में यहां प्रस्तुत हुआ तो उसमें भी देखा, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जिस रूप में आया उसे भी देखा और अब सदन में काफी बहस करने के बाद भी जिस स्थिति में है, वह भी देखा और देख रहा हूं, पर वह क्लॉज़ ज्यों की त्यों कायम की कायम है और वह यह कि भारत सरकार की बिल्डिंगों पर टैक्स नहीं लगेगा, राजस्थान सरकार की बिल्डिंगों पर टैक्स नहीं लगेगा, और जो ये राजे महाराजे हैं, जिन्होंने शायद अमर फल खाया हुआ है, अथवा यों समझ लीजिये कि सरकार के दिमाग पर एक बड़ा भारी बोझा डाले हुए हैं, उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा । उनकी मोटर गाड़ी अगर कोई सामान कहीं से लेकर आती होगी तो उस पर टौल टैक्स नही लगेगा, उनके या उनके रिश्तेदारों के प्रयोग में जो चीजें आती होंगी उन पर टैक्स नहीं लगेगा, मुझे समझ में नहीं आया कि यह कौन से उसूल का प्रतिपादन हो रहा है। यह कौन सी समाज रचना का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है कि जिसमें एक ओर दस रुपया माहवार जिसकी रेन्टल वेल्यू है, मेरे ख्याल है जयपुर शहर में तो एक मामूली कोठरी भी होगी तो वह भी दस रुपये की गिनी जावेगी । इसके लिये तो यह आदेश है कि म्यु० बोर्ड चाहे या न चाहे पर हमारा यह आदेश है, हमारा यह हुक्म है कि उस पर यह बोझा डालो। और दूसरी ओर, सैकड़ों वर्षों से लोगों पर शासन करने वाले, आम लोगों की धन दौलत पर मौज करने वाले, ये सामन्त-शाही के नुमाइन्दे, ये राजे महाराजे, ये वाइट एलीफेन्ट इनके लिये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता । मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कौनसा है वह आपका उसूल कि जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि उनसे टैक्स न लो, कौनसी वह जबान है जो कह रही है, कुछ सोचिये अपने दिल पर हाथ रख कर, अपने कलेजे पर हाथ रखकर कि कौनसे फर्ज का पालन किया जा रहा है कि एक तरफ तो गरीब की झोपड़ी पर लुटेरों की तरह हाथ डालने की नीयत बरती जा रही है और दूसरी तरफ आज तक के लुटेरों पर, जिन्होंने आज तक जनता को लूटा, उसके धन दौलत पर ऐश करते रहे, उनको इन टैक्सों से बक्शीश देने की नीयत । यही है उसूल आपका जिसके आधार पर यह कानून पास किया जारहा है। जिस आधार पर इस कानून को पास करने का यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हैं, उस आधार को देखते हुए मैं कहूंगा कि वह समाजवाद शब्द जो है वह शब्द बेचारा कराह कराह कर रो रहा है। मैं यहां जब आया जिस आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है तो में कहूंगा कि वह समाजवाद बेचारा कराह कराह कर रो रहा है । यहां पर अभी, अध्यक्ष महोदय, सोशलिज्म के चीखने की पुकार मेरे कानों में आ रही थी। वह चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे नाम की अपने माथे पर लीफलेट लगाने वाले मेरा गला घोट रहे हैं । उसकी चिल्लाहट, उसकी वह पुकार है जो यहीं नहीं सुनाई देगी, यह सारे राजस्थान में सुनाई देगी, सारे भारत में सुनाई देगी और सारे सामान्य लोगों को सुनाई देगी कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिनकी जेब में से २ आना, ४ आना व आठ आने की दिन भर की कमाई है उसको लूटने के लिए आप बेताब हो रहे हैं।

(श्री सज्जन सिंह, सभापति, पीठासीन)

सरकार स्वयं यही करती तो समाजवाद की आत्मा की कोई सुनाई नहीं होने वाली है वह मर जायेगा और लगातार मर जायगा। यह निर्मूल रूप से इस बिल के अन्दर मौजूद है।

चेयरमेन महोदय, जब पहले इस पर बहस हुई थी तब बड़े जोर से कहा गया था कि वह एक केवेनेन्ट बनाया गया है उस केवेनेन्ट के अन्दर ऐसा लिखा है। मैंने वह केवेनेन्ट भी पढ़ने की कोशिश की और मंत्री महोदय उत्तर देते समय फेथफुली और फिडेलिटी के ढ़ंग से उत्तर दें इस बात का। केवेनेन्ट में सिर्फ लिखा है तो राजस्थान सरकार के कोई कार्य करने या न करने का उल्लेख उस केवेनेन्ट में कोई उल्लेख नहीं है इस बात का लोकल बोडीज़ का अधिकार होगा या नहीं होगा। अब सरकार को उनकी संपति इतनी प्यारी है, उन लाखों रुपयों के प्रिवि पर्स पाने वालें लोगों के प्रति उनके दिल में दया उपजती है और कहती है बेचारें तो उन बेचारों की तरफ से दे दे। वह दे तो पता लगेगा। लेकिन म्युनिसिपेलिटीज़ से जाकर कहने वाले और यहां विधान सभा में उस पर मोहर लगाने वाले कौन हैं? म्युनिसिपेलीटीज़ से किस मुंह से हम और आप जाकर कहेंगे कि तुम गरीब की झोपडी से लूट लूट कर पैसा लो और जिनसे लेना चाहिए उनके साथ उदारता का व्यवहार करो। यही समझ रखा है, चेयरमेन महोदय, खुद सरकार ने अपनी बिल्डिंगों के बारे में अथवा भारत सरकार की बिल्डिंगों के बारे में। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि टेक्स लगायेंगे किस के ऊपर? बड़ी बड़ी बिल्डिंग या तो प्राइवेट प्रोपर्टी में चली गई राजाओं के पास या सरकार ने अपने कब्जे में ले ली हैं, तो फिर उनको एक्जेम्पशन दो और लोगों से लो पैसा। यह कोई नहीं कहता कि भाई, सार्वजनिक कार्यों के लिऐ पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। यह कोई नहीं कहता कि स्वायत्त शासन संस्थाओं को चलाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। यह कोई नहीं कहता कि धन उपलब्ध करने के लिए जरूरत पड़े और टेक्स लगाना पड़े तो टेक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन यह लोग जरूर कहेंगे और कहते हैं इतना ही नहीं मौका आता है तो मनवा लेते हैं। पहले मनवाकर छोड़ा है। मंत्रीजी ने यहां कहा था कि कोई बदल नहीं होगी लेकिन वह जोधपुर के लोगों ने १० दिन के अन्दर मनवाकर छोड़ा है और शहूत के अन्दर बदली हो गई है।

मैं यह कह रहा था कि लोगों से टेक्स वसूल हो और जिसका एक नियम है, जिसको कि प्रगतिशील माना जा सकता है, वह यह है कि साधन सम्पन्न जो लोग हैं उनकी स्थिति के बारे में ज्यादा रेट से लेने का हो तो लो, लेकिन सामान्य आदमी गरीब आदमी, को इस बोझ से मुक्त करो। अवाड़ी के सोशलिज्म का जो संदेश है मेरी जो वह बुद्धि में आया है पढ़ पढ़ कर, क्योंकि उस संस्था ने वहां बैठकर क्या क्या किया है वह उन्होंने बैठक किया होगा यह तो उधर बैठने वाले

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मित्र ज्यादा जानते हैं लेकिन अखबारों में जो कुछ छपा है और जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक मेरी यह समझ में आया है और अमृतसर के अन्दर तो जोर से एलान किया गया है कि यह ध्येय है हमारा कि यह जो समाज है इस समाज के अन्दर ऐसे उसूल के काम किये जांय कि जिसमें साधन सम्पन्न लोगों से आवश्यकतानुसार उनकी स्थिति के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा साधन लिये जांय और सामान्य आदमी को इस बोझ से मुक्त किया जाय। लेकिन यह सब प्रस्ताव पास कराने के बाद जैसा कोई मन्दिर में जाकर ठाकुर को प्रणाम करे और बाहर आते ही ऐसे कार्य करे कि जिस कार्य को देखकर मामूली आदमी कहने लगे कि छिः छिः कितना निन्दनीय कार्य है। मेरे खयाल से उसी प्रकार से आवड़ी और अमृतसर के मन्दिर में जाकर ठाकुर को प्रणाम करके और २० माला का जाप करके मेरे माननीय मित्र यहां आकर बैठते हैं तब क्या कहते हैं ? तब यह कहते हैं कि साधन सम्पन्न लोगों से मत लो लेकिन गरीबों को लूट लूट कर अपना काम चलाओ। फिर यह चाहते हैं कि प्रस्ताव पास किया जाय और उस बिल पर सदन की मोहर लगाकर सारे राजस्थान की जनता के सामने भेज जाय।

इतना ही नहीं, माननीय चेयरमेन महोदय, अंग्रेजों ने भारत में एक नई प्रणाली को ईजाद किया था जो मेरे ख्याल से राज्य व्यवस्था की प्रणालियों में उनकी कम से कम एक नई चीज़, थी ओरिजनल, और उन्होंने उसका नाम रखा था डायारकी। यह कन्स्टीट्यूशनल लॉ की बात है। तो, चेयरमेन महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि वह जो डायारकी उन्होंने जो नाम रखा उसके लिए दुनिया के कन्स्टीट्यूशनल पंडित कोशिश करते करते थक गये, एनेलेसिस करते १कि आखिर क्या माजरा हैं, क्या किस्सा है कि एक ही प्रकार की सरकार का ढांचा है लेकिन अधिकार अलग अलग हैं ? एक वक्त एक ढांचे को देखने के लिए उसको निकाल दें तो दूसरे वक्त दूसरे ढ़ाचे को देखने के लिए दूसरे को निकाल दें। नाटक का वही का वही एक्टर बार बार पार्ट करता रहता है। एक बार वह मूछें निकाल कर आयेगा तो दूसरा बन जायगा और दूसरी बार जब मूछें लगाकर आयेगा तो दूसरा बन जायगा। और ऐसी टोपी लगाकर उपस्थित होगा तो कांग्रेस का नेता बन जायगा। उसी प्रकार से इन संस्थाओं को अलग अलग मौकों पर अलग अलग अधिकार हैं। उन्हीं व्यक्तियों को अलग २ मौकों पर अलग अधिकार हैं। डायारकी नाम की जो नई प्रणाली है इस प्रणाली से भी बढ़कर जैसे कि मिस्टिक लोग थे फिलासीफि के लोग थे तो कान्ट ने एक ईजाद की थी फिलासाफिकल टर्म है कि। (अश्रव्य) वैसे ही राजनैतिक अर्थशास्त्र के अन्दर एक और नई चीज आई है वह है पेरेमाउन्टसी, बड़े बड़े कन्स्टीट्यूशनल पंडितों से पूछा कि पेरेमाउन्टसी क्या है ? तो उसका केवल एक मतलब है कि अंग्रेज हुकुमत की यह जो लाठी है आखिर में वही चलेगी। किसी भी विषय में कहीं दिमाग में धांधली हो जाय तो उसका हल निकालने का अन्तिम अधिकार उन्हीं के पास पार्लियामेन्ट, केबिनेट या राजा जिसके नाम पेरेमाउन्टसी था, रहा। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्लेडस्टन

Page No 36

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लगाकर चर्चिल तक वर्षों से साम्राज्यवाद के कन्स्टीट्यूशनल लॉ के बड़े बड़े पंडित रहे हैं जिन्होंने नये नये शब्द इजाद किये, जिसके मुताबिक जो 'सावरेन बोडी' का शब्द है जारी हुआ। यानी एक चुनी हुई संस्था है जिस संस्था के अधिकार के बारे में कानून में अगर सीमा लगा दें तो कोई बात नहीं है लेकिन कानून में अलग से और किसी भी प्रकार की सीमा उस पर नहीं लगायेंगे। ऐसी स्वायत्त शासन संस्था नाम की चीज़ को एक अजीब खिचड़ी का रूप दिया है कि जहां वह एक तरफ चुनी हुई है और अपने हकों के अन्दर उस सीमा तक, हद तक सोवरिन होगी तो दूसरी तरफ इस एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत वो सरकार की मर्जी पर ऐसे धागे से लटकती है कि जिस दिन चाहे उस दिन आप उसका पत्ता काट दें। यह कौनसा नया तरीका इजाद किया गया है ? मैं समझता हूं कि कोन्स्टिट्यूशनल लॉ में अथवा इस प्रकार के कानूनों में अब तक ऐसी चीज़ का नामकरण भी नहीं हुआ होगा और करने जांय तो हाफ्डरिड मालूम होता है। उसके जरिये क्या किया राज्य सरकार ने अपने हाथ में अधिकार लिए हैं कि अलग अलग म्युनिसिपेलिटी के मेंबर हैं, अगर उन मेंबरों को जिन्दा रहना है तो वे खैरख्वाही करें और अगर नहीं तो, तुमने अपनी ड्यूटी अन्जाम नहीं दी अथवा काबिल नहीं हो कि तुम अपनी ड्यूटी अन्जाम दे सकते हो, तुम्हारे हाथ से भयंकर कार्य हो गए हैं, इत्यादि, इत्यादि चार्ज लगा करके उस मेंबर की मेंबरी खारिज करने के अधिकार लिये हैं। उस ब्रिटिश सरकार ने तो डायारकी इज़ाद की थी लेकिन राजस्थान सरकार ने तो उससे भी ऊंची चीज इज़ाद की है। इसमें तो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल इन कौंसिल थे। वहां तो जरा फर्क था। एक गवर्नर के अधिकार और गवर्नर जनरल की कौंसिल के एज़ ऐ मेंबर अधिकार। लेकिन यहां तो फर्क कितने गजब का है कि जिस वार्ड के अन्दर मतदान लिये जावेंगे वहां के मतदाताओं को अधिकार है कि तुम अपना म्युनिसिपेलिटी में नुमाइन्दा चुन कर भेजो और उन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके नुमाइन्दा चुन कर म्युनिसिपेलिटी में तो भेज दिया, लेकिन उसकी भी बड़ी चाची है राजस्थान सरकार, वह कहती है कि तुमने जो अधिकारों का प्रयोग किया है उन अधिकारों का पत्ता काटने का हमारा अधिकार है। उन मतदाताओं से ज्यादा अधिकार होगा, राजस्थान सरकार के हाथ में, सेक्रेटेरियेट के हाथ में और सेक्रेटेरियेट के हाथ में यानि एक मंत्री के हाथ में। एक मंत्री जिनको कहिये स्वायत्त शासन मंत्री, फिर चाहे वे कोई हो, चाहे वे 'अ' हो या 'ब' हो। चेयरमेन महोदय, यह कहना मुश्किल है राजस्थान के अन्दर कि कौनसे महीने कौनसे मंत्री रहेंगे और दो साल में एक ही फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट पेश कर दिया और खुद ने उन्होंने कहा भी कि मैंने ऐसा कर दिया लेकिन ऐसा पत्ता कटा कि छः साल तक जाने की नौबत होगई। तो राजस्थान के लिए यह कहना मुश्किल है कि कौनसे समय में कौनसे स्वायत्त शासन मंत्री रहेंगे। कोई भी रहें।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं

Page No 37

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोटा के मेंबर को ऐसा लगा इसलिए...

(घन्टी)

श्री सभापति (कुं० श्री सज्जनसिंह)—Please confine yourself to the subject matter.

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्वायत्त शासन मंत्री 'अ' रहे या 'ब' रहे, यह तो मैंने एक मिशाल के तौर पर बात प्रस्तुत की। म्युनिसिपेलिटी का वह मेंबर भी वह व्यक्ति होगा जो व्यक्ति हजार, पन्द्रह लोगों के वार्ड द्वारा चुना हुआ होगा, एक वार्ड ही नहीं, राजस्थान के अन्दर कस्बों में लाखों लोग रहते हैं, हजारों वार्ड होंगे, उन १० लाख, २०-३० लाख आदमियों के द्वारा वे चुने हुए व्यक्ति म्युनिसिपेलिटी में जावेंगे और उन १०,२०,३० लाख आदमियों को जो अधिकार हैं वे उनसे लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों से मेरे पास सुपीरियर अधिकार हैं। इसको प्रजातंत्र कहें, इसको स्वायत्त शासन कहें ? मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजों के डायारिकी को मात करने वाला यह एक नमूना है, क्यों कि उसमें तो फर्क था ८ आदमियों के बीच में एक व्यक्ति को अधिकार देते थे लेकिन यह जो है वह आम लोगों के सर्वोच्च जो अधिकार हैं उनको काटने का प्रयत्न है। और जब विरोध हुआ सदन में और लोगों ने कहा कि यह क्या कर रहे हो तो उस पर थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा कर उसको माइल्ड करने की कोशिश की। और कहा कि हम नहीं करेंगे ट्रिब्यूनल के जरिये होगा। जब मैंने ये शब्द देखे चेयरमेन महोदय, तो मुझे एकदम संतोष हुआ कि यह एक स्वतन्त्र बोडी होगी और स्वतन्त्र तौर पर अधिकारों का प्रयोग करेगी, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा सेन्टेन्स पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि यह तो मृग मरिचीका मालूम होती है। यह दूर से पता चलता है कि यहां पानी है लेकिन जब नजदीक जाकर देखें तो यह तो बालू का टीला है और इसमें से धांय धांय करके गरम गरम लपटें निकल रही हैं, नजदीक जाने पर पता चला कि यह तो धोखा ही धोखा है।

ट्रिब्यूनल के बारे में चेयरमेन महोदय, उल्लेख है कि "कांस्टिट्यूटेड इन दी प्रेस्काइब्ड मेनर"। जैसा हमने मुकर्रर कर दिया वैसा ही उस ढांचे का ट्रिब्यूनल होगा। अब मुकर्रर करने का क्या है ? राजस्थान सरकार चाहे जिसको मुकर्रर कर सकती है। वह नोन्टेक्निकल आदमी को डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन बना सकती है, बगैर एज्युकेशन के अनुभव के एज्युकेशन का हेड मुकर्रर कर सकती है और राजस्थान सरकार में काबलियत है कि वह नाबालिग लड़के को जमीन अलॉट कर सकती है। इस सरकार को अधिकार है ट्रिब्यूनल के आदमियों को मुकर्रर करने का, एक एक्ज़ीक्युटिव कमेटी करती है म्युनिसिपेलिटी आदि की और दूसरी एक्ज़ीक्युटिव कमेटी है, दुर्गापुरा की जमीनें अलॉट कर दे, ट्रिब्यूनल कैसा होगा। वह स्वतंत्र व्यक्तियों का होगा या नौकरी के डर के मारे हाथ उठाने वालों का होगा ? इसमें उल्लेख नहीं है। यही लिखा है कि 'कांस्टिट्यूटेड

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इन दी प्रेस्क्राइब्ड मेनर'। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह कौन करेगा ? सरकार ही करेगी। हर चीज़ को सरकार को ही करने का अधिकार है, तो फिर इनको विधान सभा में लाने का सवाल ही नहीं है। आप ही कानून बना लो तो फिर विधान सभा की आवश्यकता ही क्या ? फिर तो यही कर लो कि "वेयर इट इज़ एक्स्पीडियेन्ट...देयरफोर वी फ्रेम्ड दी लॉ।" खत्म हो गया। एक लाइन से कानून हो गया। खतम हो गया मामला पास करते जाय। ट्रिब्यूनल जैसी चीज़ जिस पर मेंबरों के अधिकार मुनस्सर होते हैं उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल भारत सरकार के अधिकार के अनुसार बनते हैं, महीनों तक काम करते हैं और महीनों तक काम करने के बाद ट्रिब्युनल खारिज कर देते हैं, कैसी दौड़ धूप होती है, हाईकोर्ट के पास जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, वकील लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब विधान सभा के सदस्यों की यह हालत है तो म्युनिसिपेलिटी के सदस्य कौन कम हैं; अपने इलाके से वे भी चुने हुए वहां आते हैं। म्युनिसिपेलिटी के मेंबर को खारिज करने का मौका आता है तो उसे कोई ट्रिब्यूनल कर देगा और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और दूसरों के पास दौड़धूप करके हाईकोर्ट में जाने वाले लोग म्युनिसिपेलिटी के लिए तहसीलदार को अधिकार देते हैं, किसी मेंबर को वह खारिज कर सकता है और फिर वह मेंबर किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। उसने क्या पाप किया है ? क्या रास्ते चलते उसने जुर्म किया है या बगैर वोट लिये ही वह आया या ऐसे क्षेत्र से आया और दूसरे राज्य में चला गया। वह भी एक लोगों का चुना हुआ नुमाइन्दा है और उसकी नुमाइन्दगी को खारिज करने के लिए ट्रिब्यूनल का कानून बनाते हैं तो उस ट्रिब्यूनल के लिए उल्लेख होना चाहिये। यह सारे कानून की जान है। तो तीनों ये उसके अंग हैं चेयरमेन महोदय, चाहे वह टैक्सेशन का अंग हो, चाहे म्युनिसिपेलिटी में काम करने वाले मुलाजिम के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है उसका अंग है, चाहे म्युनिसिपेलिटी में चुन कर जाने वाले सदस्य के अधिकारों के प्रति जो व्यवस्था रखी है उसके सम्बन्ध में हो, इन तीन चीजों के बारे में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किये। चेयरमेन महोदय, दकियानूसी दृष्टिकोण इस कानून में कूट २ कर भरा हुआ है और अंत में इस सारे के सारे का म्युनिसिपल कमेटी की तरफ क्या नजरिया है ? तरक्की का नजरियां यह है कि शुरू में जिस हद तक रखा गया है, नोमिनेशन का जो अधिकार है वह भी, एक सीमा तक, अब तक सरकार ने कायम रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कानून में जो प्रोसिजर की कई क्लॉज़ेज़ हैं, या समझ लीजिये कि इस में यह रखा है कि म्युनिसिपल सर्विसेज़ ऐसी २ होंगी, किन किन के जरिये जांच पडताल होगी, तथा कौन कौन से टैक्स किस किस पर लगेंगे, इस में प्रोफेशन्स के ऊपर टैक्स रखा है, इस तरह की क्लॉज़ेज़ हैं। ऐसी लगभग ३०० क्लॉज़ेज़ हैं। इनका निचोड अलग अलग सेक्शन्स में इस प्रकार है, यह कानून उन सदस्यों के प्रति जिन के आधार पर स्वायत शासन संस्थाओं का निर्माण होगा तथा उन सारी कमेटियों के प्रति जिन्हें म्युनिसिपल कमेटीज़ कहते हैं, उन लोगों के प्रति जो सामान्य उपभोक्ता हैं, सामान्य नागरिक हैं और उनके प्रति जो म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य हैं, मुलाजिम हैं, काम करने वाले हैं उनके बारे में ऐसा दृष्टिकोण है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जो अधिकार देने वाला दृष्टिकोण नहीं है वरन् अधिकारों पर बाधा रखने वाला दृष्टिकोण है। और जो थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं उनको छीननेवाला दृष्टिकोण है। यदि इसको इसी रूप में पास कर दिया जाय तो चेयरमेन महोदय, यदि इसी रूप में धाराओं को पास करके भेज दें, इसको कानूनी रूप देते हैं तो इसका क्या नतीजा होनेवाला है, इससे किस स्थिति का हम निर्माण करने वाले हैं इसकी कल्पना पूरी तरह से करके मिलना चाहिये। मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान सरकार चाहे तो वह भी आंकडे मंगाकर देखे कि सबसे पहला असर पडेगा उन हजारों कर्मचारियों के ऊपर जो कर्मचारी आज के दिन म्युनिसिपल कमेटियों में काम करते हैं, महतर कर्मचारी। दुनियां जानती है चेयरमेन महोदय, आज तक ऐसी प्रणाली जो राजस्थान म्युनिसिपिल कमेटीज़ के लिये रखी जा रही है वैसी प्रणाली हिन्दुस्तान के किसी भी म्युनिसिपल कमेटी में नहीं पड़ी, जिसमें पहले से एडवान्स नोटिस देकर, छुट्टी मंजूर कराकर फिर छुट्टी पर जाया करे। हकीकत यह है कि इंडस्ट्रियल कंसर्न्स तथा सेमी इंडस्ट्रियल कंन्सर्स जैसी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं जिनमें एक तरह का कानून फेक्ट्रीज़ लेबर लॉज लागू है, ऐसी संस्थाओं में जो प्रणाली आज तक पडी नहीं उसी प्रणाली को अब कानूनी जामा देकर इस दकियानूसी नोटिस को लागू करेंगे तो क्या हाल होगा? यह जो क्लॉज ६९ है उस के अन्दर हकीकत तो यह है कि एक एक कर्मचारी इस क्लॉज़ के अंतर्गत सजा पाने और फाइन देने का हकदार है। कोई पूछने वाला नहीं है। यह वस्तु स्थिति है। हम कानून के जानकार यह करने जा रहे हैं कि हजारों लोगों को एक एक महीने की सजा का फैसला सुनाने जा रहे हैं, यह मैं भी मानता हूं कि सब के सब पर यह कानून कुल्हाड़ा नहीं पड़ेगा। वह तो कुछ लोगों पर ही पडेगा। यह तो खास उन कर्मचारियों पर पडेगा जो लडने वाले हैं, उनके अधिकारों के लिये खडे होकर आवाज बुलन्द करने वाले हैं, हेल्थ ओफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ओफिसर का परदा फास करने वाले लोग हैं, जो डी. डी. टी. और दूसरी चीजों को अपने घर लेजाकर म्युनिसिपेलिटी के नाम खर्चा मांडनेवाले लोग हैं, उनका परदा फास करने वाले लोग हैं उन पर कुल्हाडा पडेगा। इस कानून के जरिये हम देश की सेवा का काम करनेवाले जो कर्मचारी हैं उनके भाग्य का निपटारा उन अधिकारियों के हाथ में दे रहे हैं जिन की शिकायत वे कर सकते हैं यह तो होगा मुलाजिमों की हालत का नतीजा।

और क्या होनेवाला है चेयरमेन महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में कुहराम मचनेवाला है, इसलिये मचनेवाला है कि बिना सोचे समझे एक मुद्दे पर लगभग अंधें की सी स्थिति है, ऐसी स्थिति में स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने यह चीज लाकर रखी है कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में जहां म्युनिसिपल कमेटी होगी उस में लाजमी तौर पर म्युनिसिपल कमेटी को हाउस टैक्स और ओक्ट्राय ड्यूटी लगानी पडेगी। मेरा यह दावा है, मेरा यह चेलेन्ज है कि भारत भर में जितनी भी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं और उनके कानून हैं उनमें कहीं भी यदि इस प्रकार की कोई धारा हो तो लाकर बतावें। यह मेरी जानकारी में है कि ऐसी धारा कहीं भी नहीं है (ऐसी ऊलजलूल, ऐसी वुडन हेडेड, ऐसी दकियानूसी धारा राजस्थान के भाग्य में ही बदी थी) यह राजस्थान का दुर्भाग्य है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि राजस्थान से ही इसकी शुरूआत हो रही है। जिन बोर्डाज़ में काम करने वाले हैं उनकी बस नहीं है। बस है स्वायत्त शासन मंत्रीजी के अडियल नीति और जिद्द का। इसका नतीजा यह होगा कि एक छोटी कोठडी या दो चार कमरों में रहने वाला मुलाजिम चाहे वह चपरासी हो, चाहे बाबू अहलकार हो, चाहे छोटी मोटी दुकान लगाकर बैठा हो, उस पर यह लाग लागू होगी...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

चेरमेन महोदय, मैं चार पांच मिनिट और लूंगा।...

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह)—How long will you take ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं चार पांच मिनिट और लूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन के ऊपर ऐसे ऐसा हव्वा लगेगा तो महीने में १० रु० का किराया तय करना एग्ज़ीक्यूटिव ओफिसर के लिये क्या कठिन बात है। सारे राजस्थान में एक साथ यह लागू हो जायगा और इसका असर कितने लोगों पर पडेगा यह सोचने की बात है। यह स्वायत्त शासन नहीं है यह तो टैक्स का डंडा शासन है। यदि इस कानून को पास ही करना है तो यह कहना चाहिये कि यह म्युनिसिपल बिल नहीं है बल्कि यह तो फोर्स टैक्सेशन बिल है। म्युनिसिपल कमेटी के नाम से तो लगा रहे हैं लेकिन उनकी मर्जी से नहीं लगा रहे हैं। मर्जी तो उनकी है जो यहां बैठनेवाले सचिवालय के लोग हैं। इसमें नाम तुम्हारा, काम तुम्हारा लेकिन हुक्म किसका? हुक्म हजूर का जो यहां बैठे हैं। पहले पुराने जमाने में राजाओं के नाम से हुक्म लागू होते थे। उनके आस पास रहनेवाले हुक्म निकालते थे, लेकिन हुक्म चलते थे राजाओं के नाम से, उनको मालूम हो या नहीं यह दूसरी बात है। लेकिन अब तो १९५६का साल ऐसा आया कि मुहम्मद तुगलक सर के बल खडा हो गया, मुहम्मद तुगलक शीर्षासन करके खडा हो गया, तो कैसी स्थिति होगी? पहले राजाओं के नाम से हुक्म चलते थे उनको मालूम नहीं होता था उसी तरह से यहां म्युनिसिपेलिटीज़ के नामसे हुक्म चलेंगे और उनको मालूम नहीं होगा। जानने वाले कौन होंगे, जाननेवाले होंगे ये मंत्री जी। ये मंत्री महोदय कहेंगे मैंने तय किया है ऐसा२ टेक्स लगाना चाहिये। म्युनिसिपेलिटीज़ जब यह कहेंगी कि हम से पूछा तो होता कि क्या टैक्स लगना चाहिये और क्या नहीं लगना चाहिये तो ये कहेंगे कि तुम क्या समझते हो। मैं हूं मुहम्मद तुगलक के समान तो जो सर के बल खडा हूं। मेरी अकेले की राय है। तुम्हारे लिये कर लगा रहे हैं, तुम्हारी तरफ से लगा रहे हैं लेकिन मैं लगाता हूं। यह कोई कानून है? यह भी कोई तरीका है, क्या यह भी कोई कानून पास करने को तमीज है। चेयरमेन महदोय, सारी दुनिया हंसेगी, लोग हंसेंगे। जिनके लिये कानून लगा रहे हैं वे विरोध करेंगे जिनके ऊपर यह लगने वाला है वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोज की जैसी आदत हैं कि नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और बाद में दिद्दूा कर लेते हैं उसी आदत के अनसार काम करना है तो दूसरी बात

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि समझ रहते चेतना अच्छी बात है, अक्लमंदी का काम है। आप यह तय करलें कि समय रहते अक्लमंदों की लिस्ट में नाम लिखाना चाहते हैं या दूसरी तरह की लिस्ट में नाम लिखाना चाहते है। मैं अर्ज करूंगा कि इन गंभीर चीजों के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस में आमूल परिवर्तन किये बगैर इस सारे कानून को पास करने का मतलब यह होगा कि हम स्वायत्त शासन के सिद्धान्त का परित्याग करके प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। जिनके नाम से यह बन रहा है उनका नुक्सान करके, मुलाजिमों का नुक्सान करके, आम लोगों का गला घोटकर उन पर बोझा डालेंगे तो इस से फायदा होने वाला नहीं है। उम्मीद तो नहीं है मुझे कि इसका कोई असर होने वाला है फिर भी मैं समझता हूं चेयरमैन महोदय, कि अगर थोडी बहुत भी समझ बाकी है तो मेरे सुझाव के बारे में विचार करने की तैयारी दिखायेंगे वरना कम से कम हम लोगों के हाथ से वे चाहते हैं कि सहयोग मिले, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसी गलत चीज में हम साझेदारी करने वाले नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं।

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय चेयरमैन, हाउस में आज तक जितने विधेयक या बिल्स आये, उनमें से यही एक ऐसा बिल आया जिसके संचालन करने वाले माननीय मन्त्री महोदय ने विधान सभा के अधिक से अधिक सदस्यों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयास किया। माननीय मन्त्री महोदय ने जो परम्परा सदन में इस बिल के बारे में चलाई है उसी तरह से आगे भी चलायेंगे तो मैं समझता हूं प्रजातन्त्र आगे बढ़ सकेगा। जब जब सदन में विचारों में विभिन्नता आई हमारे मंत्रीजी ने हाउस के पीछे विरोधी दल के सदस्यों को बुलाया, विचार-विमर्श किया और उनकी जो बातें स्वीकार करने योग्य थीं उन्हें स्वीकार किया। मैं समझता हूँ राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह उज्वल उदाहरण होगा जिसमें विरोधी दल के सदस्यों की बातों पर ज्यादा से ज्यादा विचार किया। मैं यह समझता था कि मन्त्री महोदय ने जिस तरह की भावना विरोधी दल के सदस्यों के साथ दिखाई है, उसका स्वागत करेंगे और कुछ सदस्यों ने इसका स्वागत किया भी, पर कुछ सदस्य जो उस समय उपस्थित नहीं थे उन्होंने इस तरह के शब्द कहे जो डिक्शनेरी में ऐसे व्यक्तियों के लिये शब्दावली रहती है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार की बहुत सी बातें जो इधर उधर से लाई जा सकती थीं, वह भी थोपी जिसका नतीजा यह है कि काली इतिहास के बुरे पन्ने आपके सामने लाना है, एक्ट से तो उन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री एच. के. व्यास—मेरा इशारा तो श्री ब्रजसुन्दरजी की तरफ था।

श्री गौरीशंकर आचार्य—हम विधान सभा के सदस्यों का कर्तव्य है कि स्वायत्त शासन मन्त्रीजी, ने जिस विचारधारा से इस बिल को चलाया है, इस बिल के अंगों के लिये सभी की विचारधारा का उचित सम्मान किया है, उसके लिये उन्हें हृदय से धन्यवाद दें। मैंने इसी एक विभाग के मंत्री को

[श्री गौरीशंकर]

देखा जिन्होंने अधिक से अधिक प्रजातन्त्र प्रणाली से इस बिल को चलाने का प्रयत्न किया, इसके लिये हम माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहते हैं।

इस बिल की खास बात यह है कि जहां इन म्युनिसिपल बोर्ड को इतने अधिकार दिये हैं वहां जो कर्मचारी, जो अधिकारी काम करते हैं, उनके संरक्षण का ध्यान रखा गया है, जिसकी कि वर्षों से मांग की जा रही थी। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग के जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं वे संतोष की सांस लेंगे और महसूस करेंगे उनकी सर्विसेज़ भी उतनी ही सुरक्षित हैं जितनी कि सरकार के दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षित हैं।

इसके अतिरिक्त एक बड़ी बात यह है कि आज तक म्युनिसिपल बोर्ड्स आर्थिक कमियों के कारण काम नहीं कर सकते थे, इस बिल के पास हो जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जायगी और इसके पास हो जाने से हर एक म्युनिसिपल बोर्ड अपने आपको आर्थिक दृष्टि से व्यवस्थित समझेगा, मैं समझता हूं स्वायत्त शासन के लिये यह बहुत जरूरी था। इस दृष्टि से हम इस बिल का तहेदिल से स्वागत करते हैं।

कुछ कमियां भी इस बिल में नजर आई हैं। काश यह बिल भारतीय भाषा में हमारे सामने आता तो ज्यादा अच्छा रहता। पर ब्रिटिश गुलामी के संस्कार आज स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद भी हमारे यहां मौजूद हैं, अंग्रेज चले गये तो भी आज हम अंग्रेजी भाषा में कानून बनाने की कोशिश करते हैं। मैं हैरान हूं कि अंग्रेजों की गुलामी का असर आज भी क्यों मौजूद है? यह इतिहास साक्षी है कि विदेशी शासक जाति शासित देश की भाषा को तबाह करती आई है, मुझे दुख इस बात का है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी आज ब्रिटिश गुलामी के संस्कार हम में क्यों मौजूद हैं?

साथ ही मुझे इस बात की खुशी है कि इस बिल का हिन्दी अनुवाद भी पेश किया जा रहा है, यह परम्परा अच्छी है और मैं समझता हूँ कि आयंदा सब बिल हिन्दी में ही होंगे। जहां हमने हिन्दी में अपनी विधान सभाओं को विधान सभा, राज्य सभा और लोक सभा को राज्य सभा व लोक सभा के नाम से पुकार कर इस प्रकार की व्यवस्था की है वहां हमें दुख है कि हमारी नगरपालिकाओं को हिन्दी में नहीं कर सके, क्या हमारी हिन्दी भाषा में शब्दों की कमी है या वह अभी तक समृद्ध नहीं हो सकी है? यह हमारे संकुचित दृष्टिकोण या किसी दूसरे दृष्टिकोण का परिचायक है। बावजूद इन खामियों के हम स्वायत शासन विभाग मंत्री को उनके द्वारा दिखाई गई उदारता के लिये धन्यवाद देना चाहते हैं, म्युनिसिपेलिटिज़ की जो हालत सुधारी है उसके लिये धन्यवाद देना चाहते हैं।

[श्री गौरीशंकर]

विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने बातें कही हैं, मैंने ध्यान से सुना और गौर से विचारा तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो बहुत आवश्यक थीं। इसमें आवश्यक टैक्सेज़ लगाये गये हैं। यह टैक्स नहीं लगाते थे तो म्युनिसिपेलिटीज़ के कर्मचारियों की हड़तालें होती थीं और आपस में म्युनिसिपेलिटीज़ और उनके कर्मचारियों के संघर्ष होते रहते थे। इस आपसी संघर्ष से बचाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने ऐसी अच्छी योजना रखी है कि कुछ आवश्यक टैक्स लगा देते हैं जिससे म्युनिसिपेलिटीज़ के कर्मचारियों और वहां की जनता में आपस में संघर्ष नहीं होगा। इसलिए आवश्यक टैक्स लगाये गये हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है कि गरीब तबका इन टैक्सेज़ से बचा रहे। इसलिए कच्चे मकानों को इससे मुक्त रखा गया है, जिन मकानों का किराया कस्बों में ५ रुपया प्रतिमास और नगरों में १० रुपया प्रतिमास है उन मकानों को इस टैक्स से मुक्त रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हाउस टैक्स लगाने के बाद वे अट्टालिकाएं और बड़े मकान जो शहरों में ऊंचे खड़े हैं और सबसे ज्यादा गन्दगी फैलाते हैं, ज्यादा गन्दगी फैलाने के वे जिम्मेदार थे और सफाई के लिये कुछ नहीं देते थे। अब इस कानून के पास हो जाने से वे अब म्युनिसिपेलिटीज़ को कुछ देने लगेंगे, मैं समझता हूं वे समाजवादी सदस्य इसके लिये सरकार को बधाई देंगे।

राजाओं को छूट दी गई है, इसके लिये जिन लोगों ने कानून पढ़ा है, भारत का संविधान पढ़ा है वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें हमारे लिये दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको हमारा स्वायत्त शासन विभाग हाथ में लेता है या अगर कोई विभाग हाथ में लेता है तो उन मामलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति पर अमल करना होता है। राजाओं के जो आलीशान मकान नजर आते हैं वे बहुत समय तक नजर नहीं आयेंगे। भारत सरकार का कदम इतना सही तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से उठा है कि हिन्दुस्तान का इतिहास इस चीज का साक्षी है। दुनियां का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां दुनियां के दूसरे देशों को, जहां राजाओं महाराजाओं और जागीरदारों को हटाने के लिये रक्तरंजित कार्यवाहियां करनी पड़ीं वहां हिन्दुस्थान ने, भारत सरकार ने जो पद्धति अपनाई है उससे बिना किसी प्रकार की अशान्ति के इनको हटाया और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये राजा महाराजाओं के आलीशान मकान भी अधिक समय तक नहीं रहेंगे। एक बात और कही गई और वह यह कि सरकार को चुने हुए सदस्यों को बरखास्त करने का अधिकार दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अधिकार दिया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के जरिये ऐसे कार्य किये जा सकते हैं जो अपने प्रान्त और राष्ट्र के हित में नहीं हों या विश्व के हित में नहीं हों। यदि कोई सदस्य ऐसा कार्य करता है और सरकार किसी सदस्य को इसकी पूरी तरह जांच करने के बाद बरखास्त करती है तो मैं समझता हूं कि कोई अनुचित नहीं है। क्योंकि उसके कार्य से देश और प्रान्त बरबाद हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बीकानेर म्युनिसिपेल्टी का कोई सदस्य पाकिस्तान को माल भेजने में शरीक हो

[श्री गौरीशंकर]

या ऐसा कोई काम करे जिससे प्रांत का बुरा हो सकता है, अगर हम ऐसे व्यक्ति को बरखास्त नहीं कर सकते तो यह वाजिब बात नहीं होगी। उसको बरखास्त करना प्रजातन्त्र के हित में है। इसलिये प्रजातन्त्र के हित में किसी चुने हुए व्यक्ति को उचित जांच करने के बाद बरखास्त करें तो इसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं मैं समझता हूं कि वे ब्रिटिश सरकार के जमाने की बात करते हैं, जब हम यह चाहते थे कि सरकार को कम से कम अधिकार दिये जावें। लेकिन अब तो हम यह देखते हैं कि हमारी ही सरकार है और बहुमत से बनी हुई है। सरकारें बदलती रहती हैं फिर इस प्रकार का अधिकार सरकार को नहीं देना उचित नहीं कहा जा सकता।

एक बात यह कही गई कि जिस जाति की कन्या को महात्मा गांधी वाइसराय भवन में देखना चाहते थे उसी को आज यहां पर कानून में जेल के सिकचों में बिठा कर रखा गया है। यह एक इस बिल में बहुत बड़ा कलंक नजर आता है कि जिस हरिजन कन्या को महात्मा गांधी वाइसराय भवन में ले जाना चाहते थे उसको इस कानून द्वारा हम जेल में बिठला सकते हैं, अगर इस कानून के जरिये औरों को भी जेल में बिठलाने का प्रोविजन होता तो इस चीज को महसूस करते, लेकिन दूसरों के लिये कोई प्रोविजन नहीं है और केवल हरिजनों के लिए ही है। इस कानून द्वारा हरिजन बहिनों को एक दिन जेल में नहीं ३० दिन तक जेल में रखा जा सकता है। एक ऐसी चीज नजर आती है जो वास्तव में उचित नहीं कही जा सकती। लेकिन जब भावनाओं को अलग रख कर इस पर सोचें तो पता लगेगा कि यह दुख की बात नहीं है। सच्ची बात यह है कि समाज को सुरक्षित रखने के लिए, रोगों के कीटाणुओं को समाज में फैलने से बचाना भी उचित है और अगर एक दिन भी सफाई नहीं हो तो क्या हालत हो जाती है। अगर चार दिन सफाई न हो तो यहां भी दिल्ली की तरह हालत हो सकती है। आपको मालूम होगा कि जरासी गलती से दिल्ली में पीलिये का रोग फैल गया और हजारों लोग उसके शिकार हो गये। अगर आज जयपुर में ५ या ७ रोज तक सफाई नहीं हो तो न मालूम कौन कौन से रोग फैल सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इनकी सेवाएं उपलब्ध हों और इसीलिए यह कानून में व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार के कानून से हरिजनों की इज्जत और बढ़ी है और उनकी सेवाओं को आवश्यक समझा गया है। मैं तो यह समझता हूँ कि इससे उनका सन्मान और बढ़ा और इज्जत बढ़ी ही है। और हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि इनकी सेवाओं को छोड़ने पर समाज बीमार हो सकता है। समाज अपना रोजाना का काम भी ठीक तरह से नहीं कर सकता है। आज ये सेवाएं जो हरिजनों द्वारा की जा रही हैं अगर रुक जाये तो समाज अपना काम नहीं कर सकता।

मुझे यह खुशी है कि जब कभी माननीय मन्त्री महोदय के सामने कोई बात रखी गई तब उन्होंने बड़ी उदारता से उसको सुनी और उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश की। अगर

[श्री गौरी शंकर]

इसमें भी कोई कानूनन दिक्कत नहीं होती तो मैं समझता हूं कि ऐसे उदार हृदय मन्त्री के रहते हुए यह भी दिक्कत नहीं रहती। यदि उनकी उदारता को देखते हुए यदि हमारे विरोधी दल और दूसरे सदस्यों ने उनकी उदारता का स्वागत नहीं किया तो मैं यह कहूंगा कि यह एक प्रकार से बहुत बड़ा अन्याय होगा। हमें और आप सबको उनको उदारता के लिए धन्यवाद देना चाहिये। इसलिए मैं बड़ी खुशी के साथ अपने सब भाईयों से यह कह सकता हूं और कहूंगा कि इस बिल को सर्व सम्मति से स्वीकार करें ताकि हम स्वायत्त शासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकें।

श्री चन्दनमल बैद—चेयरमेन महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूँ। मैं अपने पूर्ववक्ताओं से इत्तफाक रखता हूँ कि इस बिल को पाइलोट करने वाले माननीय मन्त्री जी ने पाइलोट करते समय जो उदारता दिखाई वह सराहनीय है। इसमें विरोधी दल या अपने दल में विरोधी महानुभावों का जितना खयाल इस बिल को पाइलोट करते समय रखा गया है मैं समझता हूँ कि किसी भी दूसरे बिल को पाइलोट करते समय नहीं रखा गया। इसलिए हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहिये। उनको इस बिल के दौरान में जितनी कमियें बताई गईं उनको आपने दूर करने में तत्परता दिखाई। इसके लिए भी बधाई देनी चाहिये। इसके अलावा मैं तो इनको ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी कमियें बताईं और विचार बिल के सम्बन्ध में रखे उन पर माननीय मन्त्री महोदय ने ध्यान भी दिया इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनका आभारी हूँ। इतना होने के बावजूद भी इसमें दो चार कमियें रह गई हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

पहली बात रिमुवल ऑफ मेम्बर के बारे में कहूंगा। यह करीब-करीब तय हो गया था और माननीय मन्त्री महोदय ने सदन में यह कह दिया था कि अगर किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत हो और कोई कार्यवाही शुरू की जावेगी और जब तक वह कार्यवाही चालू रहेगी तब तक उस व्यक्ति को सस्पेन्ड करने का प्रश्न है, उसको सस्पेन्ड नहीं किया जावेगा। लेकिन न मालूम क्या बात हुई, कैसी बात हुई कि इसमें एक क्लॉज़ रख दिया गया कि मेम्बरों को शिकायत की जांच के दौरान में सस्पेन्ड किया जावेगा। जब सरकार एक दफा उस सदस्य के कन्डक्ट के विषय में जांच कर लेगी कि इस सदस्य ने सचमुच ऐसा कार्य किया है तो उस मामले को ट्रिब्यूनल को दे दिया जावेगा और जब तक जांच होगी वह सस्पेन्ड किया जावेगा। मैं समझता हूं कि इसके ड्राफ्ट में कुछ ऐसी गलती रह गई है। इसके अनुसार शिकायत आयगी और सरकार ने यह फैसला दिया कि उसकी जांच करानी चाहिये तो उसकी जांच के साथ ही उस सदस्य को सस्पेन्ड कर सकती है। मैं यह कहूंगा कि अब तो कानून में कोई तरमीम नहीं हो सकती और यह भी नहीं हो सकता कि कोई नया एमेंडमेंट लाया जाय और रखा जाय। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय कम से कम ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि जब तक इस मामले को ट्रिब्यूनल को नहीं भेजा जावेगा और जब तक सरकार को यह जांच से साबित नहीं हो जायगा कि सचमुच उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, सरकार उसको सस्पेन्ड नहीं करेगी। ऐसा आश्वासन सरकार देगी।

[श्री चन्दनमल वैद]

दूसरी बात मैं बहुत जोरों के साथ कहना चाहता हूं वह यह है कि हमने जो म्युनिसिपल कर्मचारी हैं जिनको हम हरिजन कहते हैं उनके लिए यह प्रोविजन रखा है कि अगर वह कर्मचारी बगैर नोटिस के गैरहाजिर रहे तो उसको एक माह की कैद की सजा दी जा सकती है। यह क्लॉज़ पहले तो कानून में आना ही नहीं चाहिए था। जब क्लॉज़ आया कानून में तो इसका विरोध हाउस में हुआ और हाउस के बाहर एक छोटी सी कमेटी ऑफिशियल और नोन ऑफिशियल मेम्बरों की बनी। उसमें हरिजनों के मन्त्री मौजूद थे। मेरी समझ में नहीं आता कि हरिजन मन्त्री जब वहां मौजूद थे तो उन्होंने इस क्लॉज़ को कैसे उचित समझा कि हरिजनों को सजा दी जावे यदि वे बगैर नोटिस काम पर जाना बन्द कर देते हैं। अगर इस प्रकार की क्लॉज़ हरिज़नों के लिए रखी जाती है तो दूसरे कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं रखी जाती है? उनको चाहिये था कि वे इसको ऑपोज़ करते और कहते कि दूसरों के काम के लिए यह नहीं है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब यह कहा जा सकता है कि इनके काम के बन्द होने से जनता को बहुत तकलीफ होती है। मैं यह कहूंगा कि बिजलीघर और वाटरवर्क्स भी इतने ही जरूरी हैं जितना कि हरिजनों का काम। ये दोनों विभाग इसके अन्तर्गत आ सकते हैं। उन पर इस प्रकार का प्रोविजन क्यों नहीं लगाया गया, क्या इसलिए कि हरिजनों के प्रतिनिधि वहां केबिनेट में हैं? क्या जो प्रिविलेजेज़ मंत्री उठाते हैं उस वजह से सारी जाति नुकसान उठाए? क्या वजह है कि उन्होंने इसको ऑपोज नहीं किया? अगर मैं किसी स्पेशल क्लास का प्रतिनिधि होता और इस प्रकार का अत्याचार मेरी जाति पर होते तो मैं उसी वक्त केबिनेट से बाहर चला आता। उनको भी चाहिये था कि वे केबिनेट के बाहर चले जाते।

(हंसी)

मैं समझता हूं कि यह एक सोचने की चीज है। हरिजनों के प्रतिनिधि जो केबिनेट में हैं उनको इस मामले को हंसकर नहीं टालना चाहिये। यह ठीक है कि उनको कुछ केबिनेट में प्रिविलेजेज़ मिले हैं और उसकी वजह से यह क्योंकि उनकी जाति को ज्यादा तकलीफ उठानी पड़े। अगर यह बात है कि उनको ज्यादा प्रिविलेज मिले हैं और इस वजह से उनकी जाति को तकलीफ उठानी पड़े तो यह दूसरी बात है।

तीसरी बात मैं कम्पलसरी टैक्स के बारे में करना चाहता हूं, क्योंकि जिस रूप में हम टैक्स लगाना चाहते हैं उस रूप में ये कंपलसरी टैक्स नहीं होंगे, इसकी वजह यह है कि जो एमेंडिंग क्लॉज़ रखा है उसमें यह प्रोविजन है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड यह चाहे और किसी तरह से यह बता सके कि फलां फलां टैक्स नहीं लगाने चाहिये तो सरकार उसको राजपत्र में छपा कर उनको कैंसिल कर सकेगी। इसमें करप्शन की बहुत बडी गुंजायश है, इसलिये यह नहीं होना चाहिये।

[श्री चन्दनमल वैद]

परन्तु फिर भी हमने एक सिद्धान्त के रूप में मान लिया है कि म्युनिसिपल बोर्ड में कम्पलसरी टैक्स लगना चाहिये। माननीय चेयरमेन, बड़ी बड़ी म्युनिसिपेल्टीज़ हैं वे टैक्स नहीं लगाती हैं और खर्चा बहुत करती हैं और उसका नतीजा यह होता है कि हमारी स्टेट रेवेन्यू पर इसका बोझ पडता है। जयपुर, जोधपुर की म्युनिसिपेल्टीज़ हैं वे खर्च करते रहते हैं और टैक्स लगाते नहीं और उसका नतीजा यह होता है कि कर्मचारियों की हड़ताल होती है और काम बंद हो जाता है, जनता को परेशानी होती है और नतीजा यह होता है कि सरकार को कर्जा देना पडता है। एक तरह से सरकार को ग्रान्ट देनी पड़ती है। आज देखें तो इस तरह से २०, २५ लाख जयपुर पर कर्जा है और इस तरह से जोधपुर की म्युनिसिपेलिटी और दूसरी म्युनिसिपेल्टीज़ पर लाखों रुपयों का कर्जा है।

माननीय चेयरमेन वे लोग यह चाहते हैं कि हम टैक्स नहीं लगाएं। मैं यह समझता हूं कि यदि वे यह चाहते हैं कि टैक्स नहीं लगाया जावे तो उनको खर्चा करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिये। वे लोग यह चाहते हैं कि टैक्स लगाकर जनता से दुश्मनी क्यों मोल लें और वाह वाह को क्यों छोडे। मैं यह निवेदन करूंगा कि टैक्स कम्पलसरी लगाये जाने चाहिये, वे चाहें या नहीं। यह नहीं होना चाहिये कि हम छोटे छोटे कस्बों और गांवों से टैक्स लें और उदयपुर में ले जाकर खर्च करें। इसीलिये यह इस बिल में प्रोविजन के रूप में रखा गया है। यह कहना कि हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा नहीं है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो चीज यहां पर हो रही है वह दूसरे प्रोवीन्सेस में हो ही और हम उसकी नकल करते रहें।

इसके अलावा माननीय चेयरमेन, वार्ड्स के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं आगे जो चुनाव होंगे वह सिंगल कोन्स्टीटुएन्सी वार्ड होंगे, एक वार्ड होता है उसमें ८ सदस्य चुनने या १० सदस्य चुनने को होते हैं। आम तौर से उसके लिये ३० आदमी होते हैं। उसके लिये एक बक्स रखा रहता है। अब ३० या ३५ आदमियों के नामों का एक बेलेट पेपर होता है जो ३ या ४ फीट लम्बा होता है। यह मेरी पर्सनल जानकारी है और मैंने ऐसा लम्बा बेलट पेपर देखा है। ३० या ३५ नाम होते हैं उनको कस्बों और छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोग याद नहीं रख सकते और न उनके निशानों को याद रख सकते हैं। वे पोलिंग ओफिसर या किसी को निशान लगाने के लिये कहते हैं तो वह गलत भी निशान लगा सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हर शहर में सिंगल मेम्बर कोन्स्टीटुएन्सी के आधार पर चुनाव होना चाहिये और जिस तरह से जनरल इलेक्शन होता है उसी तरह से होना चाहिये। जिससे कि जो व्यक्ति जिस आदमी को वोट डालना चाहे उसके पक्ष में वोट डाल दे। यह एक सरल तरीका होगा। उसमें बहुत कम्पलीकेसीज़ हो जाती हैं। एक आदमी ३५ नाम याद नहीं रख सकता है। किसान लोग अनपढ़ होते हैं और पोलिंग ओफिसर को निशान लगाने के लिये कहते हैं तो वह किसी दूसरे के आगे निशान लगा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जब म्युनिसिपल इलेक्शन के लिये रूल्स बनावेंगे उस समय इसका ध्यान रखेंगे और सदन को इस बात का विश्वास दिलावेंगे।

[श्री चन्दनमल वैद]

इन सब बातों के बावजूद भी हमारे सामने यह म्युनिसिपल बिल बहुत अच्छे रूप में आया है। शुरू शुरू में जब यह सिलेक्ट कमेटी में आया सदस्यों की यह राय नहीं थी कि सरकार को इतना ज्यादा पोवर दे दिया जावे, मगर जब माननीय मन्त्री महोदय की यहां पर भावना देखी तो सदस्यों ने उनकी भावना से खुश होकर सरकार को ज़्यादा से ज्यादा पोवर दिये। इस बात को समझते हुए कि माननीय मन्त्री एकोमोडेटिंग नेचर के हैं और वे जनता और सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखते थे। जो सदस्यों की भावना से एकोमोडेट नहीं करते तो सदस्य भी यह चाहते हैं कि सरकार को ज्यादा पोवर नहीं मिलने चाहिये।

इसलिये मैं माननीय चेयरमेन से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास करें। माननीय चेयरमेन, एक बात मैं कहनी भूल गया अगर आप इजाजत दें तो मैं कह सकता हूं।

श्री **सभापति**—यस, कहिये।

श्री **चन्दनमल**—अभी जब हम इस बिल को पास करने जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी मिसाल हमारे सामने आई है और उससे माननीय मन्त्री महोदय को सबक लेना चाहिये। हम सदन में जिस तरह से चुन कर आये हैं उसी तरह से नगरपालिका के सदस्य भी चुन कर आते हैं और उनके लिये हम यह प्रोविजन कर रहे हैं कि अगर उनकी जांच हो और मालूम हो कि गलत कार्य किया है तो दौरान कार्यवाही (इन्क्वायरी) उनको सस्पेन्ड किया जा सकता है। मगर जब केबिनेट में बैठने वाले भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ यह चाहते हैं कि हम किसी तरह से कायम रहें तो मैं यह कहूंगा कि वे भी चुने हुए होते हैं और हम भी चुने हुए हैं। वहां पर आप ट्रिब्यूनल में मामला भेजने से पहले उनको सस्पेन्ड कर सकते हैं और दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी बने रहना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इन दोनों भावनाओं के बीच में माननीय मन्त्री अवश्य विचार करेंगे और उस सदस्य को हाइएस्ट जुडिशियरी के पास जाने और इस बात को साबित करे कि हम निर्दोष हैं। इसी तरह से दूसरे सदस्यों को भी हमको हक देना चाहिये कि वे हाइअर जुडिशियरी से अपना फैसला करा सकें और अपने आपको निर्दोष साबित करा सके। यदि ऐसी ट्रिब्यूनल हमारे सदस्य को ३, ४ या ५ साल के लिये डिसक्वालीफाई कर दे तो उसके लिये हमें यह रखना चाहिये कि वह हाइयर जुडिशियरी में जा सकता है, जब हम दोनों चुने हुए हैं तो हमारे सामने एक ही एग्जेम्पल होनी चाहिये।

(घंटी)

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर आप गम्भीरता से सोचेंगे।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वायत्त शासन मन्त्री)—चेयरमेन महोदय, म्युनिसिपल बिल आज थर्ड रीडिंग के लिये इस सदन के समक्ष आया है। इस सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी से लेकर और अब

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

तक इस बिल पर सदन में और सदन के बाहर काफी चर्चा हुई है। इस संबन्ध में जहां तक गवर्नमेंट की ओर से मेरा संबन्ध है, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी स्टेज पर चाहे वह सिलेक्ट कमेटी में हो, चाहे वह सदन में हो, चाहे सदन के बाहर, जब जब कोई मामला सदन में आया मैंने कभी इस बात को नहीं कहा कि यह कानून होना ही चाहिये,' चाहे वह प्रोपोजल ओपोज़िशन की तरफ से आया, चाहे किसी की तरफ से आया। बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी भी बातें हुई तो सभी पार्टी के जो नुमाइन्दे थे उनकी राय ली गई, इसके लिये हमे एक घंटे बैठना पड़ा तो हम बैठे, चार चार और पांच पांच घंटे भी बैठकर हमने बातें कीं और फिर एक मत होकर सब सदस्यों की राय कायम की उसको इसमें एन्कोरपोरेट करने की कोशिश की है।

इसके बावजूद भी हो सकता है इसमें कुछ खामियां रह गई हों और मैं दावा भी नहीं करता कि इसमें खामियां नहीं रही हैं। पर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ प्रोवीजन ऐसे जरूर रक्खे गये हैं जो अन्य प्रान्तों के मुकाबले में और उनके कानूनों के मुकाबले में कहीं अधिक प्रोग्रेसिव हैं। और इस सम्बन्ध में सबसे पहले निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर अबतक राजस्थान में नोमिनेटेड मेम्बर का प्रोवीजन था और आजतक भी वे प्रोवीजन मौजूद हैं और वे प्रोवीजन पहले की सभी स्टेटों में थे। पर यह पहली बार हुआ है जब कि हमने नामजद सदस्यों का प्रोवीजन खतम करके सिर्फ हरिजनों को, जैसा हमारे संविधान में है, उनके लिये कुछ 'रिजर्व सीटें रक्खी हैं और मैं समझता हूँ कि यह इस प्रजातन्त्र के युग में एक प्रोग्रेसिव कदम है और इसी के अनुसार हमने यह कार्यवाही की है।

इसके साथ ही एक दूसरी बात है, जितने भी अन्य प्रान्तों के इस बारे में कानून हैं उनमें अभी तक कहीं भी सर्विस बनाने का प्रोवीजन नहीं है। यह पहला मौका है कि जब कि हमने इस बिल में इस बात का समावेश किया है। सारे राजस्थान के लिये एक म्यु० सर्विस होगी और इसका अपोइन्टमेन्ट, डिसमिसल, रिमूवल और ऐसी सारी कार्यवाही पी. एस. सी. के मार्फत होगी। ऐसी हमारे यहां के सभी सदस्यों की राय भी थी कि जैसे सरकारी आदमियों की नियुक्तियां वगैरह होती है उसी तरह की यहां भी हों और एग्ज़ीक्यूटिव बोडी स्वतन्त्र होनी चाहिये। तो इसको स्वीकार करके हमने इसमें प्रोवीज़न किया है। यह एक बहुत बड़ा कदम है और मैं यह समझता हूं कि यह बात उचित है और मुनासिब भी है। मैं यह भी आपको बतादूं कि अभी ऑल इण्डिया लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट की कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें यह जिक्र आया और एक प्रस्ताव भी पास किया गया था कि हर प्रान्त की एक म्यु० सर्विस बनाई जावे जो इन्डिपेन्डेन्ट बोडी हो और जिसके अपोइन्टमेन्ट वगैरह का काम किसी स्वतंत्र बोडी को दिया जावे जैसे सरकारी सर्विस का है। तो इस प्रस्ताव

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

की भावना का इस कानून में समावेश किया गया गया है और इसी प्रकार मैं समझता हूं कि मथाई कमीशन ने भी जो हमारे यहां पर टैक्सेज़ के बारे में लेटेस्ट ओथोरिटी है उसने भी मेन्शन किया है कि म्यु० सर्विसेज़ में, जो टैक्नीकल सर्विसेज़ हैं या जो सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं उनको सरकारी सर्विसेज़ की तरह ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को ठीक तरह से चलाने के लिये यह आवश्यक है और वही हमने इस कानून में किया है। जैसे प्रान्त की सरकार चलाने के लिये सर्विसेज़ को प्रोटेक्शन दिया गया है उसी प्रकार का प्रोवीजन इस कानून में दिया है और मैं समझता हूं कि यह भी एक प्रोग्रेसिव कदम है। हमने प्रोटेक्शन दिया है और यह कदम उचित कदम है। हमने इसके द्वारा दूसरे प्रान्तों को भी इस माने में मार्ग दर्शन दिया है।।

इसके साथ ही दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा और वह है मेम्बर के रिमूवल के बारे में और बोर्ड के सस्पेन्शन के सम्बन्ध में। इसमें जांच के लिये मामले को हमने एक ट्रिब्यूनल के सामने रखने का प्रोवीजन किया है जो कि और किसी प्रान्त में नहीं है। अन्य जगहों में वहां की स्टेट गवर्नमेंट को ही यह पॉवर दिया गया है। मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंन्ट जहां इलेक्टेड हो और वह किसी मेम्बर के खिलाफ कोई कार्यवाही करती हो तो वह अनडेमोक्रेटिक बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इस बात का इसमें प्रोवीजन किया है कि जिस प्रकार सर्विसेज़ के बारे में प्रोटेक्शन देने की बात है तो उसी बात को मद्दे नजर रखते हुए उसके मेम्बर को भी ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिये, हमने यह प्रोवीजन रक्खा, है। वैसे इस हाउस में भी कई बार शिकायतें की जाती हैं पर ऐसा कोई केस मेरे सामने आज तक नहीं आया कि जिसमें हमने ऐसी कोई कार्यवाही की हो, मैंने जानने की कोशिश भी की पर ऐसे बहुत इने गिने केसेज़ हैं जिन पर कार्यवाही की गई है वरना ऐसे केसेज़ कम आते हैं, पर फिर भी हमने इसमें ट्रिब्यूनल का प्रोवीजन कर दिया है। यह बात ठीक है। जैसा कि बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी मंशा यह थी कि उनके खिलाफ जो चार्जेज़ हों उनकी प्रीलीमीनेरी इन्क्वायरी हो तो इसमें देर होने के कारण कोई और गडबडी न कर ले इसलिये उसे सस्पेन्ड किया जावे। वह कानून का इन्टरप्रेटेशन का सवाल है। मेरी नजर में इतने गौर से नहीं देखा है। पर जाब्ते में गलती रह गई हो पर इस कानून का इन्टरप्रीटेशन इसी प्रकार से किया जावेगा और ऐसे केसेज़ ट्रिब्यूनल में जावें आगे सस्पेन्शन की कार्यवाही मुनासिब समझी जावेगी तो की जावेगी।

इसके साथ ही सस्पेन्ड करने का प्रोवोज़न रक्खा है। इसके सम्बन्ध में भी इसको अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक बनाने को कोशिश की गई है और वह भी अधिक से अधिक छः महीने से ज्यादा कोई भी सस्पेन्ड नहीं रहेगा। यह ओब्लीगेटरी कर लिया है और इसमें भी बहुत सी लिमिटेशन्स रख दी गई हैं, जब कि बोर्ड इनकोम्पीटेन्ट हो, मान लीजिये सभी स्तीफा दे देते हैं या अधिक सदस्य देदेते हैं और इलेक्शन के टाइम बहुत नजदीक है, तो ऐसी स्थिति में ही यह बात आती है और इसमें सभी मेम्बरों की एक राय थी।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

टैक्सेज़ के बारे में इससे पहले भी निवेदन कर चुका हूं और अब भी मेरी मान्यता स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्यों मे इस बारे में हमारी मीटिंग में परामर्श हुआ था और सब ने माना कि बोर्डों की आर्थिक स्थिति खराब है इसके लिये टैक्सेज़ होने चाहिये। अब इसमें कुछ टैक्सेज़ कम्पलसरी किये गये हैं। इस प्रकार टैक्सेज़ कई अन्य प्रान्तों में तो पंचायतों के लिए भी कम्पलसरी कर दिये गये हैं बल्कि हाउस टैक्स या इस तरह के दो तीन टैक्स तो आठ दस प्रान्तों में पंचायतों के लिये भी कम्पलसरी हैं, तो हमारे यहां म्यु० में भी न हों यह बात समझ में नहीं आती। और ज़ितने भी इसमें रुचि रखने वाले सदस्य थे वे डेलिगेशन्स में रहें और उन सब की युनेनिमस राय थी कि ३ टैक्स राजस्थान में कम्पलसरी रखे जायं। मथाई कमीशन की रिपोर्ट में ६ टैक्स कम्पलसरी लगाने का प्रश्न उपस्थित हुआ था, पर बादमें सब ने एक राय होकर कहा कि ३ टैक्स होने चाहिए, तो तीन टेक्स लगाने का एमेंडमेंट यहां पर आया है। मैं समझता हूं कि यह एक मुनासिब बात है कि जनता के बीच और म्युनिसिपेलिटी के बीच बहुत ज्यादा संघर्ष होता है वह कम हो। राजस्थान में बहुत कम म्युनिसिपेलिटीज़ हैं जिनकी कि आर्थिक स्थिति ठीक है। वे चन्द नाम गिनाये जा सकते हैं। १४१, १४२ में से ५, ७ म्युनिसिपेलिटीज़ हैं जिनकी हालत ठीक है, बाकी की सब की फाइनेन्शल हालत खराब है। बोर्ड्स के मेंम्बर हैं वे टैक्स लगाने से डरते हैं कि उन्हें जनता के सामने फिर वोट के लिए जाना है। इसलिए टैक्स नहीं लगायेंगे तो ठीक रहेगा। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं कि मेरे कार्यकाल में मुझे जनता के सामने दिक्कत नहीं आई है। जनता में अगर विश्वास होता है कि जो रुपया उनसे वसूल किया जा रहा है वह जनता के हित में खर्च होने वाला है तो मैं समझता हूं कि जनता इस बात के लिए इन्कार नहीं कर सकती है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जब कि बोर्ड के मेम्बर जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनके सामने इस बातकी दिक्कत होती है। इसलिए यह मामला गवर्नमेंट ने अपने ऊपर नहीं रक्खा क्योंकि म्युनिसिपेलिटीज़ के लिए लेजिस्लेचर ने यह कानून बना दिया है जैसा कि अन्य प्रान्तों में है वैसा ही हमारे यहां बना दिया है। वहां तो पंचायतों के लिए भी कम्पलसरी टैक्सेज़ हैं। मथाई कमीशन ने इस बात को खास तौर से अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है कि ६ टैक्सेज़ कम्पलसरी होने चाहिए। उसके बजाय हमने यहां सिर्फ ३ कम्पलसरी टैक्सेज़ उसके अन्दर रखे है।

एक माननीय सदस्य जो आज बहुत दिनों के बाद करीब करीब पधारे हैं इस सारी डेलिगेशन्स में हम उनके विचारने का लाभ नहीं उठा सके हैं। आज उन्होंने बड़े बड़े आंकड़े देकर उन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, टैक्स के बारे में खास तौर से कहा है। मैं उनसे कह देता हूं . . .

श्री हरिकृष्ण व्यास—इतने दिनों का मंत्रीजी लाभ देदें।

Page No 52

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—शायद उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। जितने भी डिस्प्यूटेड व्यूज़ थे इसके अन्दर उनकी ऑल पार्टीज़ कान्फ्रेन्स बुलाकर एकमत से फैसला किया है कि इस तरह के टैक्सेज़ होने चाहिए। मैं समझता हूं कि वे यदि यहां होते तो ठीक था। उनकी बड़ी कमी रही है, क्योंकि जिसके बारे में उनकी हमेशा राय उपस्थित रहती है वे यदि यहां उपस्थित होते तो उससे लाभ पहुँचता। मुझे दुख है कि उनकी राय का इस सदन को लाभ नहीं पहुँच सका है लेकिन उनकी व्यक्तिगत गैरहाजरी में उनकी भावना हमारे साथ थी। उसको ध्यान में रखते हुए इस बिल में आवश्यक परिवर्तन किये हैं।

आपने टैक्सेज़ के बारे में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि राजाओं के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, इस बिल के अन्दर कई ऐसे प्रोवीजन रखे हुए हैं जो पहले थे। गवर्नमेंट का जहां तक सम्बन्ध है कि गवर्नमेंट टैक्सेज़ दे। यानी उसके नहीं देने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गवर्नमेंट की ओर से उनको कई प्रकार की सहायता मिलती है। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्ज पर म्युनिसिपल कमेटी टेक्सेज़ वसूल करें यह न्यायसंगत बात नहीं है। जहांतक राजाओं का प्रश्न है मैं इस मामले में सबसे पहले आगे होता अगर इस बात का प्रोविजन रखने की बात होती या जो एक्ज़म्प्शन है उसको डिलीट करने की बात होती तो उसको सबसे पहले मैं मान लेता। पर कन्स्टीट्यूशन में इस बात का प्रोविजन है कि हम उसको करने से मजबूर हैं। इसलिए मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश करूंगा कि कवेनेन्ट के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया तो कवेनेन्ट का आर्टीकल १३ है जिसके मुताबिक राजाओं के जो प्रिविलेज़ हैं, राजाओं की जो डिग्निटी है उसको प्रिज़र्व किया गया है, और इसके हवाले से कन्स्टीट्यूशन में आर्टीकल ३६२ में इस बात का प्रोवीजन है कि राजाओं के जो प्रिविलेजेज़ हैं और जो फेसिलिटीज़ उनको हांसिल थी आर्टीकल ३६२ में खास तौर से प्रोविजन किया गया है कि जो कन्वेनेन्ट में प्रोवाइड किया गया है वे बदस्तूर रहेंगी। आर्टीकल ३६२ को देखते हुए हम मजबूर थे और इस प्रकार से हमने कानून में वही रख दिया है अगर नहीं बनाते तो कन्स्टीट्यूशन को देखते हुए वह अल्ट्रावायर्स पड़ता। वर्ना मैं सबसे पहला आदमी होता कि राजाओं को जो कन्सेशन दिये हुए हैं वह नहीं होते। हमारी मजबूरियां थीं। कानूनी तौर से मजबूरी थी कि अल्ट्रावायर्स कानून नहीं बनना चाहिए था इसलिए इसका समावेश नहीं हुआ था।

अब एक बात सर्विसेज़ के बारे में रह जाती है। सर्विसेज़ के बारे में सारे राजस्थान के लिए प्रोवीजन है। यह कहा गया है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के मेहतरों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस संबंध में पहले डिस्कस किया। सब की इस प्रकार की भावना थी कि इस प्रकार का नियम होना चाहिए और यदि हमारे माननीय सदस्य जो कि डेलिब्रेशन्स में इकट्ठे होते थे उनकी ऐसी कोई भावना होती और ऐसा कोई प्रस्ताव बतलाते तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं था। मैंने अभी निवेदन किया कि सारे बिल में डिस्प्यूटेड क्लॉज़ेज़ थीं उन सब में एकमत होकर फैसला हुआ है, वह मैंने स्वीकार किया है। उसके बारेमें भी कोई बात होती तो उसको जरूर

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

स्वीकार करता, लेकिन हमारे सामने जो बात थी उसमें इस बात का खयाल करके कि हमारे हरिजन भाई हैं उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। मैं एक मिसाल दूंगा आपको कि यहां जयपुर स्टेट म्युनिसिपल एक्ट में अब तक इस प्रकार का प्रोविजन है उन सबकी नकल करके यहां रखी गई है। उसमें दो महीने की सजा की बात थी और यहां हमने एक महीने की सजा कर दी है। लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि मेरे ५ साल के कार्यकाल में जब से म्युनिसिपल यह चला आ रहा है तब से किसी म्युनिसिपेलिटी के जो हमारे मेहतर हैं उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। लेकिन फिर भी स्वतन्त्रता का सवाल है और अभी जिस प्रकार परिस्थितियां हैं उन परिस्थियों को देखते हुए यह प्रोविजन रखा है, वह इसी बात पर रखा है कि बिना नोटिस यदि हड़ताल कर दें। मुझे अपने कार्यकाल का अनुभव है कि कई बार ऐसे मौके आये हैं बिना कोई नोटिस दिये सुबह ४ बजे मेरे पास आकर कह दिया कि हम हड़ताल कर रहे हैं और रात तक उन्होंने नहीं कहा। इस तरह की बात को एवॉयड करने के लिये, ऐसा नहीं हो, कि वे मजबूर किये जायेंगे, परेशान किये जायेंगे वह ऐसा नहीं करें और मिलजुलकर म्युनिसिपेलिटी को जो दिक्कतें हों उनको दूर कर दी जाय। तो इस भावना से इस धारा को रखा गया है। मैं फिर माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट की कोई मन्शा नहीं है कि म्युनिसिपेलिटी को कोई दिक्कत हो। सरकार देखेगी कि बिला वजह म्युनिसिपेलिटी किसी हरिजन को परेशान नहीं करे। म्युनिसिपेलिटीज़ उसका दुरूपयोग करेंगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऐसा संशोधन लाऊंगा। इस बिल को एमेंड करने के लिए इस सदन के अन्दर प्रस्ताव लाऊंगा। (करतल ध्वनि) मेरा विश्वास है कि हरिजनों के साथ ज्यादती नहीं हुई है और न आयन्दा होगी। वह महज इस लिए प्रोवीजन रखा गया है कि आपस में मिलजुलकर बैठकर यदि कोई हड़ताल करने की बात आती है तय करें। उसके लिए यह प्रोविजन रखा गया है।

अब इसके बाद चुनाव के संबंध में कुछ सदस्यों ने कहा। म्युनिसिपेलिटीज़ के चुनाव के बारे में ऐसा खयाल था और मैं खुदही महसूस करता हूं कि चुनाव इस तरह से हों, मैंने खुद ने अनुभव किया है कि म्युनिसिपेलिटी का चुनाव सिक्रेट वोटिंग से होने चाहिए, बिना सिक्रेट वोटिंग के केन्डीडेटों की एक लंबी लिस्ट होती है उसका फ्यूचर रिर्टनिंग आफिसर की मरजी पर छोड़ देते हैं। यह तरीका वाकई में गलत मालूम होता है। इसके लिए बाई लॉज बनाये जायेंगे। उन बाईलॉज़ को बनाते समय मैं इस बात को देखूंगा कि जहां तक हो सके सिक्रेट वोटिंग का प्रोविजन किया जायगा। मैं समझता हूं कि सिक्रेट वोटिंग तभी हो सकेगा जब कि निगंज मेम्बर्स कन्स्टीटुएन्सी बनाई जायगी। इस संबन्ध में जो बातें कहीगई हैं उनका मैंने आपके सामने निवेदन किया, और मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह कानून ठीक बनता है तो हमारे माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है मैंने अपनी तरफ से किसी बात के लिये कोई इकरार नहीं किया है। भला हुआ है या बुरा हुआ है

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

यह सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स जानते हैं और जो डेलिब्रेशन्स हमारी मीटिंग्स जो सदन के बाहर हुई हैं उनमें हुए हैं और जिन सदस्यों ने दिलचस्पी लेते हुए चाहे किसी पार्टी, किसी दल के वे थे, उन्होंने मिलकर बनाया है, उनकी जिम्मेदारी है। मेरा इसमें कोई इसरार नहीं हैं और उसमें भी मैंने अपनी तरफ से इसरार नहीं किया कि गवर्नमेंट का यह पोइन्ट ऑफ व्यू है और इसका समावेश होना चाहिए। सब सदन के सदस्यों की जिम्मेदारी है, यदि कानून अच्छा बना है तो सब की तरफ है और यदि बुरा बना है सब की तरफ से बुरा बना मैं यह कह सकता हूं कि अन्य प्रान्तों के कानूनों को देख हुए और जो दिक्कतें म्युनिसिपलबोर्ड्स के सामने थीं उनको सामने रख कर यह कानून नाया गया और अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो सदन के सामने निवेदन किया जावेगा।

एक बात इसमें यह नजर आती है वह यह है कि दफा ४९ और दफा ३१८ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्लाज ४९ में चेयरमेन को अधिकार दिये गये हैं और ३१८ में ड्यूटीज़ ऑफ एक्ज़ीक्युटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी हैं। ३१८ में जो प्रोविज़न हैं और ४९ में जो प्रोविज़न है दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। कॉन्ट्रोडिक्शन को मिटाने के लिए क्लाज४९ को ओमिट कर दिया जाय क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। और ३१८ में जो कौंसिलर और बोर्ड शब्द रखे हैं उनकी बजाय में यह शब्द कर दिये जांय "President in case of city and a board in other case" इस तरह से ४९ को तो ओमिट कर दिया जाय और इस ३१८ क्लॉज़ में ये शब्द बदल दिये जांय तो यह ठीक हो जायगा और इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन भी नहीं रहेगा। यह जो मैंने अमेंन्डमेंन्ड रखा है थर्ड रीडिंग के वक्त में समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित करें। इसमें जो कुछ खामियां रही हैं तो वे मेरी है और मैं सदन के सदस्यो को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा उन्होंने मुझे इसमें काफी सहयोग दिया है और उम्मीद करता हूं कि आयन्दा भी मेरी मदद करेंगे। और मैं सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन भी देता हूं कि मेरी ओर से कार्यान्वित करने के बारे में न कोई ज्यादती करने की बात आयी है और न आयगी। मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह—आप अपने साथ २ थोड़ा सरकार का भी ध्यान रखें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपकी आज्ञा का पालन किया जावेगा।

(हंसी)

श्री सभापति—माननीय मंत्रीजी महोदय ने जो अभी अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है, This is with regar to certain inconsistancies. मैं समझता हूं कि स्पीकर इसको सुधार करेंगे। अतः मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ताठीक है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक पारित हुआ।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

(विराम)

Yes; Shri miriAt Lal Yadava to move.

राजस्थान कृषि आयकर (संशोधन) (विधेयक, १९५६ (विचारार्थ एवं पारित)

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

प्रश्री समापतिश्न यह है कि क्या राजस्थान एग्रीकल्चरल इनकम टेक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ? क्या सदन की राय है कि इसको विचारार्थ लिये जाने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा दी गई।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, बिल क्या है, क्यों संशोधन पेश किया है, क्या किस्सा है, कुछ बयान ही नहीं किया और यों कैसे पास हो जाय ?

श्री चन्दनमल वैद—यह तो उनको भी नहीं मालूम है।

(हंसी)

[श्रीसभापति]

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी को भी नहीं मालूम है।

श्री अमृतलाल यादव—मुझे तो मालूम है।

श्री सभापति—श्री अमृतलाल यादव।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय चेयरमेन, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के विषय में जो संशोधन विधेयक पास करने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट की धारा १४ के खंड (सी) के उप खंड [१] में ये शब्द हैं "to effect an insurance on the life of a wife or husband" उनकी बजाय ये शब्द कर दिये जांय "to effect an insurance on the life of such person or on the life of a wife or husband."

माननीय चेयरमेन, जो कृषक हैं वह अपना बीमा करायेगा या परिवार में पत्नी का बीमा करायेगा तो इस पूरी धारा के माफिक उस पर इनकम टेक्स चार्ज होगा, पत्नी का यदि होगा तो उस पर चार्ज नहीं होगा। इससे यह थोड़ी असमानता है। किसान भी बीमा कराता है तो उस पर भी एग्रीकल्चरल इनकम टेक्स चार्ज नहीं होना चाहिए, यह इसमें संशोधन किया गया है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि अगर किसान भी बीमा कराये तो उससे एग्रीकल्चरल इनकम टेक्स वसूल नहीं किया जाय।

श्री भैंरू सिंह—प्रीमियम को एक्ज़म्प्ट किया जा रहा है या टोटल अमाउन्ट को?

श्री अमृतलाल यादव—क्या फरमाया?

श्री हरिकृष्ण व्यास—टोटल अमाउन्ट जो इन्श्योर्ड है उसको एक्ज़ेम्प्ट किया जा रहा है या प्रीमियम को एक्ज़ेम्प्ट किया जा रहा है?

श्री अमृतलाल यादव—पूरी रकम।

श्री जवानसिंह—पूरी रकम से क्या मतलब है? यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यह इन्श्योर्ड अमाउन्ट है या एन्युअल इन्स्टालमेंट है!

श्री अमृतलाल यादव—जो उसकी एन्यूअल इन्स्टालमेंट होगी उस पर।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृति)

विधेयक पारित हुआ।

(विराम)

श्री व्रजसुन्दर शर्मा

राजस्थान नौकानयन नियमन विधेयक, १९५५ (विचार विमर्श एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्री बृजसुन्दर शर्मा की ओर से)—माननीय चेयरमेन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नौकानयन नियमन विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि…

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, अभी तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कुछ निवेदन करना है।

श्री सभापति—प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ही तो मैं सदन से पूछ रहा हूं। श्री बद्रीप्रसादजी ने राजस्थान नौकानयन नियमन विधेयक, १९५५ को एज़ रिपोर्टेड बाई सिलेक्ट कमेटी को विचारार्थ लेने की राय मांगी है। क्या सदन के समक्ष इसको विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृति)

विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नौकानयन नियमन विधेयक सदन में आज से कुछ दिनों पूर्व विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उस समय भी कुछ कठिनाइयों के कारण इस सदन द्वारा इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाकर इस बात को मांग की गई थी कि राजस्थान में जितने भी नाविक इस प्रकार के अपने धन्धे से जीवन निर्वाह करते हैं उन लोगों के ऊपर हम इस कानून के द्वारा जो बाधा डालने जा रहे हैं उस बाधा डालने में सिवाय इसके कि कुछ उन रद्दी नौकाओं को उन पर इस प्रकार का बन्धन डाल कर कि वे नदी में या जल में या अन्य पानी के ऐसे समूह में न घुमाई जांय कि जिससे यात्रियों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। लेकिन साथ हो साथ इस बात की भी मांग की गई है कि नौका

[श्री भैरोंसिंह]

के नियम बनाने के सम्बन्ध में, रजिस्ट्रेशन कराने के सम्बन्ध में, कितना पैसा देना होगा इस सम्बन्ध में है, ये सारी बातें ऐसी सुविधाजनक बनाना है कि कोई भी नौका मालिक किसी समय रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा ले।

लेकिन, माननीय सभापति, प्रवर समिति के इस प्रतिवेदन में ऐसी हालत है कि इस चीज को स्वीकार करने नौका नियमन के संबंध में कोई कानून बनाते हैं वही सूरत है, तो सूरत मूल विधेयक में थी। वही सूरत है, उसी रूप में प्रवर समिति ने मन्जूरी के लिए सिफारिश के रूप में यहां सदन में प्रस्तुत किया है। उसकी सभी सिफारिशों को देखा जाय तो पता लगेगा जो कि छोटे छोटे गरीब नाविक जो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर लोगों को लेजाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन सब लोगों पर पाबन्दी डालेंगे कि वह जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करायें और राजस्थान में रजिस्ट्रेशन की जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति के अनुसार मैं कह सकता हूं कि उनको काफी रिश्वत इस कार्य के लिये देनी पड़ेगी और जिस तरह से आजकल राजस्थान के और विभागों में लाइसेन्स ग्रान्ट करवाते हैं उस वक्त देने पड़ते हैं इसी तरह से सैंकड़ों रुपये उन गरीब लोगों को राजस्थान में रिश्वत देने पड़ेंगे और कई दिनों बाद उन नाविकों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। वैसी सूरत में इस स्थिति को स्वीकार कर लें तो नाविकों तक लिए इस प्रकार की पाबन्दी लगायें तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि पाबन्दी लगाने के साथ साथ ऐसे नियम बना देंगे कि जो नियम उलझनों से भरे हों और किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां आती रहें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार एक अच्छे ढ़ंग से राजस्थान म्युनिसिपेलिटी बिल को परित करवाया है उसी तरह से जो नौकानयन बिल के अन्दर पाबन्दी के साथ साथ सहूलियत देने की चेष्टा करेंगे, जिन सहूलियतों के आधार पर सरकारी अधिकारियों के शिकार न हो कर वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और रजिस्ट्रेशन करवाकर नाविकों के जीवन निर्वाह के साधनों को जुटा सकेंगे।

वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में कुछ ऐसी खामियां रह गई हैं उन खामियों को दूर करने के लिए बदकिस्मती से आज संशोधन नहीं है, लेकिन यदि मंत्रीजी चाहेंगे तो अनुज्ञापन की क्लॉज़ेज़ में, ७ से ११ तक की धाराओं को देखेंगे तो पता लगेगा कि मामूली आदमी इस प्रकार की धाराओं के रहते हुए रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं करा सकता और जहां रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं होगा वहां उनके सामने लाजमी तौर से कठिनाइयां होंगीं आगे। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि अनुज्ञापन आदि की जो क्लॉज़ेज़ है वे क्लॉज़ेज़ ऐसी हैं कि उनमें सहूलियत देने के लिए माननीय मंत्रीजी मौका दें तो कल संशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं और कल वह सुधार कराये जा सकते हैं। इस बिल के द्वारा उन नाविकों के भाग्य का फैसला होगा और वह होता रहेगा। इन शब्दों के साथ प्रार्थना के रूप में मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को ज्यादा सहूलियत की क्लॉज़ बनाने के लिए एक दफे मौका दें तो ज्यादा अच्छी बात होगी।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मुझे इस विधेयक पर कुछ आवश्यक निवेदन करना है। हमारे राजस्थान को वैसे भी इस प्रकार लोग जानते हैं कि मरुभूमि है और पानी का बाहुल्य नहीं है, और इसीलिए अगर आवश्यक रूप से किसी के सामने यह बात बतलाई जाय कि राजस्थान में नौका नियमन विधेयक प्रस्तुत हुआ है और नौकाओं के चलाने के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है तो एक प्रकार से कोई थोड़ी देर के लिए हंसी मजाक का ही विषय समझेगा, क्यों कि ज्यादातर देखेंगे तो मरुभूमि है और पानी का बाहुल्य इतना नहीं है कि नौकाओं से आना जाना हो, जहां किराये पर नौकाएं चलाई जायं। ऐसी स्थिति हरेक व्यक्ति के दिमाग में नहीं आती। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं राजस्थान में जहां कि पानी का बाहुल्य है और नौकाएं चलती हैं। कुछ हिस्सा मरुभूमि है और कुछ हिस्से में पानी का बाहुल्य भी है। हम मेवाड़ की तरफ देखें तो वहां जय समन्द नाम की बहुत बड़ी झील है। इसी प्रकार दूसरी तरफ कोटा में चम्बल नदी है। अलवर में कुछ तालाब हैं और इस प्रकार की जो योजना बनाई जा रही है उनमें इस प्रकार की आवश्यकता सरकार को महसूस होती है कि जहां तक नौकाओं के चलाने के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का सवाल है उन बातों को सामने रख कर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मैं इस बात पर अपने विचार देना चाहता हूं कि जहां तक नागरिकों के स्वास्थ्य और आमोद - प्रमोद का संबन्ध है वहां प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। उनको छूट मिलनी चाहिये कि इस ओर वे ज्यादे से ज्यादा दिलचस्पी लें और नौकाओं में सैर करके ज्यादा से ज्यादा सुख तथा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। अगर इस प्रकार की रोक उनके आमोद-प्रमोद पर लगाई जाती है तो मैं यह मानता हूं कि उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनके आमोद-प्रमोद के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रतिबन्ध रहेगा। इसलिए सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दे। जहां पर आमोद -प्रमोद के लिए नौकाएं लाई जाती हैं, जो व्यक्ति आमोद-प्रमोद के लिए नौकाएं रखता हो उनके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। केवल जहां किराये के रूप में लाभ हासिल करने के लिए नौकाएं चलाई जाती हैं उन्हें इस बात की शिकायत जरूर रहेगी कि एक मांझी और दूसरे मांझी में कम्पीटिशन का मामला खड़ा हो जायगा, जहां किराया वसूल करने का सवाल आयेगा वहां ज्यादा से ज्यादा किराया वसूल कर सकेंगे। नौकाओं की हालत खराब हो सकती है कि जिससे दुर्घटनाओं की संभावना हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार उचित प्रबन्ध करें। लेकिन जहां तक केवल आमोद प्रमोद का सवाल है, केवल व्यक्तिगत रूप से नावों के चलाने का प्रश्न है वहां यह ध्यान में रखना चाहिये और उनको छूट देनी चाहिये, बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिये। उनको नावों में बैठने के लिए, उनमें सैर-सपाटे के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको मौका दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा आज इस विधेयक में ३, ४ बातें ऐसी हैं कि उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। पहली बात यह है कि मैंने यह देखा है कि बीच में हमारे सामने कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि मोटर वेहिकल एक्ट के तहत भी ऐसे के ऐसे प्रावधान इस विधेयक के अन्दर रखे गये हैं। उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो परेशानियां उस एक्ट के तहत में रही हैं वही की वही परेशानियां इस एक्ट के तहत में आने वाली हैं, जहां लाइसेन्स लेने का प्रश्न

[श्री जवानसिंह]

आता है, जहां लाइसेन्स वापिस जमा कराने का प्रश्न आता है, जहां लाइसेन्स को ट्रान्सफर करवाने का सवाल आता है, इन सब बातों में परेशानियां होती हैं। हमने देने लाइसेन्स का अधिकार आर. टी. ओ. को दिया या दूसरे पदाधिकारी को देने का रखते हैं, लेकिन यह परेशानियां बहुत ही उन आदमियों के लिए समस्यायें होंगी। एक दूर रहने वाला मांझी अपने लाइसेन्स को वापिस रिन्यू करवाने के लिए आर. टी. ओ. के दफ्तर में जावेगा। अपने लाइसेन्स को ट्रांसफर करवाने के सिलसिले में, लाइसेन्स को हांसिल करने के सिलसिले में, लाइसेन्स को सरेन्डर करवाने के सिलसिले में उस आदमी को आर. टी. ओ. के दफ्तर में जाना पड़ेगा। एक आदमी जयसमन्द में नाव चलाता है मान लीजिये, एक चम्बल नदी में नाव चलाता है, मानलीजिये या और किसी आर. टी. ए. के इलाके में तालाब या नदी में नाव चलाता है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि वह आर. टी. ओ के दफ्तर से लाइसेन्स को रिन्यू कराये, सरेन्डर करे या किसी दूसरे के नाम ट्रान्सफर करे तो वहां करवाये। इन परेशानियों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह अधिकार देना चाहिये ज्यादे से ज्यादा वहां के नजदीकी अफसरों को। कलेक्टर को देना चाहिये या उसके तबके के दूसरे अफसर को देना चाहिये, ताकि उन आदमियों को सुविधा मिल सके और वे नाव चलाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की परेशानी महसूस नहीं करें।

आखिर में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस विधेयक में परिवर्तन करना है और सरकार से चाहूँगा कि वह उसको मंजूर करेगी कि किसी विशेष श्रेणी के लिए लाइसेन्स वगैरह की आवश्यकता नहीं रहेगी, यह नहीं होना चाहिये, यह उचित है कि सिद्धांततः किसी बात को लेकर चलते हैं कि हमें इन चीजों के लिए छूट देनी चाहिये और उन चीजों के लिए छूट नहीं देना है और आमोद-प्रमोद के साधनों पर लाइसेन्स लगाते हैं तो आखिर में यह छूट देना है या नहीं तय करना चाहिये। यह नहीं रहेगी कि जिसे सरकार चाहेगी छूट दे दे और जिसे सरकार नहीं चाहेगी उसे छूट नहीं देगी। हमें यह निश्चित बात तय कर लेनी चाहिए कि इन आदमियों को छूट देनी है और किसी भी प्रकार के नागरिकों को जो नाव चलाते हैं उनको छूट देना है और किन प्रकार के व्यक्तियों को जो नावों को किराये के काम में लेते हैं उन पर लाइसेन्स लगाना है। यह बात हमें शुरू से ही तय कर लेना चाहिए। लेकिन अन्त में इस विधेयक में एक ऐसी क्लॉज़ रख दी है कि जिसकी वजह से छूट बिल्कुल डिस्क्रीशनरी बना दी है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और निवेदन करूंगा कि इन बातों पर ध्यान देकर सरकार अच्छी तरह से समझकर इसको पास कराये और उसमें इन बातों का विशेष तौर से ध्यान दे।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन, सदन के समक्ष नौका नयन विधेयक प्रस्तुत है, इसके बारे में चेयरमेन महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि हमारी यह समझ में नहीं आता कि यह सरकार किस तरफ जा रही है? आज राजस्थान में ही नहीं मैं यह कहता हूं कि दुनियां में रजिस्ट्रेशन की ऐसी बीमारी पैदा हुई है कि हर बात का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और मेरे

[श्री मानसिंह महार]

ख्याल से थोडे दिनों में तो हम न मालूम कहां से कहां पहुंच जायेंगे । आज मुर्दों के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, बच्चे जन्मते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और छोटी से छोटी बात ले लीजिये, म्युनिसिपेलिटी के एरिया में यदि कोई कुत्ते रखना चाहता है तो उन कुत्तों का भी रजिस्ट्रेशन होता है और बहुत मुमकिन है कि यह सरकार रोटी खाने पर भी रजिस्ट्रेशन रख दे, तो यह बीमारी है न मालूम लोगों को कहां तक ले जायगी । नौका नयन कानून के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि अव्वल तो राजस्थान में ऐसी ज्यादा नदियां ही नहीं हैं कि यहां इस कानून की जरूरत हो....

(सभापति, श्री जवानसिंह, पदासीन)

हां, शहरों के पास जो धार्मिक स्थान हैं वहां जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये ऐसा कानून जारी कर दिया जाता तो उचित था, पर देहातों में, छोटे छोटे गावों में जहां नदी बीच में पड़ जाती है तो मामूली से मामूली आदमी नाव रखे और गांवों की जनता की सुविधा के लिये, उनको नदी से पार करने के लिये उनसे एक २ आना, दो २ आने ले लेता है और उनको नदी के पार कर देता है, तो यह बहुत सहूलियत की चीज है । पर अब हमारी सरकार के ध्यान में आया कि हवाई जहाजों का रजिस्ट्रेशन है, मोटर गाडियों का रजिस्ट्रेशन है, चिडियों का रजिस्ट्रेशन है, वैश्याओं का भी रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, वकीलों का भी रजिस्ट्रेशन है,तो फिर इन नावों का भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया जाय ? इसमें सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि बाहर दूर के इलाकों में, डूंगरपुर, बांसवाडा को ले लीजिये, यहां से पण्ड्या साहब तशरीफ लाते हैं, उस जंगली इलाके में गरीब भील लोग नाव से पेट भरते हैं, वे गरीब लोग आर. टी. ओ. के ओफिस में अपनी नाव का रजिस्ट्रेशन कराने के लिये क्या आयेंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के लिये इधर उधर मारे मारे फिरेंगे , न हमारे यहां राजस्थान में इतनी अधिक नावें हैं और न कोई इससे सरकार को विशेष आमदनी ही होने वाली है । जो गरीब भील लोग नाव चला कर एक २ आना दो २ आना ले कर अपना पेट भरते हैं, उनको इससे कोई विशेष आमदनी नहीं होती, फिर भी जब यह कानून पास हो जायगा तो उनको आर. टी. ओ. के पास रजिस्ट्रेशन के लिये आना पडेगा । आर. टी. ओ. के यहां तो खून मुंह को लगा हुआ है । प्रत्येक गाडी के लाइसेंस के लिये एक २ हजार तो क्या पांच २ हजार रुपये तक एक लारी के पास करने के लिये ले लिये जाते हैं, वे इन नावों वालों से भी बेचारों से रुपये लेंगे, पांच हजार रुपये तो उसके पास कहां से आये, पांच हजार पैसे भी उनके पास नहीं मिलेंगे, पर उन बेचारों के पास से भी सौ दो सौ की तो मांग जरूर कर लेंगे, तो ऐसी सूरत में उस गरीब मल्लाह की क्या हालत होगी जो कि बाहर गांव में रहता है और दस, बीस रुपये माहवार की जिसकी आमदनी है ? आप चाहे रजिस्ट्रेशन फीस एक रुपया या दो रुपया सालाना लेंगे पर जब वह आर. टी. ओ. के पास जायगा तो वहां पर रिपोर्ट लिखाने के, अहलकारों के और वकीलों के जो कि आर. टी. ओ. में प्रेक्टिस करते हैं, उन लोगों को कम से कम सौ रुपये देगा तब काम चलेगा । हमें देखना यह है कि गरीबों को हम किस ओर ले जा रहे हैं और इन सब दिक्कतों से दुखी हो कर वे लोग काम बन्द कर देंगे तो गांव वालों के लिये कितनी मुसीबत होजायगी । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जहां बड़े २ तालाब, बड़े बड़े बन्ध हैं, जैसे जमवा-रामगढ़ बंध है वह अगर सरकार

[श्री मानसिंह महार]

जरूरी समझे कि विज़िटर्स के लिये नावें रखी जायं और कोई कम्पनी वहां नावें रखे उनके रजिस्ट्रेशन का रखें तो ठीक है, पर हर जगह इस तरह का सीटिंग कानून बनाना मैं उचित नहीं समझता।

दूसरी बात, माननीय चेयरमेन, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जनतन्त्र का युग है, एक तरफ तो बातें की जाती हैं कि यह पाबन्दी होनी चाहिये और दूसरी ओर मैंने इसमें देखा कि राजाओं को इससे एग्ज़ेम्प्ट रखना चाहिये, इससे ज्यादा अन्याय की बात मैं नहीं समझता। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो राजाओं को क्यों एग्ज़ेम्प्ट करते हैं, क्यों हर बात के लिये इस जनतन्त्र के युग में राजाओं को एग्ज़ेम्प्ट करते हैं, नाव जैसी छोटी सी चीज के लिये राजाओं को एग्ज़ेम्प्ट करना यह कोई उचित बात नहीं। तो एक विचित्र क्लॉज़ जो राजशाही से भी विचित्र है कि जिसको सरकार उचित समझेगी उसे इस कानून से मुस्तस्ना कर देगी, मुक्त कर देगी। आज सरकार यह अख्त्यार लेना चाहती है कि जिसको वह चाहे इजाजत दे दे और जिसको चाहे उसको इजाजत न दे, जिसको चाहे इस कानून से मुक्त रखे, जिसको न चाहे न रखे, अगर इस तरह की छूट सरकार को दे दी गई तो मैं यह बताना चाहूंगा कि आज इस प्रकार की छूट न होते हुए भी मन्त्री महोदय किस प्रकार की मनमानी कार्यवाहियां कर रहे हैं, अपने सालों-बहनोईयों को नौकरियों में रख लेते हैं, राम नारायण यादव जैसे को नौकरी में रख लेते हैं, ऐसी ज्यादतियां तो मन्त्रीगण पहले से ही कर रहे हैं, यह अधिकार इन्हें और दे दिया गया तो सारे राजस्थान में, राजस्थान के मन्त्रियों के सालों और बहनोईयों की नावें हो जायंगी। और यह अधिकार दे दिया गया तो कोटा में तो आप देख लेना हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जो कि ६ साल के लिये चुनाव लड़ने से डिबार कर दिये गये हैं, जो ६ महीनों के लिये खारिज कर दिये गये हैं उनके साले और बहनोईयों की ही सब नावें कोटा में हो जायंगी......

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—काल्पनिक लांछन न लगायें।

श्री मानसिंह महार—काल्पनिक नहीं बिलकुल फेक्ट अर्ज कर रहा हूँ चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूँ कि अभी आप मुझे यह कह कर इस बात के लिये बाध्य कर रहे हैं कि मैं यह सब कुछ विस्तृत रूप से निवेदन करूं, पर मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि वे तो ६ साल के लिये डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं वे तो अब महीने भर के पावने हैं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें जो यह बात रखी है कि सरकार जिसको चाहेगी उसको छूट दे देगी, यह तो अनुचित बात है।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करने जा रहा था, वह यह है कि इसकी ओर हमें बहुत ध्यान देना है, इस ओर नियम बनाते वक्त हमें कुछ तो नावों को स्पेसिफिक रखना चाहिये था कि जो बड़ी

[श्री मानसिंह महार]

नाव १० सवारियों को ले जाय उसके लिये तो यह कानून लागू होगा और जो छोटी छोटी हैं, जैसे एक नाव में दो मियां-बीबी सैर कर ने के लिए निकल गये, या एक नाव में मछुआ मछलियां पकड़ता है तो उस पर यह कानून लागू करना उचित नहीं होगा।

मेरे मित्र जो दांता रामगढ़ से तशरीफ लाये हैं उन्होंने इन छोटी मोटी बातों को रखा और कहा कि इस बिल को कल लिया जाता तो अच्छा रहता। छोटी छोटी जगहों से आर. टी. ओ. बहुत दूर रह जाते हैं, ऐसी सूरत में उन दूर के गांवों में रहने वाले मल्लाहों को आर. टी. ओ. के यहां आने में बहुत असुविधा और मुसीबत रहेगी, इसलिये इसकी बजाय यह रखा जाय कि प्रत्येक तहसील ही रजिस्टरिंग ओथेरिटी होगी, वे लोग अपनी अपनी तहसील में ही रजिस्ट्रेशन करायें। यह कोई वैसी बडी बात नहीं है।

आज राजस्थान में हजारों की तादाद में मोटर बेव्ज़ की तरह नावें नहीं हैं। आज जो कानून बनाया जाता है कहीं न कहीं के कानून को देख कर बनाया जाता है। मुमकिन है बंगाल में इस प्रकार का कानून होगा, उसको देख कर सरकार ने बना दिया हो। हमारी सरकार को सोचना चाहिये था कि हमारे राजस्थान की नावें तो ऊंट हैं, ऊंटों की कल्पना कर के चलते तो ज्यादा उपयुक्त होता। तो इस तरह राजस्थान में नावें नहीं होते हुए भी इसलिये यह कानून बना दिया गया है कि बंगाल का कानून सरकार के ध्यान में आ गया। ऊंटों के लिये यह कानून बनाते तो कुछ उपयुक्त भी होता।....

श्री सोहनलाल भटनागर—ऊंट आपके उधर बहुत ज्यादा होते हैं?

श्री मानसिंह महार—मेवाड़ में नावें अधिक हो सकती हैं, पर जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया मेवाड़ में गधे बहुत हैं तो वहां गधों पर टैक्स लगाना चाहिये। ....

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर—वहां के गधे छोटे हैं, जमवा रामगढ़ के मोटे हैं।

श्री सभापति (श्री जावन सिंह)—No interference please.

श्री मानसिंह महार—हां, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर जगह इस तरह नावों पर यह कानून लागू करना उचित नहीं, जमवा रामगढ़ बड़ा बन्ध है, वहां बाहर के विज़िटर्स जाते हैं, वहां मोटर बोट्स का इन्तजाम कर दें तो कॉलेज के लड़कों की तन्दुरूस्ती पर अच्छा असर पड़ेगा और उनके दिल व दिमाग को तगडा करेगा!

उनके दिल और दिमाग को तगड़ा करेंगे, मैं तो गांव की बात करता हूँ, छोटे छोटे गांवों में मल्लाह जो होते हैं वह अपने दिन भर में चार पांच या दस रुपये कमाते होंगे। वे गरीब

[श्री मानसिंह महार]

मछलियां पकड़ते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ का पेशा ऐसा है कि इस पार से कोई सामान होता है वह दूसरे पार ले जाकर बेचते हैं, जैसा कि मैंने बनास नदी में देखा, वहां से खरबूजे आते हैं और फिर बाद में उनको दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। वे खरबूजे सड़कों के किनारे डाल देते हैं और फिर मोटरों में वे खरबूजे जयपुर और अन्य अन्य जगहों पर बिकने जाते हैं। ये इस प्रकार के छोटे मोटे काम हैं, यदि इनके लिये रजिस्ट्रेशन आदि की फीस रखी जाती है तो यह बहुत अन्यायपूर्ण है। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उचित तो यह होता कि यह अधिनियम प्रस्तुत ही नहीं किया जाता, अगर प्रस्तुत कर दिया है तो इसको वापिस ले लें इसमें कोई हर्ज नहीं होने वाला है। अगर वे वापिस नहीं लेना चाहते और अपनी जिद पर ही आरूढ़ हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ बड़े बड़े बांध और बड़ी बड़ी नदियां ऐसी रखी जांय जिनमें रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो, तो यह किसी हद तक उचित भी हो सकता है। इस प्रकार का कोई संशोधन हो तो हम मन्जूर करने के लिये तैयार हैं और वह उपयुक्त भी हो सकता है। जैसा सुझाव तहसीलदारों के बारे में दिया है वह किसी हद तक उपयोगी हो सकता है, अगर उससे भी अच्छा सुझाव माननीय मन्त्रीजी अपने दिमाग से पैदा कर सकें तो भी हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन यह अवश्य होना चाहिये कि गांव वालों की सहूलियत की बात होनी चाहिये।

तीसरी बात राजाओं के बारे में जो एग्ज़ेम्प्शन दिये गये हैं मेरे खयाल से ये एग्ज़ेम्प्शन अब नहीं होने चाहिये इस प्रकार के एग्ज़ेम्प्शन देना एक प्रकार से अटपटा सा लगता है।

मन्त्रियों के बारे में तो मैं बहुत कह चुका हूं इसलिये मैं यह समझता हूं इस बिल की जो १५ वीं धारा है वह अवश्य डिलीट होनी चाहिये। अगर आप इसको डिलीट नहीं करते हैं तो चेयरमेन महोदय, हमको इस बिल की थर्ड रीडिंग पर भी विरोध करना पड़ेगा, मजबूरन। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप कलके लिए इसको स्थगित कर दें। इसमें तो आप फोरेस्ट अधिनियम ले लेते तो बेहतर होता। कल हम अमेन्डमेन्ट ला सकेंगे। माननीय मन्त्रीजी को भी मैं देखता हूं मेरी बात कुछ हद तक जची है, वे खुद भी शायद यह चाहते हैं कि इस बिल को कल ले लिया जाय, वैसे भी सिलेक्ट कमेटी से भी यह बिल बहुत जल्दी होकर आया है। वैसे मैं सिलेक्ट कमेटी की सिटिंग्ज़ जो सेशन के दिनों में होती हैं उसका भी मैं विरोधी हूं, क्योंकि असेम्बली में जो लोग चार चार घंटे और पांच पांच घंटे काम करते हैं उनसे फिर सिलेक्ट कमेटी में काम लेना मैं ठीक नहीं समझता और वे ठंडे दिमाग से भी नहीं सोच सकते, क्योंकि चार चार और पांच पांच घंटे तो सेशन चलता है। मैं इसको गलत मानता हूं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को या तो पोस्टपोन कर दिया जाय तो बेहतर होगा नहीं तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन होगा उसका विरोध किया जायगा और थर्ड रीडिंग पर समझाने की कोशिश की जायगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन महोदय, नौका नियमन अधिनियम जो हाउस के सामने सरकार की तरफ से आया है कुछ दिनों पहले भी यह आया था फिर इसे सिलेक्ट कमेटी

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

के सुपुर्द कर दिया गया था उस वक्त सरकार ने यह बताया था कि आज राजस्थान में जितनी नदियां और बांध हैं और इतनी नौकायें चलती हैं जिससे सरकार को लाख दो लाख रुपये की सालाना इनकम होती हो, मेरे खयाल मे ज्यादा से ज्यादा सरकार को नौकाओं से आमदनी एक दो हजार सालाना से ज्यादा नहीं होती होगी, लेकिन जो लोग नौका चलायेंगे उनको इस बिल द्वारा परेशान जरूर होना पड़ेगा। हर क्लर्क, हर अफसर को जाकर के अपना सिर झुकाना पड़ेगा और उनके समय की बरबादी और परेशान होना पडेगा। माननीय चेयरमेन, इस प्रकार का जो अधिनियम हाउस के सामने आया है वह जनता को तकलीफ में डालने वाला है। आज जब कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं वैसी हालत में हम जबकि जनता को सुखी देखना चाहते हैं तो फिर वैसी हालत में ऐसे अधिनियम लाकर जनता को परेशान क्यों किया जाता है? इस अधिनियम में हम लाइसेन्स देने का अधिकार आर० टी० ओ० को दे रहे हैं, यह मेरे खयाल में उचित नहीं है। अगर हम इस तरह से अधिनियम पास कर देते हैं तो मैं कहूंगा चेयरमेन महोदय, जिस प्रकार आज हमने सब माननीय सदस्यों ने मिलकर म्युनिसिपेलिटीज़ बिल पास किया है उसी में एक धारा में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाता या पंचायत एक्ट में एक नयी धारा जोड़ दी जाती कि जिन पंचायतों के हल्कों या म्युनिसिपेलिटी के हल्कों में नावें चलती हैं उनका लाइसेन्स देने का अधिकार पंचायतों और म्युनिसिपेलिटीयों को होगा, तो बहुत अच्छा होता। एक आदमी जो छोटे गांव के अन्दर नाव चलाता है उसको बेचारे को लाइसेन्स लेने के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा। जैसे बनास नदी में कोई नाव चलाता है, उसको बेचारे को लाइसेन्स लेने के लिये आना पडेगा जयपुर। मान लीजिये कोई धोलपुर में नाव चलाता है उसको आना पड़ेगा लाइसेन्स लेने के लिये जयपुर। इसमें उसको कितनी दिक्कत होगी यह देखने की बात है। आज जो मोटर लाइसेन्स दिये जाते हैं, मोटरों के बारे में माननीय चेयरमेन, जो अधिकार कुछ दिनों पहले पुलिस को और एस० डी० ओ० को थे वे अधिकार अब आर० टी० ओ० के पास आजाने से इतनी मोटरें चलने के बावजूद इतना परेशान होना पड़ता है कि जिसकी कोई हद नहीं। आज भी हम देखते हैं कि एक एक बस में पचास पचास सवारियां बैठा दी जाती हैं और कुछ मोटरें खराब हालत में हैं फिर भी उनको चलने का लाइसेन्स मिल जाता है, नम्बर बदलवा देते हैं, इन्जन तक बदल देते हैं फिर भी आर० टी० ओ० कुछ नहीं करते। आज जब कि हम समाजवाद का नारा लगा रहे हैं वैसी हालत में हमारा ध्येय तो यह होना चाहिये कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें, हरवक्त हम ऐसे कानून बनाते जायेंगे जिससे किसान और जनता परेशान हो तो वह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। अगर ये लाइसेन्स देने के अधिकार सरकार अपने हाथ में न लेकर के पंचायतों को वे अधिकार देती है जिस प्रकार आपने पंचायतों को १०० रुपये तक अधिकार और भी आपने कुछ फौजदारी अधिकार भी दिये हैं, तो वैसी हालत में हम लाइसेन्स नौकाओं को देने का अधिकार भी पंचायतों को देते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। इससे नाव चलाने वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आर० टी० ओ० को अधिकार देने से कई दिक्कतों का सामना करना पडेगा, वे परेशान अलग हो जायेंगे। लाइसेन्स लेने के लिये यहां आयेंगे तो उनको करीब छः सात दिन लग जायेंगे, वैसे ही दो

[श्री मुक्तिलाल मोदी)

रुपया रोज की कमाई उनकी मानें तो छ: सात दिन की कमाई वैसे ही समाप्त हो जायगी और यहां लाइसेन्स के लिये रिश्वत आदि देनी होगी सो अलग, इसके बाद लाइसेन्स कहीं उनको मिल सकेगा। फिर भी उनके सामने यह दिक्कत रहेगी कि अगर वे लाइसेन्स ट्रान्सफर करना चाहे तो कैसे करावें। लाइसेन्स तो एक आदमी ने लिया, उसका बेटा भी कभी कभी नाव चलाता है, तो क्या ऐसी हालत में वह चला सकेगा या नहीं, क्या उसको भी अलग से लाइसेन्स लेना पड़ेगा? सारी चीजें इस एक्ट के अन्दर होनी चाहिए, अगर ये चीजें नहीं हैं तो आफत हो जाती है बेचारे गरीब आदमियों को। हमें तो चाहिये यह कि हम आफत में किसी को न डालें जिस तरह से पंचायत एक्ट पास किया उसी प्रकार उसमें एक धारा और जोडे देते तो काम चल सकता था। आज जिस प्रकार से माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने म्युनिसिपेलिटीज़ बिल सबकी सहानुभूति लेकर पास करवाया वैसा कोई मिनिस्टर नहीं मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन इस म्युनिसिपेलिटीज़ बिल के अन्दर यह भी चीज कर दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। यह एक्ट अगर हम पास कर देते हैं तो जनता को परेशानी बढ़ती है। अगर इस बिल को पास करने में लाख दो लाख रुपये का फायदा होता हो तो फिर भी कोई बात है, लेकिन मेरे ख्याल से हजार दो हज़ार रुपये से ज्यादा आमदनी सरकार को नहीं होने वाली है। अब राजस्थान के अन्दर यह नौका नयन बिल लागू हो जायगा तो उन गरीब लोगों के दिमाग पर असर पड़ेगा और उन बेचारों को परेशान होना पड़ेगा।

इस बिल के अन्दर यह भी रखा गया है कि सरकार चाहे जिसको लाइसेन्स से मुक्त भी रख सकती है, यह एक बहुत ही खतरनाक चीज है। राजाओं के बारे में माननीय चेयरमेन, हर एक्ट के अन्दर उनको रियायत दी जाती है, इस बिल में भी राजा लोगों की जो नावें होगी उनको लाइसेन्स नहीं लेना होगा, यह कैसी प्रजातन्त्र की सरकार है? आज जब कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें सब के साथ समान बरताव करना चाहिये। वैसी हालत में हर वक्त, हर आदमी को परेशान करने के कानून नहीं बनाने चाहिये। आज जब कि हम प्रज़ातन्त्र की सरकार अपने आपको कहते हैं वैसी हालत में राज़ाओं को हर कानून में सहूलियतें दे देना उन पर लिपापोती करना बड़ी शर्म की बात है। सरकार द्वारा हर एक्ट के अन्दर राजाओं को कई चीजें माफ कर दी जाती हैं। राजा भी मनुष्य है और हम लोग भी मनुष्य हैं, फिर इतना भेदभाव क्यों बरता जाता है? आज हम लोग राजाओं की तरफदारी करते हैं कल जब कि हम स्टेज पर उनकी खिलाफ वर्जी करते थे, आज वे ही लोग उनकी जी-हजूरी करते हैं, दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं। आज जब कि जमाना बदल गया है, हिन्दुस्तान आज बहुत आगे बढ गया है वैसी हालत में राजाओं को इस प्रकार की सहूलियतें देना कभी ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर हम इस बारे में पंचायत एक्ट या म्युनिसिपल एक्ट में प्रोविजन कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। हमने राजाओं को म्युनिसिपल एक्ट में भी छूट दे रखी है, पंचायत एक्ट में भी दे रखी है, मैं समझता हूँ कल यदि सेल्स टैक्स बिल भी आयगा तो उसमें भी हम इनको सहूलियतें देने की सोचेंगे। आज हम देखते हैं कई राजा लोग और जागीरदार लोग बिज़नेस करते है, जब हम इस प्रकार उनको छूट देने लगेंगे तो इसे उचित नहीं कहा जायगा, जिस

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

गरीब के पास खाने को पूरा नहीं उस पर तो हम टैक्स लगाते हैं और आज जिन राजाओं के पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति है उनको हम टैक्स से मुक्त कर रहे हैं, यह कभी ठीक नहीं कहा जा सकता। आज यहां के राजा को देख लीजिये इनके पास काफी जमीन है, रोजाना राजस्थान सरकार को दिक्कत होती है ऐसी हालत में भी राजाओं पर टैक्स नहीं लगाते हैं तो वाजिब नहीं है।

मेरे ख्याल से राजाओं के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये। राजा होंगे या जागीरदार होंगे तो उनको लाइसेन्स के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर इस प्रकार का प्रोवीजन रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नावों की किस्म पर टैक्स होता तो ज्यादा अच्छा होता। अमुक अमुक प्रकार की नाव पर इतना इतना टैक्स लगेगा यदि इस प्रकार की चीज इस कानून में कर दी जाती है तो वह एक्ट सदन के सदस्यों के काबिल है। ऐसे एक्ट के लगने से जनता को सुविधा हो, परेशानी न हो उसको पास करने में हमें कोई एतराज नहीं है।

अब जब कि हमारा राज्य ए स्टेट बन रहा है तो वैसी हालत में हम जो कानून पास कर रहे हैं, हमारे बाद में जो सदस्य आयेंगे वे देखेंगे कि पहले कैसे सदस्य थे जिन्होंने इस प्रकार का कानून पास किया जिसमें जनता को तकलीफ होगई। मैं यह जानता हूं कि आज जो सदस्य हैं उनमें से आधे से अगले चुनाव में नहीं आ सकेंगे क्योंकि कईयों को टिकट ही नहीं मिलेगा, अगर किसी को मिल गया तो यह भी बात है वह हार भी सकते हैं। तो वैसी हालत में हमारे बाद में जो सदस्य आयेंगे वे देखेंगे कि यह गलत कानून पास हुआ है तो उसमें संशोधन आयेंगे, दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जायगा। इसलिये मैं माननीय चेयरमेन, माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट इतना बड़ा एक्ट आज पास कर दिया और माननीय मन्त्रीजी यह चाहते हैं कि राजस्थान में म्युनिसिपेलिटीयों के इलेक्शन जल्दी से जल्दी हों। आज जब कि इतना बड़ा एक्ट पास हुआ है तो आज चाहिये तो यह था कि आज सेशन को एडजोर्न कर दिया जाता। चेयरमेन महोदय, आप देखिये पसीना आ रहा है बोलने में लेकिन मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है, अच्छा तो यह है कि इसको आज के बजाय कल तक के लिये सरका दें। अगर नहीं सरकता है तो हम आपको परेशान करेंगे। अगर कल इस बिल को लेते हैं तो इसमें संशोधन भी आ सकते हैं और फिर इसको ले लिया जाता है तो ठीक है.......................

श्री सभापति—आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, मेरा तो यह कहना है कि आप जनता को परेशान करने के लिये कोई टैक्स न लगाओ और आप इस तरह से जल्दी से जल्दी बिल पास मत करवाओ। चेयरमेन महोदय, आप भी देखिये हम लोग जो यहां बैठे हैं सब लोग दूब में जाकर बैठ गये या सब चले गये। यदि इन थोडे से मेम्बरों के अन्दर यह एक्ट पास कर देते हैं तो ठीक नहीं है।

Page No 68

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

मेरे तो क्या है मैं तो अकेला हूं । मैं तो यह चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की असेम्बली में ऐसे कानून पास हों जो सारे हिन्दुस्तान की अच्छी असेम्बली समझी जाय । इसमें राजस्थान की उन्नति है।

फोरिन कन्ट्रीज़ के अन्दर जितने, मैं बताऊं, एक्ट पास होते हैं, रशिया में, जेकोस्लावेकिया में, फिनलैण्ड में और दूसरी दूसरी जगह वे सब जनता के भले के लिये होते हैं और फिर मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसा एक मामूली आदमी जब वहां गया तो वहां मैं जितना बड़ा राजस्थान का नाम करके आया हूं उतना किसी भी हिन्दुस्तान के आदमी ने नहीं किया है । इनमें लाइसेन्स देने के अधिकार भी म्यु० को हैं, सरकार को नहीं हैं ।

श्री मानसिंह महार—जहां म्यू० नहीं होती जहां कौन देता है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—वहां पंचायतें दे देती हैं ।

पंचायतें तो वहां बहुत कम जगह हैं । परन्तु म्यु० वहां बहुत हैं, और जहां म्यू० हैं वहां बड़ी बड़ी नहरें हैं, नावें हैं, बांध हैं । म्यु० तो करीब करीब पांच हजार की आबादी पर वहां पर भी हैं । तो ऐसी हालत में माननीय चेयरमेन, आज कम से कम राजस्थान को उच्च स्तर पर ले जाना है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको चाहिये कि वे आज इस सदन को स्थगित कर दें । आज तो पसीना भी आ रहा है ।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आराम करें आप जाकर, पसीना आ रहा है तो ।

(घंटी एवं करतल ध्वनि)

श्रीमुक्तिलाल मोदी—तो मैं निवेदन करूं कि इस सदन को आज स्थगित कर दें । और कल फिर इस नौका नयन विधेयक को ले लें ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—आज सदन के सामने नौका नयन नियमन विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इसके सम्बन्ध में बहुत से विचार व्यक्त किये गये । मैं समझता हूं कि बात यह है कि जितने भी विधेयक इस सर्वोच्च सदन में प्रस्तुत होते हैं उनका कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है और जितने होते हैं वे जनहितार्थ और सुधार के लिए होते हैं । अब यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह नौका नयन नियमन विधेयक राजस्थान में प्रस्तुत करते हुए किस दृष्टिकोण को रखा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ट्रेज़री बेन्चेज़ पर कोई भी सज्जन बैठे नहीं हैं और ऐसे मौके पर कैसे डिबेट करना हो सकता है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बैठा तो हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोई नहीं है, कोई नहीं है। (श्री बृजसुन्दर को लक्ष्य करके) ये तो खारिज़ हो गये ; इनकी जो मेम्बरी खारिज़ हो गई।

श्री सभापति—(श्री जवानसिंह) There is no point of order.

श्री रूपनारायण शास्त्री—इसका एक मूल कारण यह हो सकता है कि राजस्थान में अच्छी अच्छी नौकाएं हों, कोई पुरानी नाव न रख सके या कोई नाविक अनभिज्ञ होकर नाव संचालन कार्य न कर सके। कहीं ऐसा न हो कि नाविक होशियार न हो और इस काम को करने लग जावे और अनेकों यात्रियों को जलमग्न होना पड़े, और ऐसी नाव भी न रखी जावे जो जीर्ण शीर्ण हो गई हो और जिसके कारण से लोग नदियों के प्रवाह में पड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जावें। इस दृष्टिकोण से अच्छी नाव हो, अच्छा नाविक हो, यह अगर दृष्टिकोण है इस विधेयक का तो यह किसी अंश में मान्य हो सकता है।

पर आज तो हमारे यहां राजस्थान में एक जो पद्धति चली आई है उसी के अनुसार इसका भी रजिस्ट्रेशन करने की बात है। जैसे तांगे वालों का रिक्शा का, मोटरों का, और मैं तो यहां तक कहूं कि आज कल जैसे शादी विवाह का, मृत्यु का, हर चीज का जैसे रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है और वह जरूरी है तो फिर उसी तरह से नौकाओं का क्यों न हो ? यह सोचकर अगर यह विधेयक यहां रखा गया है तो यह दृष्टिकोण प्रशस्त दृष्टिकोण नहीं है। हम अगर यह चाहते हैं कि नाविक की उन्नति हो, नाविक अच्छी तरह से कमा सके, उनका नैतिक स्तर और जीवन स्तर ऊंचा उठे इस दृष्टिकोण से यदि हम इस विधेयक को लाते हैं तो मैं यह कहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण किसी अंग में प्रशस्त है। आज नाविक की बड़ी दयनीय दशा है, और इसके कारण नाविक के बच्चे की शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती वे अच्छी तरह से अपना जीवन बिता नहीं सकते, इसलिए नाविक को काफी पैसा मिले, यह अपनी काफी उन्नति कर सके, ऐसा अगर दृष्टिकोण है तो मैं कह सकता हूं कि यह विधेयक लाना उचित काम होगा। पर जहां तक मैं देख पाया हूं इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात कही गई। इससे मैं तो यह सोचता हूं कि इससे आर्थिक स्थिति उसकी उन्नति होती है या कठिनाइयों की उन्नति होती है। यह मेरी समझ में नहीं आता ! कठिनाइयां और आपत्तियां ही बराबर उन्नत होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक दृष्टि से उनका भला नहीं होता। जहां कोई मोटा तालाब या नदी नहीं है वहां ऐसा भी होता है कि कोई छोटा सा तालाब होता है और उसके पार किसी स्थान पर पहुंचने के लिए काफी चक्कर लगाना पड़ता है पर नौका से जाने में वह चक्कर बच जाता है। तो यहां जाने-वाले स्कूल के बच्चे हो सकते हैं और दूसरे यात्री हो सकते है, वे एक एक पैसा दे देंगे और चले जावेंगे। तो इससे उनका भी फायदा हो जावेगा और नाविक का भी। पर इसकी कोई खास आमदनी नहीं है ऐसी जगहों पर बर्षों तक एक नौका चलती रहती है, जिसमें पुरानी नई का प्रश्न नहीं होता, नाविक की दक्षता अदक्षता का भी प्रश्न नहीं होता। पर इस पर भी उनको इस कानून के मातहत करना क्या होगा ? उसको शहर में भाग कर आना होगा, दरख्वास्त देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। अपने पुराने पेशे का सबूत देना पड़ेगा। इतने सब काम वे बिचारे गरीब लोग,

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

अनपढ लोग कहां से कर सकेंगे ? वे बेचारे गरीब भील लोग प्रमाण - पत्र शब्द कान से नहीं सुना होगा कभी जो कानून का नाम नहीं जानते और जो यह कभी नहीं जानते कि जिस धन्धे को पीढ़ियों से वे करते आये हैं उस पर आज कोई प्रतिबन्ध है। वे अनादि काल से चलाते चले आये है, पर उनको किसी ने कठिन से कठिन समय में भी किसी ने नहीं पूछा न किसी ने कोई कठिनाई उत्पन्न की। पर आज इस राज ने हमारे सामने यह कठिनाई उत्पन्न की कि हम अपनी नौका को ले जाकर उनकेसामने रक्खें और जिस तरह से तांगा वाले, मोटर वाले, रिक्शा वाले उनके सामने अपनी अपनी सवारी लाते हैं और बतलाते हैं कि हमारी चीज अच्छी है, चालू है, उपयोगी है, तो इसी तरह से वे भी अपनी नाव को घसीट कर यहां तक लावें तो इसमें उनको कितनी कठिनाई और परेशानी होगी इसका अन्दाज लगा सकते हैं। फिर इतनी शक्ति भी उनमें है कि नहीं कि वे यह सारा बोझा उठा सकेंगे या नहीं। इसका विचार करते तो शायद यह विधेयक हम प्रस्तुत नहीं करते।

दूसरी बात यह है कि इन सब बातों के लिये वकीलों से सलाह लेनी पड़ेगी, अर्जीनवीसों को ढूंढना पड़ेगा, उनको फीस देना होगा तो इन गरीब नाविकों पर इस तरह की कठिनाइयां लाद देना उचित नहीं होगा।

इसके साथ लोगों ने यह भी सुझाव रक्खा कि यह नौका चलाने योग्य है या नहीं या यह नाविक योग्य है या नहीं इसकी देखभाल करने का काम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जावे। तो अगर यह हो जाय तो उचित होगा। अपने गांव के लोगों को अपनी गांव की भाषा में समझाने में और उन नाविकों को भी समझने में सहूलियत होगी और ये दिक्कतें नहीं होंगीं। यह समझ कर अगर ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। पर यह आर. टी. ओ. के पास रक्खा जावेगा तो इससे परेशानी होगी। आज सब लोग जानते हैं कि तांगों, रिक्शों और मोटरों आदि के पास करने में और उनका रजिस्ट्रेशन कराने में इस विभाग में क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से रुपया खर्च करना पड़ता है। इसको और अच्छी तरह से वे लोग जानते हैं जिनका काम आर० टी० ओ. से पड़ गया है, तो आर० टी० ओ० से जिनका काम पड़ा है वे जानते हैं कि इसमें कितनी दिक्कत आती है। इसलिये आप इस नियम के सम्बन्ध में कुछ भी उदार दृष्टिकोण रखें तो यह अधिकार आर० टी० ओ० को न देकर पंचायतों को दें, म्युनिसिपेलिटीज़ को दें या स्थानीय अधिकारियों को दे दें तो आसानी से काम निकल सकता है क्योंकि यह तो कहा नहीं जा सकता कि रजिस्ट्रेशन न हो। रजिस्ट्रेशन की ऐसी प्रथा पड़ गई है। छोटे से छोटे काम का भी रजिस्ट्रेशन होता है। आजकल शादी व विवाह भी रजिस्ट्रेशन से होते हैं तो इसका भी रजिस्ट्रेशन तो होगा।

अभी १५वीं धारा के सम्बन्ध में यह कहा गया कि राजाओं को यह अधिकार नहीं देना चाहते हैं पता नहीं राजाओं से लोग क्यों चिड़ते हैं। राजाओं ने अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी रियासतें दे दी हैं, बड़े बड़े महलात अर्पित कर दिये हैं, फिर आप उनके सम्मान में क्यों हाथ डालतेहो राजाओं को केवल इसलिये मुक्त नहीं करते कि उनके पास देने को पैसा नहीं है। इसमें

Page No 71

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

उनके सम्मान का दृष्टिकोण है। राजाओं पर यह इसलिये था कि वे लोग अपनी नौकाओं पर आदमी रखेंगे, उन आदमियों का पालन होगा। वे लोग आमोद प्रमोद के कारण नौकाएं रखते हैं। राजाओं के नौकाओं पर छूट करते हैं तो उनके सम्मान के कारण करते हैं। लेकिन राजाओं को छूट दे देते हैं तो गरीबों को दुःख होता है। वे समझते हैं कि क्या राजाओं की नावों के चलने से जल पर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता क्या और हमारी नाव से जल को कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिये हमसे टैक्स लिया जाय। इसलिये गरीबों के मानसिक दुर्विचारों को दूर करने के लिये हमको ऐसे अपवाद को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये।

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय चेयरमेन, अब बहस बन्द करनी चाहिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—क्या कह रहे हैं मैं सुन नहीं पाया।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रूपनारायण शास्त्री—टाइम हो रहा है तो मैं यह कहूंगा कि इसको पंचायतों के अधिकार में दिया जाय। आर० टी० ओ० के अधिकार में नहीं दिया जाय, यही मेरे भाषण का मुख्य सारांश है।

रावतश्री शम्भुसिंह—चेयरमेन महोदय,...

श्री वृजसुन्दर शर्मा—closure motion **था साहब ?**

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—You continue. There is no such motion.

रावत श्री शम्भुसिंह—चेयरमेन महोदय, इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होने के बाद जब देखा तो सहसा मन में यह विचार हुआ कि क्या सरकार फीस लगाकर इन गरीब लोगों को भी कर से मुक्त नहीं करना चाहती है जो किसी प्रकार से परिश्रम करके अपना पेट भर लिया करते हैं और आवागमन करने वाले लोगों को सुविधा पहुंचाते हैं, राजस्थान में नदियों की बहुत ज्यादा बहुतायत नहीं है। नदियें हैं अवश्य लेकिन वे बरसाती हैं और साल भर तक बहनेवाली बहुत कम हैं। लेकिन इन नदियों में भी नावें चलाकर जो गरीब अपना भरण पोषण किया करते हैं, उनसे भी किसी प्रकार की फीस के रूप में कुछ उपार्जन करने की बात सदन के सामने लाई जाती है, जिसका परिणाम यह होगा कि एक ऐसा बिल यहां लाकर लादा जा रहा है जो हमारे राजस्थान के लिये कदापि उपयोगी नहीं कहा जा सकता। संभव है जिन राज्यों में नदियों तथा जल की बहुतायत है वहां इस प्रकार का कानून हो लेकिन राजस्थान में ऐसी अवस्था नहीं है क्यों कि राजस्थान में देश और काल की परिस्थिति में जो भेद है उसको लक्ष्य में रख कर देखने से इस

[रावत श्री शम्भुसिंह]

प्रकार का कानून कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। परिश्रम करनेवाले लोगों पर इस प्रकार का नियंत्रण करना और उनसे पैसों के रूपमें कुछ न कुछ वसूल करना कदापि वांच्छनीय नहीं कहा जासका। खास कर उस हालत में जब कि अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी के पास जाने का आदेश दिया जाता है। वे लोग यह भी नहीं जानते कि ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर का ऑफिस किस जगह है। वहां जाने में और अनुज्ञा प्राप्त करने में उनको कितनी कठिनाई होगी यह सर्व विदित है। मोटरों को लाइसेन्स हासिल करने में भी कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है यह आपको अच्छी तरह से मालूम है।

(श्री अध्यक्ष पुनःपदासीन)

तो ऐसी हालत में इन गरीब लोगों को वहां भेज कर लाइसेन्स प्राप्त करवाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और इसको आप कहां तक मुनासिब समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में सरकार की मशीनरी इस प्रकार से कार्य करने में अक्षम्य है और अनुज्ञा प्राप्त करने में जिस प्रकार से कठिनाई पड़ती रहती है उसको देखते हुए कदापि मुनासिब नही समझा जा सकता कि इस प्रकार का कानून लाद कर कठिनाई को और बढ़ाया जावे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ नौका पर चलने वाले ऐसे लोग हैं जो खेती के वास्ते नौका चलाया करते है। उनकी खेती की जमीन पानी के एक किनारे पर होती है और घर दूसरे किनारे पर...

(गणपूरक घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष (श्री शंभुसिंह से)—Finished.

श्री शम्भुसिंह—कोरम नहीं है क्या?

श्री अध्यक्ष—कोरम है। आप बोलिये। और मेम्बर्स को बुलाने के लिये बेल बज रही है।

श्री शंभुसिंह—(जारी) खेती के औजार तथा हल चलानेवाले बैलों को नाव में बैठाकर दूसरे पार ले जाते हैं। उस समय यदि कोई राहगीर मुसाफिर भी आजाते हैं तो उनको भी नाव पर बिठाकर दूसरे पार पहुंचा देते हैं। लेकिन इस कानून के पास होने से उन लोगों को कठिनाई पड़ जायगी और उन लोगों के वास्ते खेती का प्रबन्ध करना, खेती करना मुश्किल हो जायगा, क्योंकि अनुज्ञा प्राप्त करना आसान काम नहीं है और अनुज्ञा प्राप्त करने में जिस प्रकार की खुशामद, रिश्वतखोरी और तरह तरह की कठिनाइयां उपस्थित

[रावत श्री शंभुसिंह]

होती हैं उनको देखते हुए कोई अनुज्ञा प्राप्त करने को तैयार नहीं होगा और वगैर अनुज्ञा प्राप्त किये उनको नौका चलाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर अपने हल और बैलों को लेजाने के लिए किस प्रकार नाव रख सकते हैं और चला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस कानून के पास हो जाने का एक अन्य परिणाम यह होने वाला है कि जब तक बरसात के दिनों में मुसाफिर को नदियों के पार आसानी से उतारते थे, उनको पार उतारने में बाधा उपस्थित हो जायगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे सरकार का क्या लेते हैं और सरकार क्या सुख सुविधा का साधन उनको देती है जिसके वास्ते वे वर्षों से, पुश्तों से और शताब्दियों से अपना धंधा करते आ रहे हैं उन पर नियन्त्रण करना चाहती है ? मोटर पर अनुज्ञा की बात तो समझ में आ सकती है क्योंकि मोटर हमारे यहां पहले नहीं थीं और यह नई प्रकार की सवारी प्रचलित हुई है इसलिए इसको कन्ट्रोल में रखना चाहिये। यह यंत्र द्वारा परिचालित वाहन है, जिसको कन्ट्रोल में रखने के लिये अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता समझ में आ सकती है। लेकिन शताब्दियों से जो नौका नयन का पेशा करते आ रहे हैं उन पर नियन्त्रण लगाया जाना मैं नहीं समझ सका किस बात का प्रतीक है।

वे लोग शताब्दियों से बल्कि कुछ जातियां तो ऐसी हैं कि जिनके पास नदियों के ऊपर नौका चलाने और राहगीरों अथवा मुसाफिरों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाना, इस प्रकार का काम करना है। इन लोगों की ओर से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। आज तक एक भी मामला नहीं आया है कि नदी पार नौका से उतारते वक्त किसी मुसाफिर की जान जोखिम में आई हो या नौका डूब गई हो, जान चली गई हो।

श्री अध्यक्ष—Getting zero hour.

रावत श्री शंभुसिंह—इस प्रकार कानून बनाकर स्वतन्त्र व्यवसायी लोगों पर नियन्त्रण लगाना क्या उस समय के राज्यों ने मुनासिब समझा था ? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस प्रकार के कानून पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—जवाब देंगे। या कल देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष—ज्यादा समय लें तो फिर कल रख दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दो तीन मिनिट से अधिक नहीं लूंगा।

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

माननीय अध्यक्ष,महोदय जो एतराजात इस बिल के बारे में उठाये गये हैं, यदि माननीय सदस्य इस बिल को, सारी स्कीम को देख लेते तो उनको उठाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। सबसे अधिक जोर दफा ३ में जो सार्टिफिकेट ओफ फिटनेस के सम्बन्ध में दिया गया है हरएक को सर्टिफिकेट ओफ फिटनेस दिखाना पड़ेगा। कई नौकायें पुरानी हो गई हैं, टूट गई हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट ओफ फिटनेस हांसिल करें।

दूसरा मुद्दा यह है कि किराये से चलने वाली नावें हैं उसका लाइसेन्स लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आई होती है तो यात्रियों को पार पहुंचाने के लिए नौका के नाविक मनमाने तरीके से पैसा चार्ज करते हैं, मनमाने तरीकों से नदी के पार कराते हैं और इससे किसी के डूब जाने का रिस्क बराबर रहता है। इसलिए यह उचित समझा गया कि इसको रेगूलेट किया जाय। इसलिए यह रखा है कि सर्टिफिकेट ओफ फिटनेट हासिल किया जावे और नौका चलाने वाले नाविक लाइसेन्स अपनी नौकाओं का प्राप्त करें।

एतराज यह उठाया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत उठानी पड़ेगी आर. टी. ओ. के पास जाना पड़ेगा। इसमें यह दिया गया है कि लाइसेन्स और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के सम्बन्ध में या तो आर. टी. ओ० के पास या दूसरे छोटे अफसर के पास जाया जा सकता है और वहां से हांसिल किये जा सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या होता है माननीय अध्यक्ष....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—बैठ जाइये, आप शान्ति रखिये।

श्रीब्रजसुन्दर शर्मा—इससे कोई दिक्कत नहीं आवेगी। चौथी बात यह है कि ऐसे लोगों से टैक्स वसूल किया जावेगा। माननीय अध्यक्ष, मेरा अर्ज करना है कि न तो टैक्स लगाने की ही बात है और न उससे आमदनी करने की बात है। लाइसेन्स फीस के मामूलीपैसे होंगे और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के भी मामूली पैसे होंगे और वे लेकर उनको दे दिये जावेंगे। सब किराये की मोटरें हैं, तांगे हैं, लाइसेन्सिंग की जरूरत पड़ती है और इसके बगैर रेगूलेट नहीं हो सकते।

म्युनिसिपेलिटी की हद में नौकाये चलती हों ऐसा देखा नहीं गया है। एक म्युनिसिपेलिटी की हद में यदि है तो वह दूसरी म्युनिसिपेलिटी की हद में जाती है। एक तरफ न म्युनिसिपेलिटी है और न पंचायत है तो दोनों के न होने से वह सरकार का हो जायगा।

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल साफ है और इसको रेगुलेट करना जरूरी है इसलिए इस बिल को पास किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है है कि राजस्थान राज्य में नदियों तथा झीलों में नौका नयन के नियमन किये जाने हेतु विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को विचारार्थ लिया जाय ?.

(स्वीकृत)

प्रवर समिति की रिपोर्ट को विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान नौका नयन नियमन विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय ?

श्री मुक्तिलालमोदी—एक बात पूछना है।

श्री अध्यक्ष—आप बोल चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—और बोलूंगा।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित हो

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(करतलध्वनि)

[श्री अध्यक्ष]

सदन की कार्यवाही कल, ८ बजे प्रातः काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही दिनांक १५ मई, ५६ के प्रातः काल ८ बजे तक के लिए सांय ८-७ बजे स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक १४ मई, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर को सम्बन्धित प्रश्न कर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

६२७. (१०५। सी. एम.) श्री भैरोंसिंह, एम. एल. ए. ,डिविजन नम्बर १६: क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सीकर जिला अध्यापक संघ ने सन् १६५५ की उनकी श्री माधोपुर की बैठक में एक प्रस्ताव पास करके सीकर शिक्षा विभाग में अनेक प्रकार की हुई अनियमितताओं के लिये राधेश्याम हैडक्लर्क को दोषी ठहराया था और जांच की मांग की थी ?

(ख) शिक्षा विभाग द्वार यह जांच किसके द्वारा कराई गई और इसका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) सीकर के निरीक्षक और उप-निरीक्षक द्वारा जांच की गई परन्तु श्री राधेश्याम के विरूद्ध कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ।

प्रश्न

९३७. (१६५ । सी. एम) श्री धूलजी भाई; एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३८— क्या शिक्षा मंत्रीयह बतलाने की कृपा करेंगे:

बांसवाड़ा कन्या मिड़िल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तन करने के बाद हाई स्कूल भवन की क्या व्यवस्था की गई ?

(२) क्या यह सही है कि आधा भवन कन्या हाई स्कूल का पुलिस विभाग के कब्जे में है और वह खाली करने से इन्कार करते हैं ?

(३) क्या इससे छात्राओं को बाहर धूप में बैठना पडता है व शिक्षण में बाधा पहुँच रही है एवं अधिक संख्या में भर्ती भी नहीं की जारही है ?

उत्तर

(१) कोई नई व्यवस्था नहीं की गई, क्यों कि उक्त भवन हाई स्कूल के लिये प्रर्याप्त है।

(२)उक्त भवन का कुछ भाग पुलिस विभाग के अधिकार में है जो कि शीघ्र ही खाली किया जा रहा है।

(३) शिक्षा कार्य में कोई बधा नहीं पड़ती है। छात्राओं को भर्ती न करने की भी कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न

६३६. (१६६। सी. एम.) श्री रामदयाल उपाध्याय एम. एल ए., डिवीजन नम्बर १२३—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जयपुर जिले मे कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनका बी. टी. सी. होते हुए भी विभाग की भूल से पी. टी. सी. की ग्रेड में फिक्सेशन कर दिया गया है ?

(२) अब इस भूल को सुधारने की क्या कार्यवाही की जारही है?

उत्तर

(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

९४०. (१८२।आर.एम.) श्रीमती यशोदादेवी, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ८—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि श्री चुन्नीलाल वल्द नन्दराम, निवासी सालवी, प्रतापगढ़ तहसील, जिला चित्तोडगढ़ को सरकार ने कुल मिलाकर ३,०००)रु० तकावी के रूप में दिये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या उसने यह रकम उस ही काम के लिये खर्च की है जिसके लिए दी गई थी ?

(ग) क्या सरकार ने यह रकम देने से पहिले कोई जांच भी की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) श्री चुन्नीलाल सालवी निवासी प्रतापगढ़ को केवल ३०००) रुपये तकावी के दिये गये।

(२) जी नहीं ।

(३) तकावी दिये जाने के नियमों के अनुसार जांच की गई थी ।

(४) तकावी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर दी जाती है, जो सरकार द्वारा ६-२-५० को स्वीकृत होकर प्रकाशित हुए है ।

प्रश्न

९४६. (२११। सी. एम.) श्री मुक्तिलाल मोदी , एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १०८—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या राज्य सरकार की ओर से राज्य के पुस्तकालयों और शिक्षण संस्थाओं के निमित्त पुस्तकें खरीदने के लिये किसी फर्म या व्यक्ति को ठेका या अधिकार दिया गया था ?

(२) क्या फ्रंटियर पब्लिकेशन्स को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अधिकार दिया गया था अथवा शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी ने फ्रंटियर पब्लिकेशन्स को ठेका देने की सिफारिश की थी ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि फ्रंटियर पब्लिकेशन्स ने कई प्रकाशकों को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखे हैं ?

(४) क्या सरकार दिल्ली के पाक्षिक पत्र (प्रकाशन समाचार) में प्रकाशित फ्रंटियर पब्लिकेशन्स के व्यवस्थापक श्री गणपत माथुर के छपे पत्र के सम्बन्ध में उचित प्रकाश डालेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां ।

(४) इस प्रकार का समाचार सरकार की जानकारी में नहीं है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६२५ का उत्तर देखिये)

List of Estates Eunder Court of wards of sub-Division

Kishangarh, and have been resumed.

S. No.	Name of the estate
1.	Kishangarh.
2.	Miya
3.	Kuchil
4.	Khatoli
5.	Khanddch
6.	Khatoli
7.	Khandach
8.	Phaloda
9.	Badgaon
10.	Badgaon
11.	Badgaon
12.	Badgaon
13.	Barna
14.	Mundalao
15.	Mundalao
16.	Sanwatsar
17.	Thal
18.	Bhadoon
19.	Paldi
20.	Nosal
21.	Jajota
22.	Raghunathpura
3.	Bhadoon

1	2
24.	Jajota
25.	Mothi
26.	Dev puri
27.	Dothali
28.	Ningtara
29.	Chandali
30.	Chandali
31.	Khiriya.
32.	Supa.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६४४ का उत्तर देखिये)

१. जिला जैसलमेर मे निम्नलिखित प्राइमरी स्कूलों की इमारतें बनी हैं: —

१.	सरकारी प्राइमरी स्कूल	रामगढ़	३८५० रु०
२.	,,	कासमूंद	२००० रु०
३.	,,	बड़ौदागांव	१५०० रु०
४.	,,	मायाजालर	३०० रु०
५.	,,	उजलान	१००० रु०
६.	,,	भीमयाना	२००० रु०
७.	,,	दुदी	१८०९ रु०
८.	,,	सांगर	१७०० रु०
९.	,,	भीमक्याली	१००० रु०
१०.	,,	सुईयाला	११३८ रु०
११.	,,	संकरा (हट)	८५८० रु० ८ आ०
१२.	,,	पारीथार	१००० रु०
१३.	,,	मोहनगढ़	१००० रु०
१४.	,,	मेघा	५०० रु०
१५.	,,	(अस्पष्ट)	१००० रु०

परिशिष्ट ४

[कृपया प्रश्न संख्या ६४७ का उत्तर देखिए]

जोलों के नुकसान का जिलेवार रबी का फसल का नक्शा

संवत् २०१२

जिला—अलवर

क्र. सं. 1	नाम तहसील 2	नाम ग्राम 3	तादाद नुकसान आनों में 4
१.	तिजारा	रामनगर	॥)
२.	,,	गोठडा	॥)
३.	,,	गहनखर	॥)
४.	,,	मौशनपुर	॥)
५.	,,	कंकराली	॥)
६.	,,	अल्लापुरजह	१)
७.	,,	गौल	१)
८.	,,	रायपुर	१)
९.	,,	शैलपुरजह	१)
१०.	,,	फुल्लाजास	॥)
११.	,,	मूसेपुर	१)
१२.	,,	जीरौली	॥)
१३.	,,	पौस	॥)
१४.	,,	बैरला	१)
१५.	,,	आंधा का	॥)
१६.	,,	चांवड़ी कलां	१)
१७.	,,	धाई	॥)
१८.	,,	डिगाना	॥)

१	२	३	४
१९.	,,	बरहेडा	॥)
२०.	,,	बेलहेडीढ़	॥)
२१.	,,	वे अजमलहेडा	॥)
२२.	,,	चिचपुरी	॥)
१	किशनगढ़	तीतर का	१)
२.	,,	फैजपुर	१)
३.	,,	खौजा का [माघी]	१)
४.	,,	जोतिका	१)
५.	,,	बगथला	।॥-)
६.	,,	चामरोदा	।॥-)
७.	किशनगढ़	बोलनी	१)
८.	,,	गोठडी	।॥)
९.	,,	बेराहेडी	१)
१०.	,,	गुरपचका	१)
११.	,,	नागल सोलीया	१)
१२.	,,	पाटन अहीरान	१)
१३.	,,	काद ईधा (जागिर)	१)
१४.	,,	कानी	।॥-)
१५.	,,	घोर घोका	।॥)
१६.	,,	ठेठेर वासवा	१)
१७.	,,	जौनाल	।॥)
१८.	,,	गुगलहेडी	१)

१	२	३	४
१६.	किशनगढ़	मूड़सोला	१)
२०.	,,	मिरजापुर	१)
२१.	,,	रायपुर	१)
		जाटान	
२२.	,,	बघेरी खुर्द	।।।)
२३.	,,	खाहडोइ	१)
२४.	,,	कूमपुर	।।।)
२५.	,,	माछरोली	।।।)
२६.	,,	फजीतबाद	१)
२७.	,,	रूंध जामूवास	१)
२८.	,,	पून्दरांका	।।≡)
२६.	,,	दयालपुर	।।)
३०.	,,	नगलीपठान	।।)
३१.	,,	मथवापुर	।।–)
३२.	,,	मानवा	।।–)
३३.	,,	अहीर बासना	।।)
३४.	,,	खोहरा ठाकरान	।।=)।।
३५.	,,	बघेरी कला	।।=)
३६.	,,	गुससरा	।।=)
३७.	,,	मालपुरा	।।=)
३८.	,,	दौलतनगर	।।–)।।।
३९.	,,	भटकोल	।।=)
४०.	,,	झामूवास	।।–)
४१.	,,	बसई नीरथल	।।=)
४२.	,,	साधूका	।)
४३.	,,	शाहपुर	।–)

१	२	३	४
४४.	किशनगढ़	फिरपाना	।)
४५.	,,	शौला	।)
४६.	,,	शहजादपुर	।)
४७.	,,	नेगलिया	।)
४८.	,,	माहोदा	।)
४९.	,,	सरपुर	।)
५०.	,,	खंडवास (जागिर)	।=)
५१.	,,	धमूकड़	।=)
५२.	,,	चावा का	।-)
५३.	,,	हुसेपुर	।=)
५४.	,,	मानोठडी	।)
५५.	,,	मूनपुर मेवान	।-)॥
५६.	,,	सालखर	।-)।
५७.	,,	माछा कामाजारा	।≡)
५८.	,,	हरसोली	।≡)
५९.	,,	पहाड़ बास	।≡)॥
६०.	,,	झाड़का	।≡)॥
६१.	,,	खेडा	।≡)॥
६२.	,,	चाचि का बास	।)
६३.	,,	खेड़ी	।)
६४.	,,	खानपुर अहीरान	।)
६५.	,,	ठटका	।)
६६.	,,	खरोल	।)
६७.	,,	अल मदीका	।)
६८.	,,	पतलमा	≡)
६९.	,,	सेवखेडा	≡)

१	२	३	४
७०.	किशनगढ़	टोहरी	—)
७१	,,	चौडावता	=)
७२.	,,	मिर्जापुर	—)
७३.	,,	मौठूका	≡)
७४.	,,	जहांपुरी	≡)
७५.	,,	मूनपुर ठाकूरान	≡)
७६.	,,	सागूदा	≡)
७७.	,,	रामपुर	॥=)॥
७८.	,,	बधाना	॥=)
७६.	,,	मसवासी	॥≡)
८०.	,,	आलमपुर	१)॥
८१.	,,	नरवास	।—)॥
८२.	,,	जादूवास	।=)
८३.	,,	कोटकासिम	।=)
१.	मुण्डावर	सरावकलां	१)
२.	,,	सिरोडखुर्द	१)
३.	,,	जसाई	१)
४.	,,	गादूवास	।=)
५.	,,	सरोकलां	।=)
६.	,,	नागल उदया	॥=)
७.	,,	लडाहेडी	१)
८.	,,	सुन्दरवाडी	१)
६.	,,	टोडरपुर	१)
१०.	,,	नागीवाडा	॥।=)

Page No 88

१	२	३	४
११.	मुण्डावर	आमोट	॥।≈)
१२.	,,	मंडा	॥।≈)
१३.	,,	नहार खेडा	॥।)
१४.	,,	खानपुर	॥।)
१५.	,,	रड्वा	॥।)
१६.	,,	मुंडनवाडा कलां	१)
१७.	,,	मुंडनवाडा खुर्द	॥।≈)
१८.	,,	शहजादपुर	१)
१९.	,,	अलीपुर	॥)
२०.	,,	सांचोदय	॥।)
२१	,,	बासनीढ	॥)
२२.	,,	जोगावाड़	१)
२३.	,,	माबरा	१)
२४.	,,	मींनोत	१)
२५.	,,	सिहालीकलां	१)
२६.	,,	सिहालीखुर्द	१)
१.	बहरोड	अडीद	१४ आ०
२.	,,	महातावास	१५ आ० ९ पाई
३.	,,	चौरूला	१)
४.	,,	परतापुर	१४ आ०
५.	,,	काटूवास	१४ आ० ६ पाई
६.	,,	हुडियाखुर्द	१५ आ०
७.	,,	बीजापुर	१५ आ०
८.	,,	हडियपला	१५ आ० ३ पाई
९.	,,	रामचन्दरपुर	१५ आ० ६ पाई

१	२	३	४
१०.	बहरोड़	रघुनाथपुर	१५ आ० ३ पाई
११.	,,	जैतपुर	१५ आ० ३ पाई
१२.	,,	जिगलाना	०
१३.	,,	नागाबास	०
१४.	,,	मंगलपुर	०
१५.	,,	मोडहन	०
१६.	,,	नगली	०
१७.	,,	रावतराना	०

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ६२६ का उत्तर देखिये)

नक्शा मिसलात सीगामाला जनवरी एक ५५ से २१-३-५६ तक

नम्बर शुमार	नाम माह	जनवरी के अव्वल में बकाया	दायरा	मीजान	फैसला	बाकी
१.	जनवरी	६२०	६१	६८१	९६	५८५
२.	फरवरी	५८५	७४	६५६	२६	६३३
३.	मार्च	६३३	६६	६९९	२४	६७५
४.	अप्रेल	६७५	३७	७१२	१७	६९५
५.	मई	६९५	३१	७२६	२९	६९७
६.	जून	६९७	१४	७११	१३	६९८
७.	जुलाई	६९८	१६	७१४	१७१	५४३
८.	अगस्त	५४३	४४	५८७	४१	५४६
९.	सितम्बर	५४६	—	५४६	६२	४८४
१०.	अक्टूबर	४८४	४३	५२७	६०	४६७
११.	नवम्बर	४६७	३२	४९९	३५	४६४
१२.	दिसम्बर	४६४	९६	५६०	५६	५०४
१३.	जनवरी	५०४	५५	५५९	८१	४७८
१४.	फरवरी	४७८	१७	४९५	२०	४७५
१५.	मार्च	४७५	२५	५००	२१	४८९

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ९३० का उत्तर देखिये)

झुंझुनू जिले की तहसील चिड़ावा में विकास योजना के अन्तर्गत मंजूर हुए कार्यों की सूचि

तहसील— चिड़ावा

संख्या १	कार्य का विवरण और नाम ग्राम २	रकम जो दी गई ३	काम का हिसाब आया या नही, जांच हुई या नहीं। ४
१.	निर्माण स्कूल भवन, काजी	१००० रु०	हिसाब पेश हो चुका और जांच हो चुकी।
२.	निर्माण स्कूल भवन, देवलावास	२००० रु०	,, ,, ,,
३.	निर्माण कुवा, ब्रजलाल पुरा	१००० रु०	,, ,, ,,
४.	निर्माण स्कूल भवन, बामनवास	१३०० रु०	,, ,, ,,
५.	निर्माण कुआ, ढाणीसादयाला माडोली	१००० रु०	,, ,, ,,
६.	स्कूल भवन, ग्राम ढाणी रामसिंह	२५०० रु०	,, ,, ,,
७.	निर्माण नया कुआ, मावरियाजी	१००० रु०	,, ,, ,,
८.	मरम्मत हरिजन कुआ, बाडे-दिया की ढाणी	१००० रु०	,, ,, ,,
९.	निर्माण स्कूल भवन, अदुका	४१७ रु० १२ आ.	,, ,, ,,
१०.	निर्माण नया कुआ, ढाणी मालीयान, डंटार	१५०० रु०	,, ,, ,,
११.	निर्माण स्कूल भवन, काकोड़ा	१३५६ रु० ३ आ.	,, ,, ,,
१२.	निर्माण स्कूल भवन, शाहपुरा	१००० रु०	,, ,,
१३.	निर्माण हरिजन कुआ, नन-वाणोखुर्द	१४१६ रु० १४ आ.	,, ,, ,,
१४.	मरम्मत ,, ,, ,,	१२५३ रु०	,, ,, ,,

Page No 92

१	२	३	४		
१५.	निर्माण हरिजन कुआ, मंडारिया	५६२ रू० ६ आ.	हिसाब पेश हो चुका और जाँच हो चुकी		
१६.	मरम्मत हरिजन कुआ, झकोड़ा	५११ रु० ६ आ.	,,	,,	,,
१७.	मरम्मत कुआ पंचायतवाला, सूरजगढ़	६२५ रु० ८ आ.	,,	,,	,,
१८.	निर्माण स्कूल भवन, बालोदा	१००० रू०	,,	,,	,,
१९.	निर्माण स्कूल भवन, कावला	७५० रु०	,,	,,	,,
२०.	निर्माण नया हरिजन कुआ मेरली	१५०० रू०	,,	,,	,,
२१.	निर्माण कुआ, लोटिया	१४८५ रु० १४ आ.	,,	,,	,,
२२.	मरम्मत हरिना पाठशाला चिड़ावा	३००रु.१५आ.९पा.	,,	,,	,,
२३,	पूर्ण करने स्कूल भवन, नरहड	४०३ रु० ४ आ०	,,	,,	,,

झुंझुनूं जिले की तहसील चिड़ावा में विकास योजना के अन्तर्गत मंजूर हुए कार्यों की सूची।

तहसील—चिड़ावा, उदयपुर

क्रम संख्या	कार्य का विवरण और नाम ग्राम	रकम जो दी गई	काम का हिसाब आया या नहीं, जांच की या नहीं
१	२	३	४
१.	निर्माण कुआ, ढ़ाणी मिठार वालों की	१००० रु०	हिसाब पेश हो चुका और जांच हो चुकी।
२.	निर्माण स्कूल भवन, तींथासर	१००० रु०	,, ,, ,,
३.	निर्माण कुवा, चारण की ढ़ाणी	१३२१रु.१२आ.	,, ,, ,,
४.	मरम्मत कुआ, ढ़ाणी टुडिया	१००० रु०	,, ,, ,,
५.	निर्माण स्कूल भवन, ढाणी गिलोकी	१००० रु०	,, ,, ,,
६.	मरम्मत ढाणी सरवाना कुवा	८१८रु. १ आ.	,, ,, ,,
७.	मरम्मत कुआ, बाई	१००० रु०	,, ,, ,,
८.	मरम्मत स्कूल भवन, योलो का बास	१००० रु०	,, ,, ,,
९.	मरम्मत कुवा, धानका बास	७४३ रु. ८ आ.	,, ,, ,,
१०.	निर्माण हरिजन कुवा, बीबासर	६८४ रु०	,, ,, ,,
११.	निर्माण कुवा, घोरानीट	१००० रु०	,, ,, ,,
१२.	मरम्मत कुवा, मोड़की	१००० रु०	,, ,, ,,
१३.	मरम्मत कुवा, ढाणी बिदावती	४३७रु०८आ.	,, ,, ,,
१४.	निर्माण स्कूल, बजावा	७०६ रु०	,, ,, ,,
१५.	मरम्मत स्कूल भवन, घोड़ीवारा कलां	१००० रु०	,, ,, ,,
१६.	निर्माण कुवा, क्यामसर कांवास	१००० रु०	,, ,, ,,
१७.	निर्माण कुवा, मुन्डा की ढ़ाणी	१००० रु०	,, ,, ,,
१८.	मरम्मत स्कूल भवन, ढ़ाणी गडवारों की।	१००० रु०	,, ,, ,,

१	२	३	४		
१६.	मरम्मत कुवा हरिजन, नवलगढ़	१००० रु०	"	"	"
२०.	मरम्मत स्कूल भवन, डाबड़ी	१००० रु०	"	"	"
२१.	निर्माण स्कूल भवन, बड़वासी	५०० रु०	"	"	"
२२.	मरम्मत कुवा हरिजन, नवलगढ़	१००० रु०	"	"	"
२३.	टीन डलवाई, स्कूल चोबदारा की ढ़ाणी	२०० रु०	"	"	"
२४.	निर्माण स्कूल भवन, धोड़की	१००० रु०	"	"	"
२५.	निर्माण स्कूल भवन, मोजासर	१००० रु०	"	"	"
२६.	निर्माण हरिजन स्कूल भवन, उदयपुर	३३२ रु. ८ आ.	"	"	"
२७.	मरम्मत स्कूल भवन, उदयपुर	५००० रु०	"	"	"
२८.	मरम्मत स्कूल भवन, गुढ़ा	४६४ रु. १४ आ.	"	"	"
२६.	निर्माण पक्का पवेलियन, नवलगढ़	१६८७ रु०	"	"	"

झुन्झुनू जिले की तहसिल झुंझनू में विकास योजना के अन्तर्गत मंजूर हुए कार्यों की सूची
तहसील—झुंझुनू

संख्या	कार्य का विवरण और नाम ग्राम	रकम जो दी गई	काम का हिसाब आया नहीं, जान्च हुई या नहीं
१	२	३	४
१.	मरम्मत तालाब, नाथपुरा	१७५६ रु०	हिसाब पेश हो चुका, या जांच की गई
२.	नया कुवा पनपांड रामवास हेतमसर	१५०० ,,	,,
३.	मरम्मत कुवा, लादूसर	४६४ ,,	,,
४.	मरम्मत कुवा, कासमिपुरा	१००० ,,	,,
५.	मरम्मत कुवा, खाजपुर नया	५०० ,,	,,
६.	मरम्मत कुवा, हुंडा का बास	७०६ ,,	,,
७.	निर्माण हरिजन कुवा, लालपुरा	६८६ ,, ८ आ.	,,
८.	पार्काण हरिजन कुवा, बुडाना	६६६ ,, ८ आ.	,,
९.	पार्काण नया कुआ, सास कालीपहाड़ी	१००० रु०	,,
१०.	निर्माण नया कुवा, ढाली मालियों की	१५०० ,,	,,
११.	मरम्मत कुवा, देवीपुरा	५०० ,,	,,
१२.	मरम्मत कुवा, गाड़नी का वास	१४८० ,,	,,
१३.	निर्माण नया कुवा, चिमनागूजर का बास ढाणी उदावास	८३१ ,, ३ आ.	,,
१४.	स्कूल मरम्मत, उदावास	१००० रु०	,,
१५.	मरम्मत कुवा, रघुवीरपुरा	१००० ,,	,,
१६.	निर्माण नया कुवा, कुम्भाराम का बास	२००० ,,	,,
१७.	मंझुनै में रानी सति के पास पुराने हरिजन कुए की मरम्मत	१५०० ,,	,,
१८.	मेठ तालाब झुन्झुनु की मरम्मत	१५०० ,,	,,

Page No 96

१	२	३	४
१६.	मरम्मत कुवा, बास दरोगान मंडावा	१००० ,,	,,
२०.	मरम्मत कुवा, बास कानी, बगड	१००० ,,	,,
२१.	स्कूल भवन, चंदवा	५०० ,,	,,
२२.	मरम्मत हस्पताल कुदा मंझनू	५० ,,	,,
२३.	निर्माण महिला क्लब, झुंझुनू	५०० ,,	,,
२४.	मरम्मत स्कूल भवन, हनुमानपुरा	२००० ,,	,,
२५.	निर्माण श्री औषधालय भवन, पातुसरी	५०० ,,	,,
२६.	मरम्मत स्कूल भवन, सोनासर	५०० ,,	,,
२७.	निर्माण स्कूल भवन हेतमर	५०० ,,	,,
२८.	समाज कल्याण खंड, भोजासर	४८० ,,	,,
२९.	समाज कल्याण खंड, महरादासी	४६६ ,, १ आ.	,,
३०.	समाज कल्याण खंड, हनुमानपुरा	४२५ रु०	,,

भूंझनूं जिले की तहसील खेतड़ी में विकास योजना में मजूर हुए कार्य की सूची

तहसील—खेतड़ी

संख्या	काम का विवरण और नाम ग्राम	रकम जो दी गई	काम का हिसाब आया या नहीं, जांच हुई या नहीं
१	२	३	४
१.	निर्माण स्कूल भवन, खानपुर	७६६ रू०	बिल पेश हो चुका और जांच की जा चुकी है।
२.	निर्माण स्कूल भवन, चिराणी	८०० ,,	,,
३.	निर्माण स्कूल भवन, सेफरागुंवार	१००० ,,	,,
४.	मरम्मत कुवा, जसरापुर	५२८ ,,	,,
५.	निर्माण स्कूल भवन, पचेरी बड़ी	५०० ,,	,,
६.	पूर्ण करने स्कूल भवन, लोयज	५०० ,,	,,